मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
2018–19

रूपांकन
श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर
2019

भोपाल
शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय, भोपाल
2019

मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
2018–19

श्रमायुक्त संगठन
श्रम न्यायपालिका
कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल
मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
मध्यप्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2018–19

विभाग	.	श्रम विभाग
मंत्री	.	माननीय श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया
प्रमुख सचिव	.	श्री संजय दुबे
श्रम आयुक्त	.	श्री राजेश बहुगुणा (5.5.2018 से 17.1.2019) श्री आशुतोष अवस्थी (28.01.2019 से)
अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय	.	न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सोलंकी
अपर सचिव	.	श्री मालसिंह भयड़िया
संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	.	डॉ. बी.एल. बंगेरिया

***

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2018–19

विषय सूची

अध्याय	खंड	शीर्षक	पृष्ठ
	•	**वर्ष 2018–19 में श्रम विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां**	**1-6**
1		**श्रम विभाग की भूमिका**	**7-10**
	1.1	प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या	7
	1.2	संविधान के सुसंगत प्रावधान	7-8
	1.3	महत्वपूर्ण श्रम कानून	8-9
	1.4	विभागीय संरचना तथा सामान्य जानकारी	10
	1.5	प्रदेश में पंजीकृत कारखानों एवं स्थापनाओं की जानकारी	10
2.		**विभागीय संरचना एवं बजट – एक विहंगावलोकन**	**11-16**
	2.1	श्रमायुक्त संगठन	11-12
	2.2	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	12
	2.3	कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) सेवायें	12-13
	2.4	औद्योगिक न्यायालय	13
	2.5	संविधिक मण्डल	13
	2.5.1	मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल	13
	2.5.2	मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण, मंडल	14
	2.5.3	मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	14
	2.5.4	मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल	14
	2.6	ग्राम सभाओं को सौंपे गए कृत्य	14
	2.7	कम्प्यूटरीकरण	15-16
	2.8	बजट प्रावधान	16
3.		**औद्योगिक संबंध**	**17-21**

अध्याय	खंड	शीर्षक	पृष्ठ
	3.1	सामान्य	17
	3.2	औद्योगिक विवाद की स्थिति में सुलह कार्रवाई	17
	3.3	ले–आफ, छंटनी और बन्दीकरण हेतु अनुमति	18
	3.4	मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का कार्यान्वयन	18-19
	3.5	मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञायें) अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन	19-20
	3.6	व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 का कार्यान्वयन	20-21
4.		**औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा**	**22-30**
	4.1	सामान्य	22
	4.2	कारखाना अधिनियम, 1948	22-25
	4.3	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 का कार्यान्वयन	26
	4.4	''अति खतरनाक'' स्थापनाओं संबंधी प्रावधान : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बने नियमों का कार्यान्वयन	26
	4.4.1	संक्षिप्त विवरण	26-27
	4.4.2	''अति खतरनाक'' श्रेणी के कारखाने	27
	4.4.3	ऑन साईट आपात योजनाएं	27
	4.4.4	ऑफ साईट आपात योजनाएं	28
	4.4.5	सुरक्षा आडिट	28
	4.5	औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर	29-30
5.		**मजदूरी, उपादान और बोनस संबंधी अधिनियमों का कार्यान्वयन**	**31-34**
	5.1	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	31-33
	5.2	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	33
	5.3	उपदान भुगतान अधिनियम, 1972	33-34
	5.4	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	34

अध्याय	खंड	शीर्षक	पृष्ठ
6.		**बाल श्रमिक**	**35-40**
	6.1	बाल श्रमिक	35-37
	6.2	बाल श्रम संबंधी कानून का प्रवर्तन	38-39
	6.3	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	39-40
7.		**बीड़ी श्रमिक**	**41-42**
	7.1	प्रारंभिक	41
	7.2	बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का कार्यान्वयन	41
	7.3	बीड़ी श्रमिक कल्याण	41
	7.4	बीड़ी श्रमिकों के लिये आवास संबंधी योजना	42
	7.5	घरखाता श्रमिकों को बीड़ी निर्माण हेतु दिए जाने वाले कच्चे माल की वाजिब मात्रा का निर्धारण	42
	7.6	बीड़ी श्रमिको को वेतन पर्ची	42
8.		**असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक**	**43-46**
	8.1	प्रारंभिक	43
	8.2	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यदल	43-44
	8.3	भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक	44-46
	8.4	मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल,	46
9.		**बंधक श्रमिक**	**47-51**
	9.1	प्रारंभिक	47
	9.2	बंधक श्रम प्रथा की दृष्टि से संवेदनशील जिले	47-48
	9.3	जिला एवं उपखंड–स्तरीय निगरानी समितियां	48-49
	9.4	विमुक्त बंधक श्रमिकों का पुनर्वास	49-51
10.		**कतिपय अन्य महत्वपूर्ण श्रम कानूनों का कार्यान्वयन**	**52-55**
	10.1	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	52

अध्याय	खंड	शीर्षक	पृष्ठ
	10.2	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955	52
	10.3	मध्यप्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	52-54
	10.4	ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970	54
	10.5	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवाशर्तें) अधिनियम,1979	54-55
11.		**कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें**	**56-61**
	11.1	प्रारंभिक	56
	11.2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले हितलाभ और योजना के कार्यान्वयन का पॅटर्न	56-57
	11.3	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रदेश में विस्तार एवं बीमित व्यक्तियों की संख्या	57-58
	11.4	चिकित्सा हितलाभ	58
	11.5	परिवार कल्याण एवं अन्य सेवाएं	59
	11.6	श्रमिको के बच्चो की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओ के विस्तार संबंधी कार्य–योजना	59-60
	11.7	एच.आई.वी./एड्स प्रकोष्ठ	60
	11.8	विभागीय अमले की स्थिति	60
	11.9	विभागीय पदोन्नितियों की स्थिति	60
	11.10	विभागीय जांच की स्थिति	61
	11.11	नियुक्तियों की स्थिति	61
	11.12	स्थानांतरण की स्थिति	61
	11.13	न्यायालयीन प्रकरणों की सिथति	61
12.		**श्रम न्यायपालिका**	**62-63**
	12.1	संवैधानिक व्यवस्था	62
	12.2	औद्योगिक न्यायालयों की खंडपीठ व प्रशासन	62-63
13.		**राज्य–स्तरीय त्रिपक्षीय सलाहकार समितियां**	**64**

अध्याय	खंड	शीर्षक	पृष्ठ
	13.1	प्रारंभिक	64
	13.2	राज्य श्रम सलाहकार परिषद	64
	13.3	न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड	64
	13.4	राज्य सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड	64
	13.5	समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार समिति	64
14.		**सांविधिक मंडल**	**65-79**
	14.1	मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल	65-72
	14.2	मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल	72-74
	14.3	मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	75-79
	14.4	मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल	79
15.		**महिला श्रमिक**	**80-83**
	15.1	महिलाओं की संख्या और कार्यशील महिलाएं	80-81
	15.2	महिलाओं के लिये विशेष अधिनियम	81-83
	15.3	यौन उत्पीडन के लिये विशेष सुरक्षा	83

* * *

परिशिष्ट

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ
1.1	भारत के संविधान के भाग 3 (''मूल आधिकार'') और भाग 4 (''राज्य की नीति के निदेशक तत्व'') के ''श्रम'' संबंधी प्रावधान	**84-85**
1.2	महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व	86
2.1	प्रदेश में कार्यरत श्रम कार्यालय तथा उनसे संबद्व जिले	87-88
2.2	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधीन स्थापित कार्यालय एवं उनके कार्य क्षेत्र	89-90
2.3	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत संभाग एंव जिले–वार कार्यरत केन्द्र, उनसे संबद्ध बीमित व्यक्ति, और कार्यरत संस्थाएं	91-93
2.4	श्रम न्यायालय तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले	94
2.5	गत तीन वर्षों के बजट प्रावधान एंव व्यय	95-96
3.1	म.प्र. अैद्योगिक संबंध अधिनियम,1960 की धारा 1(3) के अंतर्गत अनुसूचित उद्योग	97
3.2	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंर्तगत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई	98
3.3	औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा 34 के अंर्तगत स्वीकृत अभियोजन	98
3.4	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33–सी(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर जारी किए वसूली प्रमाण पत्र एवं उनमें निहित वसूली योग्य राशि	99
3.5	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25–एम, 25–एन तथा 25–ओ के अंर्तगत क्रमशः ले–ऑफ, छंटनी एवं बंदीकरण की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई	100
3.6	म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम ,1960 के अंर्तगत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई	101
3.7	म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961 के अंर्तगत संपादित निरीक्षण/अभियोजन	102
3.8	औद्योगिक स्थापनाओं से स्थाई आदेशों और उनमें संशोधनों के प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई	103
3.9	व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 के अंर्तगत श्रम संगठनों के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन, उनका निराकरण तथा पंजीयन निरस्ती हेतु की गई कार्रवाई	104
3.10	म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयन हेतु प्राप्त ठहराव/समझौते	105
4.1	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों की संभाग एवं जिले–वार जानकारी	106-107
4.2	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 88 के अंर्तगत आने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी	107
4.3	मध्यप्रदेश में स्थित अति खतरनाक स्थापनाओं की संभाग एवं जिले–वार सूचीं	108-110

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ
4.4	ऑफ साईट आपात योजना की तैयारी एवं पूर्वाभ्यास	111
4.5	अति खतरनाक स्थापनाओं, जिनका सुरक्षा आडिट एम.एस.आई.एच.सी. नियम, 1989 के तहत अनिवार्य है, के सुरक्षा आडिट की स्थिति	112
4.6	औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण भाग –एकः हानिकारक पदार्थों की जांच	113
4.7	स्थल पर उपकरणों की सहायता से की गई जांच एवं उनका परिणाम	114
4.8	औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण भाग –दोः स्थल पर उपकरणों की सहायता से प्रकाश व ध्वनि संबधी जांच	115
5.1	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन	116-117
5.2	न्यूनतम मजदूरी की दरें	118
7.1	बीड़ी एवं सिगार अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों तथा श्रमिकों की संभाग एवं जिले–वार संख्या	119
7.2	बीड़ी श्रमिकों हेतु आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2006–07 से स्वीकृत आवास	120
7.3	परिपत्र दिनांक 05.10.2002 के अनुसरण में घरखाता बीड़ी श्रमिकों के लिये कच्चे माल की जिले–वार निर्धारित वाजिब मात्रा	121
8.1	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नि. एवं सेवाशर्तो का वि.) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं की कार्यालय–वार जानकारी	122-123
9.1	बंधक श्रमिकों का पुनर्वास	124-125
10.1	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों की श्रम कार्यालय–वार जानकारी	126-127
10.2	नगर / कस्बे जहां म. प्र. दूकान एवं स्थापना अधिनियम प्रभावशील है	128-137
10.3	दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की जिले–वार जानकारी	138-139
10.4	ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय–वार जानकारी	140-141
10.5	अंतर्राज्यि प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय–वार जानकारी	142-143
11.1	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों / औषधालयों में उपचारित मरीज	144
11.2	परिवार कल्याण कार्यक्रम	144

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ
11.3	टीकाकरण	145
11.4	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में किये गये ऑपरेशनों का विवरण	146
12.1	वर्ष 2014 में औद्योगिक न्यायालय द्वारा प्रकरणों का निराकरण	147
12.2	विभिन्न श्रम न्यायालयों में वर्ष 2014 के आरंभ में लंबित, वर्ष में दायर तथा वर्ष में निराकृत सिविल तथा फौजदारी प्रकरण	148

टीप : **इस प्रतिवेदन में कतिपय श्रम कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं आदि के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं सांखिकी के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। परंतु विशिष्ट, पूर्ण और अद्यतन जानकारी के लिए मूल अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं एवं जानकारी आदि को ही देखा जाना चाहिए।**

***

वर्ष 2018–19 में श्रम विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियॉं
सुशासन की पहल

1. मुख्यालय एवं मैदानों कार्यालयों में कर्मचारियों के रिक्त पदों हेतु मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड एवं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सहयोग से श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षकों तथा लिपिकीय पदों पर भर्ती सुनिश्चित की गयी। समुचित प्रशिक्षण पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालयो में नियुक्ति की गयी।

2. पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति संबंधी विभागीय सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आवेदकों को विभागीय कार्यालयों में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। समस्त विभागीय सेवाओं, योजनाओं एवं समस्त पंजीयन/लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया।

3. म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन/नवीनीकरण एक कार्य दिवस में जारी किया जा रहा है। वर्ष 2018 में एक दिवस में 307 पंजीयन जारी किये गये।

4. म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन के पूर्व निरीक्षण/भौतिक सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त। मात्र खतरनाक प्रकृति के संस्थानों में पंजीयन प्रक्रिया पश्चात् (पूर्व सूचना के साथ) भौतिक सत्यापन की व्यवस्था।

5. श्रम कानूनों में संस्थानों के निरीक्षण पश्चात् 24 से 48 घंटे की समय सीमा में निरीक्षण टीप पोर्टल पर अपलोड। संस्थानों/कारखानों हेतु ऑनलाइन निरीक्षण टीप देखने एवं ऑनलाइन अनुपालन प्रस्तुत करने की व्यवस्था।

6. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय सेवाओ को लोक सेवाओं के रूप में भी सम्मिलित कर समय–सीमा में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया गया । कुल 32 सेवाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं।

7. सुक्ष्म, लघु एवं माध्यम (एम.एस.एम.ई.) इकाईयों की स्थापना के प्रथम वर्ष में विभिन्न श्रम कानूनों में कोई निरीक्षण सम्पादित नहीं किये जाने का निर्णय।

8. स्टार्ट–अप इकाईयों की स्थापना के प्रथम पांच वर्ष में विभिन्न श्रम कानूनों में कोई निरीक्षण सम्पादित नहीं किये जाने का निर्णय ।

9. बंधक श्रमिको को चिन्हांकित कर उनके उन्मूलन एवं पुनर्वास योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु राज्य के सभी बड़े जिलो में कार्य–शालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन/बंधक श्रमिको की पहचान व विमुक्ति एवं पूनर्वास हेतु लिबर्टी पोर्टल का प्रारंभ। देश मे अग्रणी स्थान पर ।

10. बाल श्रम प्रथा की समाप्ति हेतु यूनिसेफ के साथ राज्य स्तरीय क्षमता वर्धन कार्यशाला। पेंसिल पोर्टल द्वारा बाल श्रमिकों व उनके पुनर्वास की ट्रेकिंग प्रारंभ।

11. अधिनियमों में सरलीकरण के दृष्टिगत सभी पंजीयनो एवं लाइसेंसो में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की संख्या में कमी की गयी। विशेषतः कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति में अनिवार्य दस्तावेजो की संख्या 18 से कम कर 5 एवं अति–खतरनाक एवं खतरनाक श्रेणी के कारखानो में यह संख्या 21 से कम कर 13 की गयी ।

12. वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत कारखाना श्रमिकों एवं कारखाना के ठेका श्रमिकों को वेतन भुगतान चेक या बैंक द्वारा करने हेतु अधिसूचना जारी की गयी ।

13. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओ में लाभ वितरण करने में राज्य देश में दूसरे नंबर पर अग्रणी ।

सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वव्यापीकरण

'डिजिटल इंडिया' मिशन के अंतर्गत किये गए कार्य :–

1. श्रम विभागीय सभी सेवाओ को केन्द्रीयकृत पोर्टल www.labour.mp.gov.in / www.shramsewa.mp.gov.in के माध्यम से सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

2. सभी श्रम कानूनों में पंजीयन एवं लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया ऑन–लाईन जैसे मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, कारखाना अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, भवन संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम एवं मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठानों का पंजीयन लायसेंस के नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण को पूर्णतः ऑनलाइन की गयी है।

3. डुप्लिकेशन से बचने हेतु आवेदनों में आवेदक के आधार की अनिवार्यता।

4. पोर्टल द्वारा जारी सभी प्रमाण पत्रों का पब्लिक डोमेन में सत्यापन की सुविधा।

5. प्रक्रियाओं एवं प्रपत्रों का सरलीकरण तथा डिजिटल/कम्प्यूटराईज्ड संधारण की अनुमति।

6. कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन के साथ सक्षम व्यक्तियों का पंजीयन/संस्थानों एवं खतरनाक कारखानों हेतु ऑन–साईट इमरजेंसी प्लान्स को भी ऑन लाइन माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

7. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में उपकर जमा की सुविधा वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन।

निरीक्षणों का विनियमन एवं ऑन लाइन संचालन

1. रिस्क आधारित ऑन–लाईन निरीक्षण प्रणाली तथा शिकायत आधारित निरीक्षण की अनुमति ऑन–लाईन।

2. पारदर्शिता हेतु निरीक्षको का चयन रैंडम आधारित प्रणाली से करने की व्यवस्था की गई।

3. शिकायत/ अनुमति आधारित निरीक्षणों को ऑन लाइन जारी किया जा रहा है।

4. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत स्थापना में जहां 10 से कम श्रमिक हो वहां किसी भी श्रम अधिनियम में निरीक्षण श्रम आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जा रहा है।

5. कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सभी निरीक्षणों को अनिवार्यतः संयुक्त रूप से (ओद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक/श्रम अधिकारी द्वारा) संचालित करने के निर्देश हैं।

आम–जन तक सेवाओं की उपलब्धता

1. ऑनलाइन सेवाओं की श्रम विभागीय पोर्टल के माध्यम से तथा राज्य के लगभग 23 हजार MP-Online किओस्क तथा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से भी उपलब्धता हैं।

ऑनलाइन सेवाओं का सफलतम एकीकरण (Integration)

1. प्रथम चरण के अंतर्गत, भारत सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल से दिसम्बर 2017 से इंटीग्रेशन किया गया एवं राज्य के सभी कार्यशील कारखानों को यूनिक लेबर आईडेन्टिफिकेशन नंबर (LIN) जारी किए गए।

2. श्रम विभाग को मध्यप्रदेश शासन के इन्वेस्ट पोर्टल से जोड़ कर श्रम सेवा पोर्टल की 5 मुख्य सेवाओ को जोड़ा गया।

नवाचार की पहल

1. मध्यप्रदेश "लिबर्टी पोर्टल" आरंभ कर बंधुआ मजदूरों की विमुक्ति एवं पुनर्वास की ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू करने वाला मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य बना।

विभिन्न मंडलों की पहल

1. श्रमोदय विद्यालयों के अंतर्गत भर्ती किये जाने वाले विद्यार्थी को संपूर्ण एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन।

2. प्रदेश में दिसंबर 2018 तक लगभग 11 लाख 89 हजार नवीन निर्माण श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया।

3. मध्यप्रदेश राज्य में कार्यरत करोडों असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिये माह अप्रैल, 2018 से चलाया गया विशेष अभियान अत्यंत सफल रहा है। इस अभियान के दौरान अल्प अवधि में प्रदेश के 2 करोड 20 लाख श्रमिकों ने अपना पंजीयन कराया है।

बंधक एवं बाल श्रम पुनर्वास

1. बंधक श्रम प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रदेश के 51 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया गया।

2. राज्य के 51 जिलों में बंधक श्रम पुनर्वास निधि समिति का (कारपसफण्ड) गठन किया गया है। 51 जिलों को रुपये 284.00 लाख की राशि आवंटित की गयी है।

3. बंधक एवं बाल श्रमिको की विमुक्ति एवं पुनर्वास के संबंध में किये गये प्रयास तथा विमुक्ति की कार्यवाही में मानक प्रचलन प्रक्रिया (SOP) का समावेश करते हुए बुकलेट्स जारी की गयी।

4. बंधक श्रम विषय पर राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन एवं लिबर्टी पोर्टल प्रारंभ किया गया तथा बाल श्रम विषय पर यूनिसेफ के साथ इन्दौर में राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन।

5. बंधक श्रम एवं बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में जनजागरण अभियान चलाया गया।

6. राज्य शासन से समन्वय स्थापित कर नयी बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016 के क्रियान्वयन हेतु 2 करोड़ 84 लाख का बजट उपलब्ध करवाया गया।

7. बंधक श्रम पर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल द्वारा चयनित जिलों में मूल्याकंन अध्ययन का कार्य किया जा रहा हैं।

8. बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रत्येक जिले के एक श्रम निरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

औद्योगिक संबंध

1. राज्य में औद्योगिक संबंधों की स्थिति सौहार्दपूर्ण। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत 6 औद्योगिक इकाईयों में उत्पन्न श्रमिक विवाद एवं गतिरोध की स्थिति त्वरित विभागीय हस्तक्षेप से समाप्त कराई गई।

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 34 के अंतर्गत श्रम न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड का परिपालन न होने के कारण श्रमिक हित में 64 प्रकरणों में अभियोजन दायर करने की स्वीकृति दी गई एवं 70 प्रकरणों में श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का परिपालन करवाया गया।

3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 सी–1 के अंतर्गत 35 प्रकरणों में श्रमिकों के हित में रु. 7 करोड़ 77 लाख के राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये।

प्रवर्तन

1. राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों में श्रमिक हितैषी प्रावधानों का परिपालन सुनिश्चित कराया गया।

2. निरीक्षण कार्य पूर्णतः अनुमति आधारित ऑन लाइन किया जाकर पारदर्शिता लायी गयी। अनावश्यक निरीक्षणों पर रोक।

3. वर्ष 2018–19 में विभिन्न श्रम कानूनों में 3593 निरीक्षण किये गये तथा उल्लंघन पाये जाने पर 644 अभियोजन तथा कम भुगतान के प्रकरणों में 218 दावे सक्षम न्यायालयों में दायर।

4. वर्ष 2018–19 में कारखाना अधिनियम में श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि. से 708 निरीक्षण किये गये तथा उल्लंघन पाये जाने पर 149 अभियोजन सक्षम न्यायालयों में दायर।

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, मध्य प्रदेश

1. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के 1013 आप्रेशन्स किये गये है ।

2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये जुलाई 2001 से स्थापित रिवाल्विंग कॉरपस फण्ड व्यवस्था कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनॉक 31.3.2015 से समाप्त करते हुए, एसिक ऑपरेशन मेन्युअल 2015 द्वारा भुगतान रहित व्यवस्था दिनॉक 1.4.2015 से प्रारम्भ की गई है । जिसके अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न अनुबंधित चिकित्सालयों में हितग्राहियों के सैकेण्डरी केयर उपचार अन्तर्गत 13,931 प्रकरणों में रूपये 5,78,71,322/– के भुगतान की स्वीकृति_जारी की गई ।

3. सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के 0–18 वर्ष आयु के बच्चों का विभागीय औषधालय एवं चिकित्सालय के माध्यम से 124 शिविर आयोजित कर 7856 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है ।

4. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के हितग्राहियों को सुपरस्पेशिलिटी उपचार हेतु निगम द्वारा सीलिंग से बाहर व्यय के अन्तर्गत केश लेस सुविधा दिनॉक 1.9.2015 से पुनः उपलब्ध कराना प्रारंभ किया गया है, जो निरन्तर है ।
5. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा 8,750 मरीजों को अंतरंग एवं 13,79,993 मरीजों को बाह्य उपचार उपलब्ध कराया गया ।

6. हिपेटाईटिस ''बी'' से बचाव के लिये बीमितों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिये हिपेटाईटिस–बी का विशेष सत्र औद्योगिक इकाईयों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 519 हितग्राहियों को टीकें लगाये गये है ।

7. परिवार कल्याण व टीकाकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 404 नसबन्दी शल्य कियाऐं सम्पन्न की गई व 7,273 लाभार्थियों को विभिन्न रोगों के रोग निरोधक टीके लगाये गये ।

8. प्रदेश के सभी जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार हेतु राज्य शासन द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को स्वंय प्रारम्भिक चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिसके प्रकाश में भारत शासन की अधिसूचना दिनॉक 9.8.2016 द्वारा 22 क्षेत्रों में योजना व्याप्त करते हुए निगम द्वारा 30 स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं की नियुक्ति कर दी गई है एवं अन्य अव्याप्त 29 जिला मुख्यालयों हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है ।

9. योजना में व्याप्त हितग्राहियों को अस्पताल में भर्ती होने पर पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध कराने हेतु भोजन दर सामान्य मरीजों हेतु रूपये 30/— से बढ़ाकर रूपये 44/— प्रतिदिन व प्रसूता महिलाओं हेतु रूपये 94/— प्रतिदिन कर दिया गया है ।

10. भोपाल, ग्वालियर व क्षय चिकित्सालय तथा ग्वालियर के एक व इन्दौर के 3 औषधालयों में विशेष मरम्मत के कार्य प्रारंभ कर दिये गये ।

* * *

अध्याय–1
श्रम विभाग की भूमिका

1.1. प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में मुख्य कार्यशील जनसंख्या, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक तथा कुल श्रमिकों में उनका प्रतिशत, आदि आंकडे इस प्रकार हैं।

तालिका 1.1

म.प्र. की मुख्य कार्यशील जनसंख्या एवं श्रमिकों में वर्ग विशेष का प्रतिशत आदि (लाखों में)

श्रमिकों में वर्ग		नियोजित व्यक्तियों की संख्या	कुल जनसंख्या में प्रतिशत	कुल श्रमिकों में वर्ग विशेष का प्रतिशत
कुल जनसंख्या		726.27	100.00	230.02
कुल कर्मी		315.74	च43.47	100.00
दीर्घकालिक कर्मी		227.02	31.26	71.90
	काश्तकार	82.15	11.31	26.02
	खेतीहर मजदूर	66.31	9.13	21.00
	पारिवारिक उद्योग कर्मी	6.48	0.89	2.05
	अन्य कर्मी	72.09	9.93	22.83
अल्पकालिक कर्मी		88.72	12.22	28.10
	काश्तकार	16.29	2.24	5.16
	खेतीहर मजदूर	55.61	7.66	17.61
	पारिवारिक उद्योग कर्मी	3.12	0.43	0.99
	अन्य कर्मी	13.69	1.88	4.34
गैर कर्मी		**410.53**	**56.53**	**130.02**

1.2. संविधान के सुसंगत प्रावधान

भारत के संविधान के ''मूल अधिकार'' और ''राज्य की नीति के निदेशक तत्व'' संबंधी अध्यायों में वे सिद्धांत विहित हैं, जिन पर राज्य की श्रम नीति आधारित होगी। तत्संबंधी उद्धरण **परिशिष्ट–1.1** पर संलग्न है, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं :–

- संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें निर्बाध परंतु शांतिपूर्ण ढंग से सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) की स्वतंत्रता शामिल है
- बलात् श्रम का और कारखानों, खदानों तथा जोखिम–युक्त नियोजनों में बाल श्रम का निषेध,

- पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन,
- कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति की तथा बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से रक्षा,
- काम की न्याय–संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता हेतु उपबंध,
- सभी कामगारों के लिये निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन–स्तर, आदि सुनिश्चित किया जाना, और
- उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी।

''श्रम'' संबंधी अधिकांश महत्वपूर्ण विषय संविधान की समवर्ती सूची में हैं, जिसकी सुसंगत प्रविष्टियों का उद्धरण निम्नानुसार है :–

22. व्यापार संघ; औद्योगिक और श्रम विवाद
23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नियोजन और बेकारी
24. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशायें, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं।

समवर्ती सूची के उक्त विषयों पर कानून बनाने के लिये संसद और राज्य के विधान–मंडल दोनों सक्षम हैं।

1.3. महत्वपूर्ण श्रम कानून

संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में अनेक श्रम कानून बनाये गये हैं। इनमें से मध्य प्रदेश के लिये प्रासंगिक महत्वपूर्ण श्रम कानूनों की एक सूची निम्नानुसार है (इस सूची में उल्लिखित जिन कानूनों के नाम ''मध्य प्रदेश'' से आरंभ होते हैं, वे राज्य अधिनियम हैं, तथा शेष केंद्रीय अधिनियम हैं) :–

1. औद्योगिक संबंध विषयक कानून

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
2. मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960
3. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926
4. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
5. मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961

2. मजदूरी (पारिश्रमिक) संबंधी कानून

6. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
8. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

3. औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सामान्य कानून

9. कारखाना अधिनियम, 1948
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986–विशेषतः उसके अंतर्गत बनाये गये निम्नलिखित नियम :
(क) परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989
(ख) रासायनिक दुर्घटना (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996
11. खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983

4. कतिपय विशिष्ट प्रकार के नियोजनों में कार्यदशाओं के विनियमन संबंधी कानून

12. मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958
13. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966

14. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
15. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
16. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
17. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979
18. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976
19. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955
20. सिने कर्मकार तथा सिनेमागृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981

5. **महिला समानता एवं सशक्तिकरण संबंधी कानून**

22. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
23. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

6. **श्रमिकों के कमजोर वर्गों से संबंधित कानून**

24. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976
25. बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
26. बाल (श्रम–गिरवीकरण) अधिनियम, 1933
27. मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003

7. **सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून**

28. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
29. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
30. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
31. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972

8. **श्रम कल्याण निधियों संबंधी कानून**

32. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1996
33. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 } तथा संबंधित
34. लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान } उपकर
कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 } अधिनियम
35. चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1972
36. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982
37. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982

9. **विविध**

38. श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988

उपर्युक्त में से कुछ अधिनियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पूरी तरह केन्द्र सरकार की और कुछ की पूरी तरह राज्य सरकार की है, जबकि कतिपय अधिनियमों के क्रियान्वयन में केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की भूमिका है। इस संबंध में अधिनियम–वार जानकारी **परिशिष्ट–1.2** में दी गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों को समेकित कर चार लेबर कोड निर्मित करने की प्रक्रिया जारी है।

1.4. विभागीय संरचना तथा सामान्य जानकारी :—

राज्य के श्रम विभाग का मुख्य दायित्व विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से श्रमिकों के शारीरिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण करना है। इसके आधार पर प्रदेश को एक सक्षम श्रम शक्ति प्राप्त होती है जो कि औद्योगिक विकास में अपना प्रभावी योगदान देती है।

विभाग श्रमायुक्त संगठन के माध्यम से विभिन्न अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवा–शर्तो का विनियमन करता है जिससे श्रमिकों के वेतन एवं कार्यदशाएं समुचित रहती हैं तथा औद्योगिक विवाद का निराकरण कर औद्योगिक शांति स्थापित करता है। इसके साथ ही औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है जिससे आकस्मिक रूप से श्रमिक दुर्घटना के शिकार न हों, एवं उन्हें समुचित कार्यदशा कार्य करने के लिये उपलब्ध हो सके।

श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिये विभाग कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के माध्यम से श्रमिकों को स्वास्थ सुरक्षा उपलब्ध कराता है। असंतोष एवं अनिर्णय की स्थिति में अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय के अंतर्गत श्रम न्यायपालिका के माध्यम से श्रमिकों को सुलभ न्याय प्राप्त होता है।

1.5. प्रदेश में पंजीकृत कारखानों एवं स्थापनाओं की जानकारी

प्रदेश में कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत एवं अन्य अधिनियमों पंजीकृत कारखानों तथा श्रमिकों की नियोजन क्षमता की जानकारी की जानकारी 31.12.2018 की स्थिति में निम्नानुसार है:—

तालिका 1.2

क.	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या	श्रमिकों / कर्मचारियों की संख्या, जो अनुज्ञप्ति / पंजीयन प्रमाण–पत्र में उल्लिखित है
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	6459	—	621286
2.	म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	252819	—	131791
3.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन अधिनियम, 1970)	1013	2804	275566
4	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	364	—	2777
5	बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966	254	—	197063
6	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो विनियमन) अधिनियम, 1996	1647	—	150066
7	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तें), 1979	53	71	6690

(उपर्युक्त आंकड़ों का संभाग एवं जिले–वार विवरण परिशिष्ट– 4.1, 7.1, 8.1, 10.1, 10.3 एवं 10.4, 10.5 में देखा जा सकता है।)

* * *

अध्याय–2
विभागीय संरचना एवं बजट – एक विहंगावलोकन

श्रम विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार तीन विभागाध्यक्ष संगठन और पांच संविधिक मंडल कार्यरत हैं :–

विभागाध्यक्ष

1. श्रमायुक्त (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सहित)
2. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें
3. पंजीयक, औद्योगिक न्यायालय

उपर्युक्त तीनों विभागाध्यक्षों का मुख्यालय, इंदौर में है।

संविधिक मंडल

1. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल, भोपाल
2. मध्य प्रदेश स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर
3. मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल
4. म.प्र.शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल
5. म.प्र.ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

उक्त विभागाध्यक्ष संगठनों और संविधिक मंडलों के बारे में संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है।

2.1 श्रमायुक्त संगठन

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम,1960 की धारा 3 और 6 में प्रावधान है कि राज्य शासन प्रदेश के लिये एक श्रमायुक्त नियुक्त करेगा तथा उनकी सहायता के लिये आवश्यक संख्या में उपश्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी आदि नियुक्त करेगा। तद्नुसार प्रदेश में श्रमायुक्त संगठन कार्यरत है। राज्य शासन ने श्रमायुक्त को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत ''मुख्य संराधक'' भी नियुक्त किया है। श्रमायुक्त संगठन, जिसका मुख्यालय इन्दौर में है, के अधीन मुख्य रूप से दो शाखायें कार्यरत हैं एक शाखा श्रम कानूनों का प्रवर्तन, श्रमिक हित संरक्षण एवं औद्योगिक संबंध विषयक कार्य करती है, तथा दूसरी शाखा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कार्य संपादित करती है।

मुख्यालय में उक्त प्रथम शाखा के अंतर्गत वर्तमान में एक अपर श्रमायुक्त, दो उप श्रमायुक्त, एक सहायक श्रमायुक्त, पांच श्रम पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी पदस्थ हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये अपर श्रमायुक्त का एक पद श्रम विभागीय आदेश दिनांक 15.6.2011 द्वारा सृजित किया गया है, जो वर्तमान में रिक्त हैं।

प्रदेश के (नवगठित निवाडी जिले को छोडकर) अन्य सभी जिलों में श्रम कार्यालय स्थापित हैं। सभी कार्यालयो में श्रम पदाधिकारी अथवा सहायक श्रमायुक्त की पदस्थापना होने तक इन जिलों का प्रभार समीपस्थ जिले अथवा सहायक श्रम पदाधिकारी स्तर के पदस्थ अधिकारी द्वारा देखा जाता है। दो जिलों (धार एवं भिण्ड) में दो–दो कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें एक–एक जिला मुख्यालय पर तथा दूसरा प्रमुख औद्योगिक केन्द्र (क्रमशः पीथमपुर एवं मालनपुर) पर स्थित है।

प्रदेश के 52 जिलों में से 10 संभागीय कार्यालयों (इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सतना, सागर, नर्मदापुरम संभाग–होशंगाबाद, शहडोल एवं चंबल संभाग–मुरैना) एवं 01 जिला सिंगरोली में सहायक श्रमायुक्त स्तर के तथा शेष 42 कार्यालय श्रम पदाधिकारी स्तर के हैं। वर्तमान में संभागीय व्यवस्था पुनर्जीवित होने से संभाग स्तर पर पदस्थ सहायक श्रमायुक्त संभागीय स्तर का कार्य भी देख रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों के श्रम कार्यालयों की जानकारी **परिशिष्ठ 2.1** में देखी जा सकती है।

2.2 औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा शाखा संचालक के प्रभार में है। उनके अधीन मुख्यालय में एक संयुक्त संचालक, एक उप संचालक तथा सहायक संचालक के दो पद स्वीकृत हैं। ये सभी तकनीकी पद हैं। इंदौर में औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हैं। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारी अभियांत्रिकी स्नातक होते हैं। इनके निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं:–

1.	संचालक	01	2.	संयुक्त संचालक	03
3.	उप संचालक	12	4.	सहायक संचालक (टिप्पणीः– वर्तमान में 10 सहा.संचालक कार्यरत है।)	25

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्य के लिए तीन झोनल संयुक्त संचालक (1. भोपाल, 2 इंदौर तथा मुख्यालय इंदौर में) तथा ग्यारह (स्वंतत्र) संभागीय उपसंचालक के कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित हैं –

1. इंदौर, 2. उज्जैन, 3. देवास, 4. खण्डवा, 5. भोपाल, 6. जबलपुर, 7. सतना, 8. ग्वालियर, 9. मुख्यालय, इंदौर 10. बीना (जिला सागर), 11. सिंगरौली।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक स्वास्थ्य एवं विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर में स्थित हैं, जिसके प्रभारी उप संचालक है। मन्दसौर में एक उप क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित है, जिसके प्रभारी सहायक सचांलक हैं। विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 2.2** में देखी जा सकती है।

2.3 कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) सेवायें

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें संचालित है, जिसका संचालनालय इन्दौर में है तथा संचालक इसके विभागाध्यक्ष है। मुख्यालय में उनके अधीन दो उप संचालक तथा एक सहायक संचालक के पद स्वीकृत है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना वर्तमान में प्रदेश के 20 केन्द्रों पर संचालित है, जो पॉच क्षेत्रीय उप संचालकों के अन्तर्गत कार्य करते है। प्रदेश के 20 जिलों में 20 केन्द्रों पर 42 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, 3 पैनल क्लिनिक, 5 सामान्य चिकित्सालय (उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल देवास एवं नागदा) 1 क्षय चिकित्सालय (इन्दौर) तथा 1 एनेक्सी वार्ड (मन्दसौर) स्थापित है। कार्यरत क.रा.बी.संस्थाओं की संभाग, जिलें एवं केन्द्र–वार सूची **परिशिष्ट– 2.3** में दी गई है। प्रदेश में जिन केन्द्रों पर विभाग के चिकित्सालय कार्यरत नही है वहॉ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 16

चिकित्सालयों में 96 सामान्य तथा 46 क्षय, शैय्याओं का आरक्षण कर अंतरंग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

एसिक ऑपरेशन मेन्युअल 2015 का पालन करते हुए भुगतान रहित द्वितीयक व सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत हितग्राहियों के द्वितीयक उपचार एवं जॉच हेतु संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाऐं द्वारा निजी क्षेत्र के 60 निजी संस्थानों को अनुबंधित किया गया है। सुपरस्पेशिलिटी उपचार व जॉच हेतु अनुबंध की कार्रवाई वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम म0प्र0 द्वारा की गई है ।

2.4. औद्योगिक न्यायालय

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदेश में औद्योगिक न्यायालय स्थापित है। इसका मुख्यालय इन्दौर में है तथा 4 खंडपीठें क्रमशः जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल एवं रीवा में स्थापित हैं। औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य न्यायाधीशों के पद स्वीकृत है, जिनमें से 2 मुख्यालय इन्दौर में, एवं 4 खंडपीठों के लिए है। औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7–क के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी नियुक्त हैं।

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8, सहपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अंतर्गत प्रदेश में 25 श्रम न्यायालय गठित हैं इनके नाम और कार्यक्षेत्र परिशिष्ट 2.4 में देखे जा सकते हैं जिनमें से 23 श्रम न्यायालय नियमित रूप से कार्यरत हैं। जिन श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त हैं, वहां का प्रभार अन्य निकटस्थ श्रम न्यायालय में कार्यरत पीठासीन अधिकारी को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। मुख्यालय पर प्रशासकीय व कार्यपालक कार्य के लिए एक पंजीयक है, जो न्यायिक कार्य के लिए कराधान अधिकारी भी है। खंडपीठों में संयुक्त पंजीयक, प्रशासकीय अधिकारी हैं।

2.5. सांविधिक मण्डल

श्रम विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में निम्नलिखित पांच सांविधिक मण्डल कार्यरत हैं :–

1. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल
2. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर
3. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल
4. म.प्र. शहरी असंगठित कर्मकार मण्डल
5. म.प्र. ग्रामीण असंगठित कर्मकार मण्डल

2.5.1. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982, के अंतर्गत गठित है। म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के प्रावधान उन्ही स्थापनाओं पर लागू है जहा 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। माइक्रो इंडस्ट्रीज को उक्त अधिनियम से छूट प्राप्त है। म.प्र. श्रम कल्याण का मंडल का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों तथा उनके परिजनों के कल्याण हेतु कल्याण योजनायें/गतिविधियॉं संचालित करना है। इसके लिये अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उक्त निधि में एकत्र राशि से मंडल विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करता है। मंडल के संचालक मंडल में धारा 4 तथा नियम 5 के अनुसार नियोजकों के 6 प्रतिनिधि, श्रमिकों के 6 प्रतिनिधि तथा 7 स्वतंत्र सदस्य जिनमें कम से कम 1 महिला सदस्य रखे जाने का प्रावधान है। सदस्यों का कार्यकाल धारा 4 की उपधारा 4 के अनुसार 3 वर्ष होगा। वर्तमान मे माननीय श्रम मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया मंडल के अध्यक्ष है। मंडल के कल्याण आयुक्त उप श्रम आयुक्त है।

2.5.2. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल

मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत मंदसौर जिले में स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिये एक निधि की स्थापना की गई है। इसके संचालन के लिये एक मंडल गठित है, जिसका कार्यकाल तीन वर्ष होता है। मंडल में अध्यक्ष तथा सचिव के अलावा नियोजकों एवं कर्मकारों के तीन–तीन प्रतिनिधि तथा तीन स्वतंत्र सदस्य होते हैं। वर्तमान में माननीय श्रम मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया मंडल के अध्यक्ष हैं। मंडल के सचिव सहायक श्रम आयुक्त है।

2.5.3. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 18 सहपठित म0प्र0 नियम 2002 के नियम 251 के अंतर्गत मण्डल का गठन प्रथम बार राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 09 अप्रैल 2003 द्वारा किया गया था। तदुपरांत मण्डल का कार्यकाल (3 वर्ष) पूर्ण होने पर अधिसूचना द्वारा समय समय पर पुनर्गठन किया गया हैं। मण्डल में प्रमुख सचिव, श्रम कल्याण आयुक्त, (भारत सरकार) जबलपुर तथा मुख्य निरीक्षक एवं श्रमायुक्त पदेन सदस्य के अलावा मण्डल में राज्य शासन के विभागो का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्य, भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य तथा भवन कर्मकारो के नियोजको का प्रतिनिधत्व करने वाले पांच सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते है। वर्तमान में माननीय श्रम मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया मंडल के अध्यक्ष है। मंडल के सचिव उप श्रम आयुक्त है।

2.5.4 म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों (शहरी/ग्रामीण) के कल्याण हेतु मण्डल का गठन म. प्र. राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2008 द्वारा किया गया। राज्य शासन द्वारा दिनांक 25.01.2016 को अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। दिनांक 20 जनवरी 2018 को पुनः कार्यकाल 2 वर्षो के लिये बढाया गया।

असंगठित श्रमिको के लिए बजटीय प्रावधान मंडल को न किया जाकर श्रम विभाग को किया गया है। मंडल द्वारा विभिन्न विभागों, जिनके द्वारा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है से समन्वय स्थापित कर तथा डाटा कलेक्ट कर श्रमायुक्त म.प्र. शासन को उपलब्ध कराया जाता है। मंडल के सचिव उप श्रमायुक्त है।

2.6. ग्राम सभाओं को सौंपे गए कृत्य

2.6.1 ग्राम–स्तर पर श्रम विभाग से संबंधित कार्य ग्राम सभा की ''ग्राम विकास समिति'' नामक स्थायी समिति को सौंपे गए हैं। ये कार्य मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित हैं:–

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,
2. बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,
3. समान पारिश्रमिक अधिनियम,
4. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, और इस संबंध में अधिक विवरण अध्याय 5, 6 एवं 8 में दिया गया है।

2.7 कम्प्यूटरीकरण

सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग के साथ प्रक्रियाओं एवं प्रपत्रों का सरलीकरण करते हुए समस्त पंजीयन, अनुज्ञप्ति, निरीक्षण प्रक्रिया, बंधक मजदूरी पर नियंत्रण एवं उनके उन्मूलन संबंधित सभी सेवाओं को ऑन–लाईन कर दिया गया है। विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा निरंतर प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु अग्रसर है। इस संबंध में कियें गए उत्कृष्ट प्रयासों एवं कार्यों की प्रशंसा भारत सरकार स्तर पर भी की जा रही है।

"ईज–ऑफ–डूईंग–बिजनेस" की उपलब्धियां :

1. ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत श्रम विभागीय पोर्टल–''श्रम–सेवा'' www.labour.mp.gov.in / www.shramsewa.mp.gov.in पर सिंगल विन्डो के माध्यम से सभी सेवाओ एवं हित लाभ वितरण की व्यवस्था।
2. कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन कारखानों के निरीक्षण के लिए तृतीय पक्ष को अधिकृत किया गया है।
3. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन, नवीनीकरण एक कार्य दिवस में जारी किया जा रहा है ।

जनसामान्य तक सेवाओं की उपलब्धता

1. सभी कार्यालयो को सरकारी डोमेन (mp.gov.in) पर ई–मेल की उपलब्धता।
2. पोर्टल द्वारा "आप पर लागू श्रम कानूनों" को जानने की सुविधा उपलब्ध कराई गयी ताकि सभी कानूनों/अधिनियमों के अंतर्गत अनुपालन किया जा सके।

नवाचार की पहल

नवाचार के दृष्टिगत निम्नलिखित अधिनियमों में प्राप्त आवेदनों को 7 कार्य दिवस में निपटारा किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी।

- ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदारो की अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण।
- ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन/संशोधन ।
- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम,1996 के अंतर्गत स्थापनाओं का पंजीयन/संशोधन।
- मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम,1961 तथा मध्यप्रदेश नियम, 1963 के अंतर्गत प्रतिष्ठानों का पंजीयन/नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण।
- अंतर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदारों की अनुज्ञप्ति/ नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण।
- अंतर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन/ संशोधन।

श्रम विभागीय सेवाओ के मोबाइल एप

शासन द्वारा विभिन्न श्रम विभागीय सेवाओ को "डिजिटल इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल एप के माध्यम से नागरिको को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। श्रम विभागीय सेवाओ के मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। वर्तमान में "एम–श्रम सेवा एप" के माध्यम से श्रम–विभाग की महत्वपूर्ण सेवाएँ नागरिकों हेतु उपलब्ध रहेगी

ई–गवर्नेन्स एवं प्रोसेस री–इंजीनियरिंग के प्रयासों को सराहना एवं पुरस्कार

विभाग के ई–गवर्नेन्स एवं प्रोसेस री–इंजिनीयरिंग के प्रयासों को विभिन्न स्तरों से सराहना एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनकी संक्षेप में जानकारी निम्नवत है :–

(1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु सरकारी प्रकिया पुनः अभियांत्रिकी (जी.पी. आर.) में उत्कृटता हेतु प्रथम पुरस्कार।

(2) ईज ऑफ डूईग बिजनेस 2017–18 में मध्यप्रदेश राज्य 97.30 प्रतिशत अंकों के साथ अग्रणी 7 राज्यों में शामिल। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा श्रम विभाग के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अनुपालनों को 100 प्रतिशत स्वीकृत किया गया।

(3) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु सरकारी प्रकिया पुनः अभियात्रिकी (जी.पी. आर) में उत्कृष्टता हेतु रजत पुरस्कार।

(4) स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स सिटीजन्स सर्विस डिलीवरी पोर्टल 2015

(5) स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट फॉर लेबर रिफॉर्म्स 2015

(6) सीएसआइ–निहिलेंट ई–गवर्नेन्स अवार्ड फॉर श्रम सेवा पोर्टल 2014–15

(7) ईज ऑफ डूईग बिजनेस हेतु विश्व बैंक द्वारा भी श्रम विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा की गई पहल को सराहा गया है।

(8) मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2014–15 हेतु सरकारी प्रकिया पुनः अभियात्रिकी (जी.पी. आर.) में उत्कृष्टता हेतु प्रथम पुरस्कार।

(9) मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2013–14 हेतु एक्सिलेंस इन ई–गवर्नेन्स इनिशिएटिवज फॉर श्रम सेवा पोर्टल

श्रम विभाग की समस्त गतिविधियों से संबंधित जानकारी विभागीय वेब पोर्टल www.labour.mp.gov.in/www.shramsewa.mp.gov.in पर नियमित रूप से अपलोड की जाती है।

2.8 बजट प्रावधान

श्रम आयुक्त संगठन, श्रम न्याय पालिका एवं कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएॅ के लिए विगत तीन वर्षों के बजट प्रावधान तथा उनके विरूद्ध व्यय की जानकारी परिशिष्ट–2.5 में दर्शायी गयी है।

* * *

अध्याय–3
औद्योगिक संबंध

3.1. सामान्य

प्रदेश में औद्योगिक संबंधों के नियमन के लिये दो प्रमुख श्रम कानून लागू हैं:– मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947। मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 प्रदेश की ऐसी समस्त अनुसूचित औद्योगिक इकाइयों पर लागू है, जहां विगत एक वर्ष में 100 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित उद्योगों की सूची **परिशिष्ट–3.1** में दी गई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जो केंद्रीय अधिनियम है, प्रदेश की शेष ऐसी इकाइयों पर लागू है, जो मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित उद्योगों की सूची में नही हैं अथवा जहां 100 से कम संख्या में श्रमिक नियोजित हैं।

जब कभी किसी उद्योग में हड़ताल, तालाबंदी आदि की संभावना होती है या उसकी स्थिति उत्पन्न होती है तो श्रम विभाग के अधिकारी श्रमिक और नियोक्ता पक्षों से लगातार चर्चा कर समस्या का सौहार्द्रपूर्ण विधि अनुकूल हल निकालने और औद्योगिक शांति बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

3.2. औद्योगिक विवाद की स्थिति में सुलह कार्यवाही

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में उद्योग में किसी एक बहुसंख्य श्रमिक सदस्यता वाले श्रमिक संघ को, शासन द्वारा नियुक्त पंजीयक, प्रतिनिधि संघ, के द्वारा मान्यता दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के कारण उद्योगों में विभिन्न पंजीकृत श्रमिक संघों में प्रजातांत्रिक प्रतियोगिता रहती है। उक्त अधिनियम में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में, वरीयता क्रम में मान्यता प्राप्त यूनियन, पंजीयत यूनियन और इन दोनों की अनुपस्थिति में श्रम पदाधिकारी को श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने, ''परिवर्तन'' की सूचना देने तथा विवाद की सूचना देने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में सुलह कार्यवाही को अनिवार्य बनाया गया है ताकि यथासंभव हड़ताल या आंदोलन की स्थिति निर्मित न हो।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, में सभी श्रमिक संघों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होता है। वे अपने सदस्य श्रमिकों के लिये मांगें प्रस्तुत करते हैं, जिन पर श्रम विभाग द्वारा मध्यस्थता कर सुलह के प्रयास किये जाते हैं।

श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों में त्वरित हस्तक्षेप कर जहां औद्योगिक अशांति का वातावरण दूर कर उत्पादन वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर श्रमिक प्रतिनिधियों तथा प्रबंधन के मध्य समझौतों के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर सहमति कराकर उसका क्रियान्वयन कराया जाता है।

उक्त दोनों अधिनियमों में विवादों के निराकरण की सिलसिले–वार ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें समझौता न हो सकने की स्थिति में भी हड़ताल टाली जा सके और औद्योगिक विवाद पर श्रम/औद्योगिक न्यायालय का अधिनिर्णय प्राप्त किया जा सके।

3.3. ले–ऑफ, छंटनी और बंदीकरण हेतु अनुमति

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, का अध्याय 5–ख विशेष रूप से ले–ऑफ, छंटनी और बंदीकरण के बारे में उन संस्थानों के लिये प्रावधान करता है जहां विगत एक वर्ष में प्रति कार्य दिवस, औसतन, 300 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। इस अध्याय के अंतर्गत नियोक्ता को ले–ऑफ, छंटनी अथवा बंदीकरण करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी को अनुमति हेतु आवेदन देना आवश्यक है। अनुमति के बिना ले–ऑफ, छंटनी अथवा बंदीकरण नहीं किया जा सकता। राज्य शासन ने ले–ऑफ एवं छंटनी के संबंध में अनुमति देने के अधिकार श्रमायुक्त को प्रत्यायोजित किये हैं, जबकि बंदीकरण हेतु अनुमति देने का अधिकार स्वयं शासन में वेष्टित है। बंदीकरण, छंटनी एवं ले–ऑफ की अनुमति के आवेदनों का निराकरण संबंधित पक्षों को सुनने के बाद गुण–दोषों पर किया जाता है। अध्याय 5–ख के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के किया गया ले–ऑफ, छटनी एवं बंदीकरण दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये अभियोजन की स्वीकृति दी जा सकती है ।

3.4 मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का कार्यान्वयन

औद्योगिक विवाद उद्भूत होने की दशा में सुलह अधिकारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के अंतर्गत औद्योगिक विवाद हस्तगत कर सुलह की कार्रवाई करते हैं। इसके असफल होने पर विवाद को श्रम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। प्रदेश में विगत वर्षो में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई की जानकारी **परिशिष्ट–3.2** में दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान सक्षम न्यायालय द्वारा समुचित शासन द्वारा प्रस्तुत शिकायत अथवा प्राधिकृत शिकायत पर ही लिया जा सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत स्वीकृत अभियोजन की जानकारी **परिशिष्ट 3.3** में दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 सी(1) के अंतर्गत जहॅा किसी समझौते या अधिनिर्णय के अधीन या (अध्याय 5 क या अध्याय 5 ख) के उपबंधों के अधीन किसी कर्मकार को नियोजक से कोई धन शोध्य हो, वहॅा स्वयं वह कर्मकार या उसके व्दारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या कर्मकार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसका कोई वारिस, उस धन की वसूली के लिये सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो वह उस रकम की भू–राजस्व की बकाया की तरह वसूली के लिये कलेक्टर को वसूली प्रमाण पत्र जारी करता है। उक्त धारा के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर जारी वसूली प्रमाण पत्र तथा उनमें निहित वसूली योग्य राशि की जानकारी **परिशिष्ट 3.4** में दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एम, 25 एन तथा 25 ओ के अंतर्गत क्रमशः ले–ऑफ, छंटनी तथा बंदीकरण की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी **परिशिष्ट 3.5** में दी गई है।

मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 31 के अंतर्गत कोई भी नियोजक, अथवा कर्मचारियों का कोई भी प्रतिनिधि किसी औद्योगिक विषय में परिवर्तन के संबंध में कोई सूचना/विवाद सुलह अधिकारी को दे सकता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर

क्षेत्रीय सुलह अधिकारी विवाद को हस्तगत कर सुलह की कार्यवाही सम्पादित करता है। सुलह न होने की स्थिति में विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 43 (5) में असफल घोषित कर विवाद को सम्बन्धित श्रम न्यायालय को संदर्भित करने हेतु मुख्य सलहाकार को प्रेषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 51 में श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय या बोर्ड को संदर्भित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई की जानकारी **परिशिष्ट–3.6** में दर्शाई गयी है।

श्रम विभाग प्रयास करता है कि औद्योगिक स्थापनाओं में हड़तालें तथा उनके कारण होने वाली मानव दिवसों की हानि कम से कम हों। प्रदेश में औद्योगिक स्थापनाओं में विगत वर्षो में हड़ताल के परिणाम के फलस्वरूप मानव दिनों की हानि संबंधी जानकारी तालिका क्रमांक 3.1 में दर्शाई गई हैः–

तालिका 3.1

वर्ष	हडतालों संख्या	मानव दिनों की हानि
2015–16 मार्च	14	53351
अप्रैल 2016 से मार्च 17 तक	13	171430
अप्रैल 2017 से मार्च 18 तक	10	34976
अप्रैल 18 से दिसंबर 18 तक	06	105365

3.5. मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञायें) अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन

यह अधिनियम पूर्व में ऐसे औद्योगिक संस्थानों तथा उपक्रमों पर लागू होता था जहां 20 से अधिक श्रमिक नियोजित हों। मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन(स्थाई आदेश) संशोधन अध्यादेश, 2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2014) के अन्तर्गत श्रमिक संख्या'' 20 से अधिक'' के स्थान पर '' 50 से अधिक'' संशोधित कर दी गयी है तथा सूक्ष्म उद्योगों को इस अधिनियम से मुक्त किया गया है। इस अधिनियम के तहत बने नियमों में '' मानक स्थाई आज्ञाओं'' का प्रावधान किया गया है । इनमें श्रमिकों का नियुक्ति पत्र, सेवा शर्ते, चयन की प्रकिया, कार्य के घन्टे, वर्गीकरण (जैसे स्थाई, अस्थाई, बदली, सीजनल) इत्यादि के बारे में प्रावधान किये गये है।इसके अलावा स्थाई आज्ञाओं के अन्तर्गत श्रमिक को टिकिट, जिसमें उसकी पाली का प्रारंभ होना तथा व्यक्तिगत विवरण अंकित रहता है, प्रदत्त किये जाने तथा अस्थायी श्रमिक को स्थाई होने की पात्रता तथा श्रमिक/कर्मचारी द्वारा अनुशासनहीनता किये जाने पर आरोप पत्र देने, विभागीय जांच करने तथा दण्ड दिये जाने संबंधी प्रावधान भी हैं।

अध्यादेश 2014 में यह भी प्रावधान जोडा गया है कि यदि सरकार मानक स्थाई आदशों में कोई संशोधन करती है तो वह किसी पंचाट, करार या समझौते में और किसी उपक्रम में लागू स्थाई आदेशों के प्रमाणित संशोधनों में सम्मिलित समझा जायेगा एवं उल्लंघनों के प्रशमन का प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप श्रमविभागीय अधिसूचना दिनांक 28.6.2014 द्वारा मानक स्थाई आज्ञाओं में सेवानिवृति आयु 60 वर्ष किये जाने बाबद संशोधन सभी पर लागू होगा। इसके अंतर्गत निरीक्षण के अधिकार सहायक श्रम पदाधिकारी तथा उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को ही दिये गये हैं, निरीक्षकों को नहीं। इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष में संपादित निरीक्षण/अभियोजन की जानकारी **परिशिष्ट–3.7** में दर्शाई गई है।

अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई उद्योग–विशेष, मानक स्थायी आज्ञाओं में कुछ संशोधन करना चाहता है तो वह अपना आवेदन प्रमाणीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। प्रमाणीकरण अधिकारी, श्रम संगठन एवं नियोजक की सुनवाई करके, अधिनियम की परिधि में, संशोधन किये जाने के आदेश प्रसारित करता है। आदेश से व्यथित पक्ष औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। औद्योगिक स्थापनाओं से स्थाई आदेशों और उनमें संशोधनों के प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई की जानकारी **परिशिष्ट–3.8** में दर्शाई गई है।

3.6 व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 का कार्यान्वयन

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 मुख्यतः श्रमिक संगठनों के पंजीयन के लिये निर्मित केन्द्रीय अधिनियम है। इस अधिनियम के अनुसार किसी संस्थान अथवा व्यवसाय में कार्यरत न्यूनतम 07 श्रमिक अपना संगठन पंजीकृत कराने की पात्रता रखते थे,परन्तु केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 09 जनवरी, 2002 द्वारा उक्त अधिनियम में किये गये संशोधन के अनुसार किसी संघ के पंजीयन के लिए आवेदन के दिनांक को, ऐसे संघ की सदस्यता,उस संस्थान अथवा व्यवसाय में कार्यरत कुल श्रमिकों के 10 प्रतिशत अथवा 100 श्रमिक,जो भी कम हो होना अनिवार्य है,किन्तु 70 अथवा इससे कम नियोजन पर न्यूनतम सदस्यता 07 आवश्यक है। पंजीयन का कार्य पंजीयक, व्यावसायिक संघ द्वारा किया जाता है। इसके लिये संगठन को अपने नियम (विधान), रसीद बुक,चंदे की दर तथा अपने प्रतिनिधित्व को स्पष्ट करना आवश्यक होता है। पंजीयक गुण–दोष के आधार पर संगठन का पंजीयन करते हैं अथवा आवेदन निरस्त करतें है। आवेदन निरस्त करने पर व्यथित श्रमिक संघ,औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। पंजीयक व्यावसायिक संघ को व्यावसायिक संघ अधिनियम द्वारा पंजीयक के रूप में कार्य करने तथा जांच करने के लिये प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के अधिकार प्रदत्त हैं। यह अधिनियम संगठन के अधिकारों के अलावा उसके दायित्वों को भी निर्धारित करता है। यथा अपना लेखा–जोखा तथा वार्षिक विवरण नियमित रूप से पंजीयक से अनुमोदित कराना इत्यादि। इसका पालन न करने की दशा में संगठन को कारण बताओ सूचना दी जाती है,और समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में पंजीयन निरस्त किया जा सकता है।

2– ऐसे श्रम संगठनों जिनके द्वारा निर्वाचन एवं वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाते उन्हें सुनवाई का अवसर देकर उनके पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है। इसके फलस्वरूप ऐसे त्रुटिकर्ता श्रम संगठनों की संख्या अब कम होती जा रही है। 31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति में प्रदेश में 3074 पंजीकृत श्रम संगठन हैं। विगत दो वर्ष में पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन,उनका निराकरण तथा पंजीयन निरस्तीकरण की जानकारी परिशिष्ट–''अ'' में प्रदर्शित है। अनेक पंजीकृत श्रम संगठन इण्टक,भारतीय मजदूर संघ,हिन्द मजदूर सभा,एटक,सीटू,एच.एम.के.पी. तथा यू.टी.यू.सी. जैसे केन्द्रीय श्रम संगठनों से संबद्ध हैं,परन्तु लगभग 60 प्रतिशत श्रमिक संगठन किसी भी केन्द्रीय श्रम संगठन से संबद्ध नहीं है।

3– व्यावसायिक संघ अधिनियम,1926 (यथा मध्यप्रदेश के लिये संशोधित) के अध्याय तीन–क में 15 प्रतिशत से अधिक सदस्यता वाले संघ को ''अनुमोदित संघ'' घोषित करने का अधिकार पंजीयक को है। अनुमोदित संघ,परिसर में चंदा एकत्रित करने,संगठन का नोटिस बोर्ड लगाने एवं कारखाना परिसर में चर्चा करने के लिये अधिकृत रहता है। अनुमोदित श्रम संगठनों की प्रदेश में संख्या 23 है।

4— व्यावसायिक संघ अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अलावा मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम,1960 के अन्तर्गत पंजीयक,प्रतिनिधि संघ किसी भी उद्योग में 25 प्रतिशत से अधिक सदस्यता वाले संघ को'' मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि संघ'' घोषित कर सकता है। यदि दो या इससे अधिक श्रम संगठनों की 25 प्रतिशत से अधिक सदस्य संख्या हो,तो अधिकतम सदस्य संख्या के आधार पर प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता दी जाती है। पूर्व में प्रदेश में 62 प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संघ थे। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 14.08.2007 द्वारा टेक्सटाइल,आयरन एण्ड स्टील,विद्युत सामग्री,शुगर,सीमेन्ट,विद्युत उत्पादन एवं वितरण,लोक मोटर परिवहन, इंजीनियरिंग उद्योग,पाटरीज,रसायन तथा चमड़ा उद्योग सम्मिलित हैं, को मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम,1960 की धारा 1(3) के अन्तर्गत सूची से पृथक किया गया है। फलस्वरूप अब प्रदेश में प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्राप्त 17 व्यावसायिक संघ हैं। मान्यता प्राप्त संघ,मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम,के अन्तर्गत नियोजक से औद्योगिक विवाद पर परिवर्तन सूचना तथा विवाद प्रतिवेदन प्रस्तुत कर वार्ता के माध्यम से समझौता करने हेतु एकमात्र अधिकृत संघ होता है। इससे बहुसंख्यक श्रम संगठनों की परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण औद्योगिक विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होती है तथा स्थाई औद्योगिक शान्ति को बढ़ावा मिलता है।

पंजीयक,प्रतिनिधि संघ,मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम,1960 के अन्तर्गत पक्षों के बीच द्विपक्षीय ठहराव एवं त्रिपक्षीय समझौतों का विधि अनुसार परीक्षण कर पंजीयन भी करता है। पंजीयक द्वारा पंजीयन न करने के आदेश दिये जाने पर व्यथित पक्ष औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। विगत दो वर्षो में पंजीकृत ठहराव एवं समझौतो की जानकारी तालिका—''परिशिष्ट—3.9'' में प्रदर्शित है।

***

अध्याय–4
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 2017–18

4.1 सामान्य

कारखाना अधिनियम, प्रथमतः वर्ष 1881 में प्रभावशील हुआ था। इसके पूर्व सामाजिक कार्यकर्तागण कारखानों का भ्रमण करते थे और मानवीय दृष्टि से कारखाना प्रबंधन को सलाह दिया करते थे। अधिनियम को प्रभावशील करने का उद्देश्य कारखानों में स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण संबंधी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में अत्यंत सीमित अधिकारों के साथ निरीक्षण किये जाते थे। समय के साथ–साथ अधिनियम में संशोधन होते गये और अधिक विस्तृत और सुस्पष्ट प्रावधान किये गये। निरीक्षक को भी अधिक अधिकार संपन्न बनाया गया। वर्तमान में कारखाना अधिनियम, 1948, लागू है, जो 1.4.49 से प्रभावशील हुआ। दिसम्बर, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात इसमें व्यापक संशोधन किये गये।

श्रमायुक्त के अंतर्गत कार्यरत औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय द्वारा कारखाना अधिनियम,1948, के अतिरिक्त कारखानों में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम,1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम,1936, मातृत्व हितलाभ अधिनियम,1961, परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989, तथा रासायनिक दुर्घटनायें (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996, के अंतर्गत निर्धारित उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है।

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही मुख्यतः आयुक्त, कर्मकार क्षतिपूर्ति, अर्थात् श्रम न्यायालय द्वारा की जाती है। संचालनालय के अधिकारी, सलाहकार के रूप में उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं।

4.2. कारखाना अधिनियम, 1948

कारखाना अधिनियम, 1948 निम्नलिखित प्रकार के परिसरों पर लागू होता हैं:–

(1) जिसमें दस या अधिक श्रमिक कार्यरत हों या पूर्ववर्ती बारह माह के किसी भी दिन कार्यरत रहे हों और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता से कोई निर्माण (उत्पादन) प्रक्रिया चलाई जा रही हो, या साधारणतः चलाई जाती हो

अथवा

(2) जिसमें बीस या अधिक श्रमिक कार्यरत हों, या पूर्ववर्ती बारह माह के किसी भी दिन कार्यरत रहे हों और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता के बिना कोई निर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही हो या साधारणतः चलाई जाती हो।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत राज्य शासन ने निम्नलिखित प्रकार के परिसरों पर भी यह अधिनियम प्रभावशील किया है, जहां श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने या व्यवसायजन्य बीमारी से पीड़ित होने की संभावना रहती है–

(1) आरा मशीन
(2) चावल मिल
(3) तेल मिल
(4) स्लेट पेन्सिल उद्योग

(5) दाल मिल
(6) रासायनिक प्रक्रिया के ऐसे कारखाने जहॉ खतरनाक रसायन, अति ज्वलनशील,विस्फोटक या विषैले पदार्थ उपयोग में लाये जाते हों अथवा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जनित होते हों
(7) एस्बेस्टास उपयोग करने वाले कारखाने
(8) चूना भट्टे
(9) स्टोन क्रशर एवं पल्वराइजर

कारखाना अधिनियम, 1948, के स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण से संबधित प्रावधान उपर्युक्त परिसरों में लागू होते हैं। वर्ष 1987 के पूर्व, खतरनाक प्रक्रिया चलाने वाले कारखानों के लिये अधिनियम की धारा–87 के अंतर्गत नियम–107 में भिन्न–भिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के लिये विशेष प्रावधान थे, जो वर्तमान में भी हैं। वर्ष 1987 के पश्चात् अधिनियम में धारा–2 (सी.बी.) जोडकर अनुसूची–1 का प्रावधान किया गया, जो खतरनाक प्रक्रियाओं से संबधित है। इन प्रक्रियाओं को चलाने वाले कारखानों के लिये अधिनियम में एक नया अध्याय ''चार–ए'' जोडा गया, जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से विशेष प्रावधान किये गये। इसमें जहां एक ओर श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान हैं, वहीं दूसरी ओर ऑन साइट आपात योजना बनाये जाने का प्रावधान भी किया गया है। दंडात्मक प्रावधानों को भी अधिक कठोर बनाया गया है। अधिनियम की धारा 92, 94, 95, 96–ए, 98, एवं 99 में विभिन्न अपराधों के लिये दंडात्मक प्रावधान किये गये हैं।

4.2.2 कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 112 के साथ पठित धारा 41–ख के अन्तर्गत सितम्बर–2000, में मध्य प्रदेश कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मेजर एक्सीडेन्ट हेजार्ड नियम (CIMAH) अधिसूचित किये गये। ये नियम ''परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियम,1989'' के समरूप है जो केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम ,1986, के अन्तर्गत बनाये है। (देखे आगे पद 4.4.1)

4.2.3 वर्ष 2005–06 मे कारखाना अधिनियम के अर्न्तगत नवीन अनुज्ञप्ति जारी करने के अधिकार मुख्य कारखाना निरीक्षक को थे तथा 100 श्रमिको तक के कारखानो के लायसेन्स का नवीनीकरण के अधिकार उप मुख्य कारखाना निरीक्षक को प्रदत्त थे । शासन द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण के अधिकारो का विकेन्द्रीकरण कर लाइसेंस नवीनीकरण कार्य जोनल/संभागीय/उप संभागीय स्तर के कार्यालयो को प्रदत्त किया गया है । इसके अर्न्तगत निम्नानुसार अधिकारो का विकेन्द्रीकरण कर नवीनीकरण कार्य के अधिकार प्रत्यायोजित किये गए है :–

1. संचालक– धारा–2 एम के अंतर्गत 250 श्रमिकों से अधिक नियोजन वाले एवं अतिखतरनाक कारखानों के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार

2. संयुक्त संचालक –धारा 2 एम के अर्न्तगत 101 श्रमिको से 250 श्रमिकों तक नियोजन वाले कारखानो के लाइसेंस नवीनीकरण के अधिकार

3. उप संचालक –धारा 2 एम के अर्न्तगत 100 श्रमिको तक नियोजन वाले कारखानो के लाइसेंस नवीनीकरण के अधिकार

4. सहायक संचालक –धारा 85 के अर्न्तगत संगठित होने वाले 9 श्रमिकों तक नियोजन वाले कारखानो के लाइसेंस नवीनीकरण के अधिकार।

5. जहॉ पर सहायक संचालक पदस्थ नहीं है, वहां धारा–85 के अन्तर्गत लायसेंस नवीनीकरण उप संचालक भी जारी कर सकते है।

6. नवीन पंजीयन तथा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का कार्य दिनांक 23.07.15 से ऑन लाइन प्रारंभ कर दिया गया है।

7. कारखाना लाइसेंस नवीनीकरण का कार्य दिनांक 22.10.15 से ऑन लाइन प्रारंभ कर दिया गया है।

इस प्रकार लगभग 95 प्रतिशत लायसेन्स प्रकरणो से संबंधित कार्य झोनल/ संभागीय कार्यालयो व्दारा किया जाने लगा है जिससे कि कारखाना प्रबन्धन को अपने घर/कार्यालय या एम.पी. आन लाइन कियोस्को से ही आवेदन करना होगा वही दूसरी और नवीनीकरण कार्य विभिन्न कार्यालयो व्दारा एवं आन लाइन किये जाने से प्रकरणो का निराकरण भी त्वरित गति से होने लगा है।

8. सक्षम व्यक्तियों को सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने एवं उक्त के नवीनीकरण की प्रक्रिया दिनांक– 1.5.2017 से पूर्णतः आन लाईन कर दी गई हैं।

9. खतरनाक श्रेणी के कारखानों के ऑन साइट इमरजेन्सी प्लान को नोटिफाई करने की प्रक्रिया दिनांक– 20. 11. 2017 से पूर्णतः आन लाईन कर दी गई हैं ।

4.2.4 प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लागू ''एकल एजेंसी प्रणाली'' की अवधारणा के तहत, श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.1.2001 द्वारा उद्योग विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को कारखाना अधिनियम की धारा 6 (1) (aa) के तहत कारखानों के स्थल अनुमोदन की शक्तियां प्रदान की गई हैं :–

1. औद्योगिक केंद्र विकास निगमों के प्रबंध संचालक
2. जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधक

4.2.5 प्रदेश में गत चार वर्षों में नवीन पंजीकृत कारखानों की जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ष	नवीन पंजीकृत कारखाने	नियोजन क्षमता
2015–16	451	19873
2016–17	261	16784
2017–18	234	11016
2018–19 (31.12.18 तक)	268	12429

प्रदेश में दिनांक 01.01.2019 की स्थिति में 6459 पंजीकृत कार्यरत कारखाने थे, जिनकी नियोजन क्षमता 621286 थी। इन पंजीकृत कार्यरत कारखानों में 1356 कारखाने ''खतरनाक''/''अतिखतरनाक'' श्रेणी के हैं। प्रदेश में पंजीकृत कार्यरत कारखानों की जिलेवार जानकारी **(परिशिष्ट–4.1)** में दी गई है।

कुल पंजीकृत कार्यरत कारखानों की नियोजन क्षमता के आधार पर विभाजन की जानकारी निम्नानुसार है:–

संदर्भ तिथि	पंजीकृत कार्यरत कारखानों का नियोजन क्षमता के आधार पर विभाजन						
	10 से कम श्रमिक (धारा 85)	10–20 श्रमिक	21–50 श्रमिक	51–100 श्रमिक	101–250 श्रमिक	250 से अधिक श्रमिक	योग
1.1.2019	2042	1881	1357	457	364	358	6459

कारखाना अधिनियम के प्रवर्तन की दृष्टि से कारखानों के निरीक्षण नियमित रूप से किये जाते हैं। त्रुटिकर्ता कारखाना प्रबंधन के विरूध्द अभियोजन की कारवाई भी की जाती है। निरीक्षणो और, अभियोजनों का विवरण निम्नानुसार है:–

विवरण	2014–15	15–16	16–17	17–18	18–19 (31 दिसंबर तक
1. निरीक्षण	2270	2066	1609	843	498
2. दायर अभियोजन	142	153	103	140	108
3. निर्णित अभियोजन	98	41	24	27	18
4. आरोपित अर्थदंड (लाख रूपये में)	31.19	22.22	5.465	2.77	6.276

कारखाना अधिनियम की धारा 88 (नियम 108) के अंतर्गत कारखाना प्रबंधक को प्राणांतक या ऐसी दुर्घटना जिसके फलस्वरूप श्रमिक 48 घन्टे से अधिक कार्य से अनुपस्थित रहे या अग्नि दुर्घटना घटित हो, की सूचना मुख्य कारखाना निरीक्षक/निरीक्षक को दी जाना आवश्यक है। ऐसी दुर्घटनाओं की जानकारी **परिशिष्ट–4.2** में दर्शायी गई है।

मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 के अन्तर्गत कारखानों के पंजीयन एवं लाइसेंस के नवीनीकरण से प्राप्त राजस्व के आंकड़े निम्नानुसार है :–

वर्ष	आय (करोड़ रू. में)
2013–14	7.69
2014–15	6.10
2015–16	6.402
2016–17	10.149
2017–2018	9.08
2018–2019(31 दिसम्बर तक)	5.159

4.3 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम,1923 का क्रियान्वयन

इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य रूप से आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति की हैसियत से श्रम न्यायालय कार्यवाही करते हैं। संचालनालय के अधिकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों या उनके आश्रितों के सलाहकार के रूप में भूमिका निभाते हैं। प्रभावित व्यक्ति या उसके आश्रित अधिवक्ता के माध्यम से आयुक्त के समक्ष दावा पेश करते हैं और आयुक्त द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। जिन कारखानों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम प्रभावशील है, वहॉ क्षतिपूर्ति की राशि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा भुगतान की जाती है।

राज्य शासन की अधिसूचना कमांक एफ 4(ई)4–2000–ए–सोलह, दिनांक 7.10.2004 द्वारा प्रदेश के समस्त उपश्रमायुक्त और अपर श्रमायुक्त को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर आयुक्त कर्मकार प्रतिकर के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.4 ''अति खतरनाक '' स्थापनाओं संबंधी प्रावधान : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अंतर्गत बने नियमों का कार्यान्वयन

4.4.1 संक्षिप्त विवरण

वर्ष 1987 के पूर्व खतरनाक संक्रियाएं (**Dangerous Operations**) संचालित करने वाले कारखानों में स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कारखाना अधिनियम, 1948, की धारा 87 तथा मध्य प्रदेश कारखाना नियम, 1962, के नियम 107 में विशेष प्रावधान किये गये थे। वर्ष 1987 में कारखाना अधिनियम में धारा–2 (सी बी) जोड़कर परिसंकटमय प्रक्रिया (**Hazardous process**) को परिभाषित करते हुये तत्संबंधी अनुसूची–एक भी जोडी गई और ऐसी प्रक्रियाएं अपनाने वाले कारखानों के लिये अधिनियम में नवीन अध्याय 4–ए जोडकर विशेष प्रावधान किये गये।

वर्ष 1989 तथा 1996 में भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित दो नियम अधिसूचित कियेः–

क. परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989
ख. रासायनिक दुर्घटनायें (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996

उक्त दोनों नियमों में ''अति खतरनाक स्थापनाओं'' अर्थात् –**"Major Accident Hazard (M.A.H.) Installations"** को परिभाषित किया गया है।

उक्त नियमों में विषैले, ज्वलनशील, विस्फोटक और अति क्रियाशील रसायनों को ''परिसंकटमय रसायन'' के रूप में परिभाषित करते हुए उनमें से प्रत्येक की एक सीमांत मात्रा (**Threshold Quantity**) निर्धारित की गई है। यदि किसी स्थापना में किसी परिसंकटमय रसायन को उक्त सीमांत मात्रा से अधिक मात्रा में भंडारित या प्रयुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थापनाओं को ''अति खतरनाक स्थापना'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर (क) में उल्लिखित नियमों में ऐसी स्थापनाओं के बारे में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:–

1. उनके लिये ऑन साइट और ऑफ साइट आपात योजनायें क्रमशः धारक एवं कलेक्टर द्वारा बनाई जायेंगी, इन्हें अद्यतन रखा जाएगा, और कम से कम क्रमशः प्रति छः माह एवं एक वर्ष में उनका पूर्वाभ्यास किया जायेगा।

2. विशिष्ट श्रेणियों की अति खतरनाक स्थापनाओं द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षक को सुरक्षा रिपोर्ट भेजी जावेगी, जिसमें कारखाने के बारे में ''जोखिम एवं परिणाम संबंधी विश्लेषण'' भी शामिल है । इसके अलावा वर्ष में एक बार स्वतंत्र एजेन्सी से सुरक्षा आडिट करा कर तत्सबंधी आडिट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।
किसी दुर्घटना होने की स्थिति में उक्त नियमों के तहत निर्धारित अनुसूची 6 में दुर्धटना की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
3. स्थापना के आसपास रहने वाले लोगों को उससे जुड़े खतरों के बारे में जानकारी दी जायेगी।

ऊपर (ख) में उल्लिखित नियमों में अति खतरनाक स्थापनाओं में संभावित रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिये ''संकट स्थिति समूह'' गठित करने का प्रावधान किया गया है और इन समूहों के कृत्य परिभाषित किये गये हैं :–

(1) स्थानीय संकट स्थिति समूह, जो औद्योगिक केंद्र के स्तर पर अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होता है, के मुख्य कृत्य स्थानीय आपात योजना बनाना, सुरक्षा के बारे में स्थानीय लोगों को शिक्षित और कर्मियों को प्रशिक्षित करना, प्रति माह बैठक करना, कम से कम 6 माह में एक बार एक रासायनिक दुर्घटना का पूर्वाभ्यास करना, और दुर्घटना घटित होने की स्थिति में उसके आघात को न्यूनतम करने के लिये समस्त आवश्यक कदम उठाना है।

(2) जिला संकट स्थिति समूह, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, के मुख्य कृत्य वृहद दुर्घटनाओं के प्रबंध के लिये समस्त आवश्यक मार्गदर्शन देना, ऑन साइट आपात योजनाओं की समीक्षा करना, ऑफ साइट आपात योजना की तैयारी में सहायता करना, हर डेढ़ माह में बैठक करना, और वर्ष में कम से कम एक बार दुर्घटना का पूर्वाभ्यास करना है।

(3) राज्य संकट स्थिति समूह, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, के मुख्य कृत्य वृहद् दुर्घटनाओं के प्रबंध में विशेषज्ञ मार्गदर्शन देना, जिला ऑफ साइट आपात योजनाओं की तथा जिला समूहों के कार्य की समीक्षा करना, हर तीन माह में बैठक करना आदि हैं।

4.4.2 ''अति खतरनाक'' श्रेणी के कारखाने

दिनांक 01.01.19 की स्थिति में अतिखतरनाक कारखानों की संख्या 85 तथा संबंधित जिलों की संख्या 27 है।

4.4.3 ऑन साइट आपात योजनाएं

उक्त सभी 85 अति खतरनाक कारखानों के लिए ऑन–साइट आपात योजनाएं तैयार कराई गई हैं, जिनमें से 78 योजनाओं को अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है। दो अतिखतरनाक कारखाने वर्तमान में बन्द है। 05 कारखानों की योजनायें प्रक्रियाधीन है।

अतिखतरनाक श्रेणी के कारखानों के नाम तथा ऑन साईट आपात योजनाओं की तैयारी की स्थिति **परिशिष्ट–4.3** में दर्शायी गई है।

4.4.4 ऑफ साइट आपात योजनाएं

केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 1997 में ऑफ साइट आपात योजना तैयार करने के संबंध में मार्गदर्शिका प्रसारित की थी। प्रदेश के 21 जिलों की ऑफ साइट आपात योजनाओं का उक्त मार्गदर्शिका के अनुरूप तैयार की गई है। 02 जिले में स्थापित एकमात्र अतिखतरनाक कारखाने वर्तमान में बन्द होने से उक्त जिले की आफ साईट आपात योजना बनाई नही गई तथा शेष 04 जिलों में आफ साईट आपात योजना तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रहीं है।

अतिखतरनाक श्रेणी के कारखानों वाले जिलों के लिए ऑफ साइट आपात योजनाओं की तैयारी एवं उनके पूर्वाभ्यास की स्थिति **परिशिष्ट–4.4** में दर्शायी गई है।

4.4.5 सुरक्षा आडिट

''परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम, 1989'' के अनुरूप 26 अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों का सुरक्षा आडिट कराया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है। कारखानों के नाम तथा सुरक्षा आडिट कराने का विवरण **परिशिष्ट–4.5** में दिया गया है।

अति खतरनाक कारखानो की संख्या, उनके लिए ऑन साइट एवं ऑफ साइट आपात योजनाओं की तैयारी एवं सुरक्षा आडिट संबंधी स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	संख्या
1.	अति खतरनाक कारखानो की संख्या	85
2.	जिलों की संख्या जहां उक्त कारखाने स्थित हैं	27
3.	कारखानो की संख्या जिनके लिये	
	(1) ऑन साइट आपात योजनाएं तैयार की गई	85
	(2) ऑन साइट आपात योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया	78
4.	जिलों की संख्या जिनके लिये ऑफ साइट आपात योजना बनाई गई	21
5.	कारखानो की संख्या जिनका सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य है	26

संकट स्थिति समूहों के गठन की स्थिति इस प्रकार हैः–

क्र.	विवरण	संख्या
1.	गठित स्थानीय संकट स्थिति समूहों की संख्या	03 (मालनपुर, मंडीदीप, पीथमपुर)
2.	जिलों की संख्या, जहां जिला संकट स्थिति समूह का गठन आवश्यक है	27
3.	जिलों की संख्या, जहां गठन किया जा चुका है	23

नोट – 3 जिलों मे नये एम.ए.एच. कारखाने की पहचान किये जाने के कारण जिला संकट स्थिति समूह के गठन की कार्यवाही की जा रही है तथा 1 जिले मे स्थापित एक मात्र एम.ए.एच. कारखाना बंद होने से जिला संकट स्थिति समुह का गठन नही हुआ है।

4.5 औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर

4.5.1 कारखानों के कार्य वातावरण में हानिकारक रसायनों (यथा गैस, वाष्प आदि), शोर और प्रकाश का स्तर उचित सीमा में बनाए रखना आवश्यक है, ताकि उनमें कार्य करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इनके स्तर को विनियमित करने के लिये मध्य प्रदेश कारखाना नियम, 1962, में किये प्रावधान निम्नानुसार है :–

क्र.	**पदार्थ आदि जिकी कार्य वातावरण में मात्रा, नियमों में निर्धारित की गई है।**	**मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962, के सुसंगत प्रावधान का विवरण**
1	रासायनिक पदार्थ (मुख्यत: गैसें एवं वाष्प)	नियम 124–बी एवं उसके अन्तर्गत बनी अनुसूची
2	शोर	नियम 107 के अन्तर्गत बनी अनुसूची पच्चीस
3	प्रकाश	नियम 36 व 37
4	विस्फोटक तथा अत्याधिक ज्वलनशील धूल या गैस	धारा 37 व नियम 107 के अन्तर्गत बनी अनुसूची Xviii

4.5.2 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, श्रम विभाग के अंतर्गत वर्ष 1986 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से एक औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर में स्थापित की गई थी। वर्ष 1988 में इसके लिये केंद्र सरकार के तहत कार्यरत महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई, के माध्यम से भी उपकरण उपलब्ध कराए गए थे। इस प्रयोगशाला का मुख्य कार्य कारखानों के कार्य वातावरण में उक्त हानिकारक पदार्थों आदि का स्तर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करना है।

वर्तमान में उक्त प्रयोगशाला, उपलब्ध उपकरणों से, कार्य वातावरण में मौजूद निम्नलिखित हानिकारक पदार्थो आदि के स्तर की जांच करती है:–

1.	विषाक्त गैसें व रसायन	क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन मोनो आक्साइड व हाइड्रोजन क्लोराइड (वाष्प)
2.	अति ज्वलनशील गैसें एवं वाष्प	
3.	विभिन्न प्रकार के धूल कण	जैसे कोयला, सीमेंट, सिलिका आदि
4.	एसबेस्टस	
5.	ध्वनि प्रदूषण	
6.	प्रकाश	
7.	दृष्टि दोष	क्रेन ऑपरेटर व अन्य श्रमिकों उनके नियोजनों के प्रकार के आधार पर, आंखों तथा रंग–अन्धत्व (Colour Blindness) की जांच

कार्य वातावरण में हानिकारक अवयव निर्धारित सीमा से अधिक पाये जाने की दशा में प्रबंधन को उपकरणों/ व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु निर्देश देकर सुधार करवाया जाता है।

4.5.3 प्रयोगशाला द्वारा विगत वर्षों में हानिकारक पदार्थो की जॉच की जानकारी **परिशिष्ट–4.6,** स्थल पर उपकरणों की सहायता से जॉच एवं उनके परिणामों की जानकारी **परिशिष्ट 4.7,** तथा स्थल पर उपकरणों की सहायता से प्रकाश एवं ध्वनि की जॉच की जानकारी **परिशिष्ट–4.8** में दी गई है।

4.5.4 जांच – पड़ताल **(Testing)** की जो सुविधाएं अभी केवल इंदौर स्थित प्रयोगशाला में केंद्रित हैं, उन्हें विकेंद्रीकृत रूप से संभागीय कार्यालयों में भी निर्मित करने की एक योजना, दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002–07, में आरंभ की गई तथा सभी संभागीय कार्यालयों को निरीक्षण कीट उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2011–12 में औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला का उन्नयन कर इसके अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना माह जून 2011 में की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013–14, 14–15 तथा 15–16 में भी उपकरण क्रय किये जाकर उन्नयन की कार्यवाही निरन्तर जारी है। श्रमिकों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से केन्द्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

* * *

.

अध्याय–5
मजदूरी, उपादान और बोनस संबंधी अधिनियमों का कार्यान्वयन

5.1 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा संगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों के हित संरक्षण हेतु बनाया गया है, जिनकी सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) की क्षमता अल्प है तथा वे नियोजक से जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने की सामर्थ्य भी साधारणतः नहीं रखते।

इसके अंतर्गत प्रदेश में 72 ''अनुसूचित नियोजन''हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट–5.1 में दी गई है। इसके क्रमांक 1 से 64 में उल्लेखित अनुसूचित नियोजनों एवं क्रमांक 65 में उल्लेखित नियोजन तथा भाग दो कृषि नियोजन में न्यूनतम मजदूरी की दरें पुनरीक्षित कर निर्धारित की गई हैं, और उन पर देय जीवन निर्वाह भत्ता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध कर नियमित रूप से घोषित किया जाता है।

उक्त नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित की गई हैं :–

परिशिष्ट 5.1 में अंकित नियोजन		न्यूनतम मजदूरी की मूल दर निर्धारण संबंधी अधिसूचना का दिनांक
क्रमांक 1–64	नियोजन	10.10.2014
क्रमांक 65	(बीड़ी निर्माण)	12.12.2014
क्रमांक 1 (भाग–दो)	(कृषि में नियोजन)	10.10.2014

इन नियोजनों में प्रभावशील मूल न्यूनतम मजदूरी की दरें परिशिष्ट–5.2 में दर्शाई गई हैं।

मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 16.12.12 में को लिए गये निर्णयानुसार तीन नवीन नियोजनों 1–पुरातत्व कार्य में नियोजन 2–साफ–सफाई कार्य में नियोजन तथा 3–सूचना प्राद्योगिकी के कार्य मे नियोजन को अनुसूची के भाग एक में अधिसूचना क्रमांक 1493/4सी–1/2013/अ–16 दिनांक 22 सितंबर, 2014 जो कि राजपत्र में दिनांक 10 अक्टुबर, 2014 को प्रकाशित है, के द्वारा जोडा गया है।

राज्य शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4(सी)5–98–ए–सोलह, 2 मार्च, 2006 के द्वारा अधिसूचित अनुसूची के भाग–1 में प्रविष्टि क्रमांक 68 में दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यो में नियोजन को जोडा गया है उक्त सहित चारों नियोजनों में वेतन दरें राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 में प्रकाशित की गई है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अंतर्गत निर्धारित दर से कम दर पर भुगतान के प्रकरणों में कम दी गई राशि का भुगतान कराया जाता है, तथा नियोजकों के विरुद्ध दावा प्रकरण भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। कृषि में नियोजित श्रमिकों की संख्या एवं प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए शासन के कतिपय अन्य विभागों के निम्नलिखित कार्यपालक अधिकारियों को भी, अधिसूचना दिनांक 16.06.86 द्वारा, कृषि में नियोजन के संबंध में अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में ''निरीक्षक'' नियुक्त किया गया है:–

1. विकास खण्ड अधिकारी
2. सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख
3. नायब तहसीलदार
4. पंचायत निरीक्षक
5. मंडल संयोजक, आ.जा. एवं अनु. जाति कल्याण

इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं को भी कतिपय नियोजनों के लिये''निरीक्षक'' की शक्तियों से निम्नानुसार वेष्टित किया गया है :–

तालिका 5.1

श्रम विभाग की अधिसूचना का दिनांक	पंचायती राज संस्था कानाम ,जिसे उसके कार्यक्षेत्र के लिए,''निरीक्षक'' की शक्तियों से वेष्टित किया गया	नियोजन जिनके लिए वेष्टित किया गया
19.6.76	समस्त ग्राम पंचायतें	1. कृषि में नियोजन
17.4.96	समस्त ग्राम पंचायतें	2. तंबाकू कारखाने/बीड़ी निर्माण में नियोजन 3. सड़क/भवन निर्माण और रख–रखाव 4. ईंट भट्टों में नियोजन 5. सिमेंट टाइल्स के अलावा अन्य टाइल्सनिर्माण 6. पत्थर तोड़ने एवं पीसने में नियोजन
19.7.2001	समस्त ग्राम सभाएं	उपर्युक्त सभी 6 नियोजनों के लिए

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24 नवंबर, 1976, द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, की धारा–20 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को, अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर, कृषि में नियोजन के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उद्भूत होने वाले दावों की सुनवाई हेतु ''प्राधिकारी'' नियुक्त किया गया है।

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 06 नवंबर 2000 के द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, की धारा–20 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य के समस्त सहायक श्रम आयुक्तों को, अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर, कृषि में नियोजन के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उद्भूत होने वाले दावों की सुनवाई हेतु ''प्राधिकार'' प्राप्त हुआ है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन एवं उससे लाभांवित श्रमिकों की जानकारी नीचे दर्शाई गई है :–

तालिका– 5.2

वर्ष	निरीक्षण संख्या	अभियोजन	सक्षम न्यायालय में दायर दावों की जानकारी			न्यायालय से बाहर कम भुगतान हुई राशि जो श्रमिक को विभागीय प्रयासों से भुगतान कराई गई		
			दावा प्रकरण संख्या	दावा राशि (लाख रू. में)	प्रभावित श्रमिक	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि (लाख रू. में)	लाभांवित श्रमिक
2016–17	1145	199	398	915.81	2878	237	133.53	992
2017–18	1514	349	234	492.14	1196	401	191.89	161
2018–19 (माह दिसम्बर 18 तक	855	145	218	348.57	894	413	126.21	1506

5.2. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

विभिन्न संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु इस अधिनियम में प्रावधान है। अधिनियम की धारा 1 (6) के अनुसार यह वर्तमान में अधिकतम रुपये 24,000/– प्रतिमाह तक मजदूरी पाने वालों के लिए लागू है।

5.3 उपादान भुगतान अधिनियम, 1972

यह अधिनियम ऐसे सभी संस्थानों पर लागू होता है, जहां दस या दस से अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। ऐसे संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को पॉच वर्ष की या इससे अधिक सेवा के उपरांत, सेवानिवृत्ति अथवा कार्य छोड़ने की स्थिति में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिवस के वेतन के बराबर राशि उपादान के रूप में देय होती है। नियोजक द्वारा उपादान का भुगतान न किये जाने अथवा गणना संबंधी विवाद उठने की दशा में व्यथित श्रमिक, इस अधिनियम के अंतर्गत '''नियंत्रण प्राधिकारी'' के समक्ष दावा प्रस्तुत कर सकता है। प्रदेश में नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश से असंतुष्ट श्रमिक/नियोजक ''अपीलीय प्राधिकारी'' के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रदेश में उप श्रमायुक्तों को अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2017 में संस्थित एवं निराकृत प्रकरणों का विवरण नीचे दर्शाया गया है :–

तालिका–5.3

प्रकरण का प्रकार	वर्ष के आरम्भ मे लंबित प्रकरण	वर्ष के दौरान		वर्ष के अंत मे शेष प्रकरण दिसम्बर 2018 तक
		संस्थित	निराकृत	
1	2	3	4	5
2–ग्रेच्युटी अपील प्रकरण	328	239	387	180

5.4. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

यह अधिनियम उन सभी कारखानों पर प्रभावशील है जो कारखाना अधिनियम, 1948, के अनुसार ''कारखाना'' की श्रेणी में आते है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम ऐसी अन्य स्थापनाओं पर भी प्रभावशील है, जिनमें बीस या इससे अधिक कर्मकार कार्यरत हैं। बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 01 जनवरी 2016 द्वारा संशोधन करते हुए वेतन सीमा में वृद्धि कर रु0 21000/– एंव बोनस गणना हेतु वेतन सीमा में वृद्धि कर रु0 7000/– कर दिया गया है। इस संशोधन को दिनांक 01.04.2014 से लागु किया गया है। अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी जानकारी नीचे दी गई है:–

तालिका–5.4

क्र.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19 (दिसम्बर 18 तक)
1.	निरीक्षण	268	743	528
2.	अभियोजन	7	155	66

* * *

अध्याय–6
बाल श्रमिक

6.1. बाल श्रमिक

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधन किया जाकर अधिनियम के नये प्रावधान 1 सितम्बर 2016 से लागू किये गये है। यह कानून अब बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के नाम से जाना जायेगा। कारखाना अधिनियम, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, खान अधिनियम तथा मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत भी बाल श्रमिकों का नियोजन निषिद्ध है।

वर्ष 1991, 2001 एवं 2011 की जनगणना में प्रदेश के **5 से 14 वर्ष आयु समूह के** कामकाजी बच्चें, जिनमें मुख्य एवं सीमांत कामकाजी बच्चे सम्मिलित है, के आंकड़े निम्नानुसार है :–

तालिका 6.1

		1991	2001	2011
1.	कामकाजी बच्चे	13.52 लाख	10.65 लाख	7.02 लाख
2.	ग्रामीण क्षेत्र	–	10.00 लाख	6.08 लाख
3.	शहरी क्षेत्र	–	0.65 लाख	0.92 लाख
4.	कामकाजी बच्चो का प्रतिशत (5–14 आयु वर्ष कें)	–	10 प्रतिशत	07 प्रतिशत

जनगणना 2011 में प्रदेश के निम्नलिखित दस जिलों में 5–14 आयु वर्ग के बच्चों में कामकाजी बच्चों का प्रतिशत निम्न पाया गया :–

तालिका 6.2

क्र.	जिला	5 से 14 वर्ष आयु समूह की कुल जनसंख्या में कार्यशील (मुख्य एवं सीमांत) संख्या का प्रतिशत
1.	अलीराजपुर	12.7
2.	झाबुआ	11.8
3.	बडवानी	8.0
4.	डिंडोरी	7.9
5.	बैतुल	7.3
6.	देवास	6.8
7.	रतलाम	6.5
8.	धार	6.3
9.	मंडला	5.7
10.	खरगौन	5.7

उपर्युक्त आंकड़ों में सभी प्रकार के कार्यशील बच्चे शामिल हैं, अर्थात् वे भी, जो पारिवारिक कार्य जैसे कृषि में हाथ बंटाते हैं अथवा बूट पॉलिश, कचरा बीनने आदि कार्यों में स्व–नियोजित हैं।

बाल श्रम प्रथा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने विविध याचिका (सिविल क्रमांक 465/1986) में दिनांक 10.12.96 को आदेश पारित कर निम्नलिखित निर्देश दिए थे :–

- बाल श्रमिकों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जाए।
- जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्य कर रहे बालकों को वहां से हटा कर उपयुक्त संस्थाओं में उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जाए।
- बाल श्रम के दोषी नियोजकों से 20,000/– रूपये प्रति बालक के हिसाब से अंशदान लिया जाए और उस रकम को इस प्रयोजन के लिए स्थापित कल्याण निधि में जमा किया जाए।
- इस प्रकार हटाए गए बालक के परिवार के एक वयस्क सदस्य को नियोजन में लिया जाए और अगर यह संभव न हो तो राज्य सरकार द्वारा कल्याण निधि में, 5,000/– रूपये का अंशदान किया जाए।
- जब तक बालक वास्तव में स्कूल में पढ़ता है, तब तक कल्याण निधि में जमा किए गए समग्र 25,000/– रूपये से प्राप्त ब्याज में से, उसके (बालक के) परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।
- संशोधन अधिनियम अनुसार 14 वर्ष तक की आयु की उम्र के बच्चों का सभी प्रकार के कार्यों में नियोजन प्रतिबंधित है। वे कुटूंब के उपक्रम में भी विद्यालय समय एवं रात 7 बजे से प्रातः 8 बजे तक कोई कार्य नहीं करेगा।
- संशोधन अधिनियम अनुसार 14 से 18 वर्ष तक के बालक का नियोजन खतरनाक प्रक्रियाओं में प्रतिबंधित है।

मध्य प्रदेश में अप्रैल, 1997 में सर्वेक्षण कराया गया था। यह सर्वेक्षण नगरीय क्षेत्रों में खतरनाक तथा गैर–खतरनाक दोनों प्रकार के नियोजनों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल खतरनाक नियोजनों में बाल श्रमिकों को चिन्हित करने के उद्देश्य से किया गया था। इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप कुल 13,291 बाल श्रमिक चिन्हित किये गए थे जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 6.3

खतरनाक उद्योगों में	10,246
गैर–खतरनाक उद्योगों में	3,045
योग	13,291

उक्त सर्वेक्षण के पश्चात, विभिन्न जिलों में सर्वेक्षण के आंकड़ों का परीक्षण कर आवश्यक परिमार्जन किया गया। इस परीक्षण में अनेक बाल श्रमिकों की उम्र 14 वर्ष से अधिक पाई गई, उनके एवं नियोजक के मध्य पिता–पुत्र के संबंध पाए गए, उनके नामों में पुनरावृत्ति पाई गई या फिर नियोजक का नाम गलत पाया गया। उपर्युक्तानुसार संशोधन एवं त्रुटि निवारण के पश्चात् उक्त सर्वे के दौरान पाए गए बाल श्रमिकों के आंकड़े नीचे दर्शाये गए हैं :–

तालिका 6.4

खतरनाक उद्योगों में	8,826
गैर–खतरनाक उद्योगों में	2,994
योग	11,820

निम्नलिखित छः जिलों में पांच सौ से अधिक बाल श्रमिक चिन्हित हुए थे :–

तालिका 6.5

जिला	चिन्हित बाल श्रमिक		
	खतरनाक नियोजनों में	गैर–खतरनाक नियोजनों में	योग
1. दमोह	4079	122	4201
2. रायसेन	1000	43	1043
3. सागर	890	61	951
4. टीकमगढ़	719	7	726
5. जबलपुर (1998 में गठित कटनी जिले सहित)	378	240	618
6. भोपाल	36	573	609

उक्त सर्वेक्षण में खतरनाक नियोजनों में नियोजित पाए गए समस्त बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया तथा दोषी 3630 नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन प्रकरण दायर किये गए तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उनके विरूद्ध राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र भी जारी किये गए है। अभी तक 13 जिलो में 23 बाल श्रमिको के संबंध में कुल रुपया 4.95 लाख की क्षतिपूर्ति राशि वसूली की जा चुकी है। इनमें से 19 बाल श्रमिकों के संबंध में पूर्ण तथा चार के संबंध में आंशिक राशि नियोजकों द्वारा जमा कराई गई है। नियोजकों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर 76 याचिकाओं में कुल 4222 बाल श्रमिकों के संबंध में जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्रों पर स्थगन प्राप्त किया गया है। अन्य याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित श्रम पदाधिकारी अथवा सहायक श्रमायुक्त को पक्षों की सुनवाई कर युक्तियुक्त आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रकरणों में अनुवर्ती कार्यवाही प्रचलित है।

प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत " निरीक्षक" की शक्तियों से निम्नानुसार वेष्टित किया गया है:–

1. जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों को अधिसूचना दिनाक 13.10.97 द्वारा
2. ग्राम सभाओं को अधिसूचना दिनांक 19.07.01 द्वारा

6.2 बाल श्रम संबंधी कानून का प्रवर्तन

बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेघ एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रवर्तन संबंधी जानकारी नीचे दी गई है:–

<u>तालिका 6.6</u>

वर्ष	निरीक्षण	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	अभियोजन	दण्ड
2016–17	619	93	64	203000/–
2017–18	999	95	65	975000/–
2018–19	694 (दिसम्बर 18 तक)	24	36	37500/–

संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश में निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:–

(1) सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन
(2) प्रत्येक जिले में एक श्रम निरीक्षक को नोडल अधिकारी बनाया गया
(3) जिलों में जन जागरण अभियान का संचालन जन जागरण हेतु राशि रूपये 1 लाख बजट प्रत्येक जिले को प्रदान किया गया
(4) बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु निधी का गठन किये जाने हेतु राशि रूपये 1 लाख बजट प्रत्येक जिले को प्रदान किया गया

<u>कार्यशाला</u>

<u>दिनांक 03 एवं 04.01.2018</u> को बाल श्रम पर यूनिसेफ के सहयोग से इंदौर में राज्य स्तरीय क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को पेंसिल पोर्टल, बाल श्रम संबंधी कानूनों तथा हाल ही में किये गये संशोधनों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के सुचारू कियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु **अभ्युदय** पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी तथा बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त नोडल अधिकारी (श्रम निरीक्षक) तथा परियोजना निर्देशक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना उपस्थित रहें।

- इसके अतिरिक्त जिलों में टास्क फोर्स का गठन एवं बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
- प्रत्येक जिले में जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है।
- बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक श्रम निरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

<u>समीक्षा(मॉनिटरिंग)</u>

राज्य में बाल श्रम संबंधी कानूनी प्रावधानों के परिपालन, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं तथा बाल श्रमिक की पहचान, विमुक्ति तथा पुर्नवास संबंधी कार्यवाही की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। वर्ष 2018–19 की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. **<u>दिनांक 02.01.2018</u>** राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की संशोधित गाईड लाईन तथा पेंसिल पोर्टल के संचालन के संबंध में राज्य में संचालित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के सभी परियोजना निदेशक की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
2. **<u>दिनांक 27.01.2018</u>** उज्जैन संभाग के परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा जिला कार्यालयों की समीक्षा की गई।

3. **<u>दिनांक 21.02.2018</u>** ग्वालियर संभाग के परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा जिला कार्यालयों की समीक्षा की गई।
4. **<u>दिनांक 02.04.2018</u>** जबलपुर संभाग के परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा जिला कार्यालयों की समीक्षा की गई।
5. **<u>दिनांक 18.08.2018</u>** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रदेश की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कियाकलापों की समीक्षा की गई।

6.3. <u>राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना</u>

<u>राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की प्रगति</u>

राज्य के चुनिंदा जिलों में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिये भारत सरकार ''राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना'' क्रियान्वित कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत चुने गए जिलों में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण कर उन्हें खतरनाक किस्म के व्यवसायों/प्रक्रियाओं से विमुक्त कराकर विशेष विद्यालयों में भर्ती किया जाता है। इन विद्यालयों में सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण की भी व्यवस्था अपेक्षित है, तथा दर्ज बच्चों को मासिक छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकें, गणवेश तथा मध्यान्ह भोजन दिए जाने के अतिरिक्त नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का प्रावधान है। योजना में बजट पूर्णतः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। जो सीधे जिला बाल श्रम परियोजना समिति को प्राप्त होता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश कमांक जी–20013/1/2012–सीएल, दिनांक 31.10.2017 द्वारा संशोधित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना लागू की गई है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के क्रियान्वयन के लिये जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति का पंजीकरण किया जाता है। परियोजना के लिये भारत सरकार इस समिति को सीधे अनुदान देती है। इस समिति में संबधित शासकीय विभागों के अधिकारी, स्वैच्छिक संगठन, पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारी तथा समाजसेवी सदस्य के रूप में होते हैं। परियोजना के संचालन एवं नियंत्रण के लिये परियोजना निर्देशक, प्रोगाम मैनेजर, व्यवसाय प्रशिक्षक तथा अन्य स्टॉफ की मानसेवी आधार पर सेवाऍ दी जाती है।

वर्तमान में राज्य में 09 जिलों में परियोजना संचालित की जा रही है:–
(1) ग्वालियर (2) रीवा (3) बडवानी (4) दमोह (5) जबलपुर (6) मन्दसौर (7) शाजापुर (8) राजगढ (9) कटनी।
इनकी वर्तमान की जानकारी निम्नानुसार है :–

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना - प्रगति प्रतिवेदन

District	Project commenced from	No. of Spl. Schools running	Last Base Line Survey		Present Enrolment Status (Special Schools)	Total No. of beneficiaries mainstreamed into formal school	2018-19 Budget Allocation from GOI	Aadhar seeding
			Period	No of working children				
Mandsaur	1988	13	2/2016	368	441	3749	435069600	738
Shajapur	2006	14	4/2016	363	249	1630	Allocation from GOI not received	187
Gwalior	2000-01	38	6/2017	2000	916	8185	13223040	1050
Barwani	2006-07	30	01.05.18	700	900	8816	6237500	1263
Damoh	1/4/2009	29	2016	1783	1165	2678	6071850	1032
Rewa	2005-06	38	3/2017	2965	818	4168	5969586	1748
Jabalpur	2008	29	10/2016	1592	1083	3338	2632000	825
Rajgarh	2005	18	4/2017	9973	900	4315	4641869	632
Katni	2005	36	2017	1750	1581	5478	4074263	773
Total		245		21484	8033	42357		8248

***

अध्याय–8
असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक

8.1. प्रारंभिक

देश के श्रमिक वर्ग के 90 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत 10 प्रतिशत से भी कम है। परंतु, अधिकांश श्रम कानूनों का लाभ संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलता है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इनका लाभ उठाने से वंचित रहते हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की विशिष्ट समस्याएं इस प्रकार हैं :–

* अस्थायी, अनियमित एवं परिवर्तनशील रोज़गार
* शिक्षा एवं जागरूकता की कमी
* नियोजक स्थापनाओं का लघु आकार एवं भौगोलिक रूप से छितरा हुआ होना
* उत्पादकता तथा आय के निम्न स्तर
* सामाजिक सुरक्षा का अभाव
* असंतोषजनक व असुरक्षित कार्य दशाएं
* साख, विपणन और सूचना सुविधाओं का अभाव
* संगठित होने में कठिनाई तथा संगठन क्षमता का अभाव
* उपर्युक्त के परिणामस्वरूप वर्ग हितों की प्राप्ति हेतु सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता का अभाव।

राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक प्रमुख रूप से कृषि, वानिकी, खदान, बीड़ी, हम्माल, परिवहन, निर्माण कार्य, होटलों/ढाबों तथा ईंट भट्टों जैसे कार्यों में नियोजित हैं।

8.2. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये कार्यदल

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की विशिष्ट एवं गंभीर समस्याओं को देखते हुये राज्य शासन ने इस क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश के श्रमिकों के जीवन–स्तर में सुधार लाने के बारे में विचार कर अनुशंसाएं देने के लिये जुलाई, 2001 में एक कार्यदल गठित किया गया था।

कार्यदल ने अपना कार्य सितम्बर, 2002 में पूर्ण किया एवं अपनी रिपोर्ट का मुख्यमंत्रीजी तथा श्रम राज्य मंत्रीजी के समक्ष औपचारिक प्रस्तुतीकरण 27 दिसम्बर, 2002 को किया। कार्यदल ने वर्ष 2001 में प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की संख्या करीब 2.01 करोड़ आकलित की है, जिसका नियोजन–वार विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका 8.1

क.	नियोजन	असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या (लाखों में)	कुल असंगठित श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत
1.	सीमांत / लघु कृषक	69.60	34.6
2.	भूमिहीन कृषि श्रमिक	73.57	36.6
3.	खनि एवं खनिकर्म	0.64	0.3
4.	विनिर्माण (Manufacturing)	14.95	7.4
5.	संनिर्माण (Construction)	8.97	4.5
6.	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	17.47	8.7
7.	परिवहन	3.95	2.0
8.	अन्य	11.78	5.9
	योग	**200.93**	**100**

कार्यदल द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं में से श्रम विभाग से संबंधित अनुशंसाओं को मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार पर्षद को परामर्श हेतु तथा अन्य अनुशंसाओं को संबंधित विभागों को कार्रवाई हेतु संदर्भित किया गया है। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी असंगठित श्रमिकों के लिए व्यापक कानून (Umbrella Legislation) सुझाया है, और अन्य सिफारिशें भी की हैं, जिन पर भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। राज्य शासन उक्त कार्यदल की अनुशंसाओं पर, भारत सरकार से समन्वय रखते हुए, कार्रवाई कर रहा है। असंगठित श्रमिको की सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य एवं केन्द्र दोनो ने ही कानून बनाये हैं।

8.3 भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक

भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु वर्ष 1996 में निम्नलिखित दो केंद्रीय अधिनियम पारित किये गये हैं :–

1. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा
2. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996

यह अधिनियम उन नियोजकों/ठेकेदार के संस्थानों पर लागू होता है जो अस्थायी प्रकृति के कार्यों को संपन्न कराने की प्रक्रिया का संपादन करते है। उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार अनुबंधित कार्य के संपादन में किसी भी दिन दस या उससे अधिक निर्माण श्रमिक नियोजित होने की दशा में, नियोजक/ठेकेदार द्वारा स्थापनाओं के लिए अपना रजिस्ट्रीकरण कराना, आवश्यक है।

प्रदेश में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996, के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या तथा श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या की श्रम कार्यालय–वार जानकारी **परिशिष्ट–8.1** में दी गई है। अधिनियम के प्रवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है:–

तालिका 8.2

क्र.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19 (दिसंबर 2018 तक)
1.	निरीक्षण	68	202	136
2.	अभियोजन	2	61	14

:

उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत प्रदेश में फरवरी, 2001 में विभिन्न प्रकार के अधिकारी निम्नानुसार अधिसूचित किये गए हैं:–

क. प्रथम अधिनियम के अंतर्गत–

तालिका 8.3

अधिनियम के तहत प्राधिकारी	खाना–1 में उल्लेखित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारी
1. मुख्य निरीक्षक –	श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश
2. निरीक्षक –	समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक/ उप श्रम निरीक्षक, कारखाना निरीक्षक
3. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी –	समस्त सहायक श्रमायुक्त और श्रम पदाधिकारी
4. अपील अधिकारी –	अपर एवं उप श्रमायुक्त

ख. द्वितीय अधिनियम के अंतर्गत–

तालिका 8.4

	अधिनियम के तहत प्राधिकारी	खाना–1 में उल्लेखित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारी
1.	उपकर निर्धारण अधिकारी–	समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा नामांकित उपायुक्त (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो), समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, समस्त अपर श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी
2.	अपील प्राधिकारी–	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कलेक्टर, आयुक्त, नगर पालिक निगम, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त, अपर श्रमायुक्त, श्रमायुक्त

3	उपकर संग्राहक–	समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा नामांकित उपायुक्त (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो), समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी अनुविभागीय अधिकारी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो) समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो),समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/ जिला पंचायत, समस्त श्रम विभागीय अधिकारी,

उक्त प्रथम अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार ने ''मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम 2002'' बनाकर राजपत्र (असाधारण) में 1 जनवरी, 2003, को अधिसूचित किए हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन दिनांक 9 अप्रेल, 2003 को किया जाकर सामान्य तौर पर 3 वर्ष उपरांत नियमानुसार पुनर्गठन होने तक पूर्व सदस्यगण यथावत कार्यरत रहते हैं।

8.4 म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों (शहरी/ग्रामीण) के कल्याण हेतु मण्डल का गठन म.प्र. राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2008 द्वारा किया गया। राज्य शासन द्वारा दिनांक 25.01.2016 को अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। दिनांक 20 जनवरी 2018 को पुनः कार्यकाल 2 वर्षो के लिये बढाया गया।

असंगठित श्रमिको के लिए बजटीय प्रावधान मंडल को न किया जाकर श्रम विभाग को किया गया है। मंडल द्वारा विभिन्न विभागों, जिनके द्वारा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है से समन्वय स्थापित कर तथा डाटा कलेक्ट कर श्रमायुक्त म.प्र. शासन को उपलब्ध कराया जाता है। मंडल के सचिव उप श्रमायुक्त है।

* * *

अध्याय–9
बंधक श्रमिक

9.1 प्रारंभिक

संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसरण में बंधक श्रम पद्धति को समाप्त करने के लिये वर्ष 1976 से बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 लागू है। बंधक श्रम पद्धति से आशय ऐसा बलात् श्रम या अंशतः बलात् श्रम लेने की पद्धति से है जो साधारणतः स्वयं श्रमिक या उसके पूर्वजों को दिये गये ऋण की वसूली के रूप में या रूढ़िगत अथवा सामाजिक बाध्यता के अनुसरण में लिया जाता है।

बंधक श्रम प्रथा का विषय जुलाई, 1999 तक राज्य शासन के राजस्व विभाग को आबंटित था। राज्य शासन के कार्य आबंटन नियमों में 01.08.1999 से हुए संशोधन द्वारा यह विषय श्रम विभाग को आबंटित किया गया। इस संशोधन के पालन में यह कार्य वास्तव में फरवरी, 2000 में श्रम विभाग को हस्तांतरित हुआ।

उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के अनुसार बंधक श्रम प्रथा के अस्तित्व के बारे में छानबीन, बंधक श्रमिकों की पहचान, मुक्ति एवं कल्याण की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है।

अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य शासन ने समस्त जिला एवं उपखण्डीय मजिस्ट्रेटों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत घटित अपराधों के ट्रायल के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, की शक्तियों से वेष्ठित किया है।

9.2 बंधक श्रम प्रथा की दृष्टि से संवेदनशील जिले

योजना आयोग द्वारा दसवी पंचवर्षीय योजना, 2002–07 के संदर्भ में ''श्रमिकों के कमजोर वर्गो'' के लिये गठित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में मध्यप्रदेश के बीस जिलों की बंधक श्रम पद्धति की दृष्टि से संवेदनशील जिलों के रूप में पहचान की है। इनके अलावा, गत वर्षो में प्रदेश के छः अन्य जिलों में भी बंधक श्रमिक पाये गये हैं। कुल 27 जिलों की संभाग–वार सूची निम्नानुसार है –

क्रमांक	संभाग		जिले
1	ग्वालियर	–	1– ग्वालियर
			2– शिवपुरी
			3– गुना
2	चंबल		4– भिण्ड
			5– मुरैना
3	इन्दौर	–	6– इन्दौर
			7– झाबुआ
			8– धार
4	उज्जैन	–	9– शाजापुर
			10– मंदसौर
			11– रतलाम
	भोपाल	–	12– भोपाल
			13– विदिशा

क्रमांक	संभाग		जिले
			14— सिहोर
			15— बैतूल
			16— रायसेन
6	जबलपुर	—	17— जबलपुर
			18— मंडला
7	सागर	—	19— सागर
			20— छतरपुर
			21— टीकमगढ़
			22— पन्ना
8	रीवा	—	23— रीवा
			24— सतना
			25— सीधी
			26— शहडोल
9	होशंगाबाद	—	27— हरदा

9.3 जिला एवं उपखंड—स्तरीय निगरानी समितियॉं

अधिनियम की धारा 13 में जिला एवं उपखंड स्तर पर निगरानी समितियॉं गठित करने का प्रावधान है।

जिला—स्तरीय निगरानी समिति :—

यह समिति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होती है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य, दो सामाजिक कार्यकर्ता तथा किसी वित्तीय संस्था का एक व्यक्ति सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबद्ध तीन व्यक्ति सदस्य होते हैं। भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के पत्र दिनांक 29.5.06 द्वारा इन समितियों में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपखंड—स्तरीय निगरानी समिति :—

यह समिति उपखंडीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होती है। इसमें उनके द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य, दो सामाजिक कार्यकर्ता एवं वित्तीय संस्था के एक प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। इनके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबद्ध तीन व्यक्ति भी सदस्य होते हैं।

इन समितियों के मुख्य कार्य अधिनियम के प्रावधानों के परिपालन में जिला/उपखंडीय मजिस्ट्रेट को परामर्श देना, बंधक श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक पुनर्वास में सहायता करना, ग्रामीण एवं सहकारी वित्तीय संस्थाओं से उन्हें वित्तीय मदद उपलब्ध कराना तथा बंधक श्रमिकों को उनके ऋणों से मुक्ति दिलाना है। जिला एवं उप खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति द्वारा बंधक श्रमिक नियोजित करने वाले संभावित स्थलों जैसेः—ईट भट्टा, क्रशर, निर्माण कार्य, कृषि, बोरवेल, चूना भट्टा, होटल एवं ढाबा आदि का भ्रमण किया जाकर स्थल निरीक्षण किये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये है। तदनुसार समिति द्वारा स्थल निरीक्षण भी किये जा रहे है।

प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि वे उक्त निगरानी समितियों को पुनर्गठित कर सक्रिय बनाएं और हर तिमाही में उनकी कम से कम एक बैठक का आयोजन सुनिश्चित करें। अद्यतन स्थिति अनुसार प्रदेश के जिन जिलों में समितियों का दो वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है अथवा समाप्त हो रहा है, उन जिला कलेक्टरों को समितियों के पुनर्गठन किये जाने हेतु सूचित किया जाता है। सभी 51 जिलों की समिति गठित है।

राज्य स्तरीय बंधक श्रम समीक्षा एवं समन्वय समिति–

मान.उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 6190/2007 जे. प्रसाद विरूध्द मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय द्वारा नियमित रूप से सुनवाई करते हुए राज्य में बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, विमुक्ति एवं पुनर्वास की निगरानी की जा रही है। उक्त याचिका में पारित निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय बंधक श्रम समीक्षा एवं समन्वय समिति द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को राज्य में बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, विमुक्ति एवं पुनर्वास की जिलेवार समीक्षा की जाती है तथा समीक्षा के आधार पर समुचित दिशा–निर्देश प्रदान किए जाते है। मा. उच्च न्यायालय ने समीक्षा संबंधी प्रतिवेदन को संतोषजनक मानते हुए भविष्य में समिति की बैठक पाक्षिक के स्थान पर प्रति दो माह में करने की अनुमति प्रदान की गई है। वर्ष 2017 में समिति की पांच बैठकों का आयोजन किया गया। वर्ष 2018 में 01 बैठक का आयोजन किया गया। उक्त याचिका का निराकरण दिनांक 06.08.2018 को हो गया है।

9.4 विमुक्त बंधक श्रमिकों का पुनर्वास

बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु मध्यप्रदेश में पूर्व में प्रचलित बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना 2000 को निरस्त किया जाकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवीन **''बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016''** दिनांक 17.05.2016 से लागू की गई है।

योजना में बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राशि पुरूष वयस्क हितग्रहियों हेतु रु. 1.00 लाख, बालक एवं महिला हितग्राहियों के लिए रु. 2.00 लाख तथा गंभीर शोषण के प्रकरणों में महिला एवं बालकों के लिए रु.3.00 लाख प्रावधनित है। इसके अतिरिक्त बंधक श्रमिक सर्वेक्षण हेतु रु. 4.50 लाख प्रति जिला राज्य स्तरीय जन जागरण हेतु रु. 10.00 लाख तथा मूल्यांकन अध्ययन हेतु रु. 1.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक जिले में जिला दण्डाधिकारी के पर्यवेक्षण में बंधक श्रम पुनर्वास निधि का गठन किया जावेगा जिसमें रू.10 लाख की स्थायी निधि रहेगी जो विमुक्त बंधक श्रमिकों को तत्कालिक सहायता राशि रू. 20 हजार प्रदान करने हेतु प्रयुक्त होगी। शेष राशि हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जावेगे तथा शेष राशि बंधक श्रमिक के नियोजक के अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्वि उपरांत केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त कर बंधक श्रमिक को भुगतान की जावेगी। निधि में बंधक श्रमिक के नियोजको से प्राप्त होने वाली दण्ड की राशि जमा की जावेगी। प्रदेश के सभी 51

जिलों में बंधक श्रम पुनर्वास निधी का गठन (CORPUS FUND) किया जाकर समिति का बैंक खाता खोला गया है। राज्य शासन द्वारा राशि रू. 7.50 लाख कारपस फण्ड हेतु प्रत्येक जिलें को आबंटित की गई।

विमुक्त कराए गए बंधक श्रमिकों को विभिन्न प्रचलित शासकीय योजनाओं के तहत आवश्यकतानुसार निम्नलिखित लाभ दिलाकर पुनर्वासित कराया जाना अपेक्षित है :–

1. आवासहीनों को आवास हेतु भूखंड तथा आवास निर्माण हेतु सहायता।
2. भूमिहीनों को यथासंभव कृषि भूमि का आबंटन, और कृषि संसाधन के लिये सहायता **या** विकल्प में अन्य उत्पादक आस्तियों (यथा दुधारू पशु) के लिये सहायता **अथवा** रोजगार–मूलक कार्यक्रम के तहत रोजगार,
3. बी.पी.एल. राशन कार्ड का प्रदाय एवं शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में पात्रतानुसार लाभांवित करना।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित विमुक्त बंघक श्रमिकों को अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक सहायता एवं अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ प्रदान करना।
5. बंधक श्रमिको के नियोजकों कें विरूद्ध बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं अन्य श्रम अधिनियमों जैसे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम में अभियोजन/दावा कार्यवाही करना।

दिसंबर 2018 तक राज्य में पुनर्वासित सभी बंधक श्रमिकों को तत्कालिक सहायता राशि प्रदान की जाने हेतु बजट प्रदान किया गया है।

विमुक्त होकर राज्य में निवासरत बंधक श्रमिकों के लिये कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में आनेवाले श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उन्हें शासन की कल्याणकारी, हितग्रहीमूलक एवं रोजगारमूलक, योजनाओं से अतगत कराया जाकर, लाभांवित किया गया।

- दिनांक 24.10.2017 को बंधक श्रमिकों की विमुक्ति, पहचान एवं पुनर्वास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में सहायक/डिप्टी कलेक्टर, पुलिस, जिला पंचायत, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल सशक्तिकरण विभाग, बाल कल्याण समिति तथा चाईल्ड लाईन के अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई।

- कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री मनोहर ममतानी, अध्यक्ष, म.प्र. मानव अधिकार आयोग थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रजीत पुनहानी महानिदेशक, श्रम कल्याण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई। कार्यशाला में बंधक श्रमिकों की विमुक्ति, पुनर्वास एवं निगरानी कार्य हेतु बनाये गये लिबर्टी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। श्रम विभाग द्वारा बंधक श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास के संबंध में किये गये प्रयास तथा विमुक्ति कार्यवाही

की मानक प्रचलन प्रक्रिया (SOP) का समावेश करते हुए बनाई गई पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।

बंधक श्रम पुनर्वास की वर्षवार जानकारी **<u>परिशिष्ठ 9.1</u>** में अवलोकनीय है।

राज्य शासन द्वारा बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016 के क्रियान्वयन हेतु राशि रू 284 लाख का बजट प्रदाय किया गया है। प्राप्त बजट से राज्य में राज्य में बंधक श्रम पुनर्वास निधी (CORPUS FUND) सभी जिलों में बनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल द्वारा बंधक श्रमिक पाए जाने वाले चयनित जिलों में मूल्यांकन अध्ययन कार्य किया जा रहा है।

* * *

अध्याय–10
कतिपय अन्य महत्वपूर्ण श्रम कानूनों का कार्यान्वयन

10.1. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

यह अधिनियम मोटर परिवहन व्यवसाय में संलग्न उन नियोक्ताओं पर लागू होता है जो दो या दो से अधिक कर्मकार नियोजित करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत वाहन पर नियुक्त कर्मकारों की सेवाशर्तें (मुख्यतः काम के घंटे, अवकाश, ओवर टाइम, गणवेश आदि) का नियमन किया जाता है। नियोक्ता के लिये यह अनिवार्य है कि वह श्रम कार्यालय से उपक्रम का पंजीयन कराये एवं अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का पालन करे। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने की स्थिति में अधिनियम में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

प्रदेश में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों की संख्या तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या की श्रम कार्यालय– वार जानकारी **परिशिष्ट–10.1** में दी गई है।

अधिनियम के अंतर्गत संपन्न निरीक्षणों की जानकारी निम्नानुसार हैः–

तालिका 10.1

क्र.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19 (दिसंबर 2018 तक)
1.	निरीक्षण	28	43	16
2.	अभियोजन	3	00	00

10.2. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955

भारत सरकार ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना दिनांक 11 नवंबर 2011 द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के संबंध में मजीठिया वेतन मण्डल की अनुशंसायें प्रभावशील की हैं।

प्रदेश के समाचार पत्र संस्थाओं तथा प्रेस संस्थानों में मजीठिया वेतन मंडल की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु श्रमायुक्त संगठन के मैदानी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

10.3. मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958

यह अधिनियम, 1 जनवरी, 1959, से प्रभावशील है। इसका उद्देश्य दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित कर्मियों की कार्यदशाओं को विनियमित करता है।

यह अधिनियम 01.01.03 तक प्रदेश के 144 नगरों कस्बों में लागू था। दिनांक 15.7.2011 से इसे 47 जिलों के 219 और कस्बों में प्रभावशील किया गया

है। इस प्रकार अब यह प्रदेश के कुल 363 नगरों/कस्बों/ में लागू है, जिनकी जिले–वार सूची **परिशिष्ट–10.2** में दी गई है।

प्रदेश में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या, तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों/ कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या की जिले–वार जानकारी **परिशिष्ट–10.3** में दी गई है।

इस अधिनियम, की धारा 6 (2) एवं 6(5) के अंतर्गत दुकानों/स्थापनाओं के पंजीयन एवं नवीनीकरण का कार्य पुनः जुलाई 2009 से श्रम विभाग को सौंपा गया है।

इस अधिनियम की धारा 9 में दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना खुलने एवं बंद किये जाने का समय विनियमित किए जाने का और धारा 13 में ऐसी स्थापनाओं में एक साप्ताहिक अवकाश दिये जाने का प्रावधान है। कतिपय विशिष्ट स्वरूप की स्थापनाओं को उक्त अधिनियम की धारा 9 तथा धारा 13 के प्रावधानों से, कतिपय शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, छूट प्रदान की गई है। उदाहरणार्थ, अधिसूचना दिनांक 23.3.2000 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी स्थापनाओं को, कतिपय शर्तो के तहत, धारा 9(1) एवं धारा 13(1) के प्रावधानों से छूट दी गई है, अर्थात् इस प्रकार की स्थापनाएं प्रदेश में सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे कार्य कर सकती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के खुलने एवं बंद होने के समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। धारा–9 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 14.01.2011 द्वारा इनके बंद होने का समय रात्रि 10.00 बजे निर्धारित है।

श्रम विभगीय अधिसूचना दिनांक 20 मई 2013 द्वारा सूचना प्रौद्योगिक इकाईयों में रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक महिलाओं को कार्य करने की छूट उनकी सुविधा एवं सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्थाओं की शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 तथा म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत प्रक्रियाओं को सरलीकृत करते हुए दिनांक 15 जनवरी, 2014 से समस्त अभिलेख इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म में संधारित करने की अनुमति जारी की गई है तथा पंजीयन एवं नवीनीकरण की सुविधा ऑनलाईन की गई है। यह सेवा लोक सेवा के रूप में भी सम्मिलित है।

म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 में संशोधन करते हुए, म.प्र. दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 लाया गया है, जिसके अंतर्गत निम्न प्रमुख प्रावधान किए गए हैं:–

1. विहित कालावधि में निरीक्षक द्वारा विपरीत आदेश न होने पर पंजीयन स्वतः कर दिया गया, समझा जाएगा।

2. प्रत्येक स्थापना में आग से बचाव व कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के उपाय विहित किए जाएंगे।

3. 10 से कम श्रमिकों की स्थापना में निरीक्षण श्रम आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

4. सभी उल्लंघनों हेतु प्रशमन के प्रावधान किए गए हैं।

5. पंजियों एवं अभिलेखो को कम्प्यूटरीकृत या डिजिटल फार्मेट में रखा जा सकेगा।

अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

तालिका 10.2

क.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19 (दिसंबर 2018 तक)
1.	निरीक्षण	674	588	231
2.	अभियोजन	390	215	67

10.4. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970

यह अधिनियम उन प्रमुख नियोजकों एवं ठेकेदार के संस्थानों पर लागू होता है जो अस्थायी प्रकृति के कार्यों को संपन्न कराने की प्रक्रिया का संपादन करते है। उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार अनुबंधित कार्य के संपादन में किसी भी दिन बीस या उससे अधिक ठेका श्रमिक नियोजित होने की दशा में, प्रमुख नियोजक स्थापनाओं के लिए अपना रजिस्ट्रीकरण कराना, और संबंधित ठेकेदार को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन ने रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी और अनुज्ञापन अधिकारी निम्नानुसार नियुक्त किए हैं :–

तालिका 10.3

अधिनियम के तहत प्राधिकारी	किसे नियुक्त किया गया
1. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी
2. अनुज्ञापन अधिकारी	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी

प्रदेश में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों की संख्या, अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या तथा श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या की श्रम कार्यालय–वार जानकारी **परिशिष्ट–10.4** में दी गई है। अधिनियम के प्रवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है:–

तालिका 10.4

क.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19 (दिसंबर 2018 तक)
1.	निरीक्षण	442	891	712

2.	अभियोजन	56	225	67

10.5. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979

यह अधिनियम उन स्थापनाओं (एवं ठेकेदारों) पर लागू होता है जो न्यूनतम पांच या अधिक ऐसे श्रमिकों से काम लेते हैं, जो किसी अन्य राज्य से ठेकेदार, सरदार अथवा एजेंट के माध्यम से आये हों। स्थापना को ऐसे श्रमिकों से कार्य लेने के पूर्व अपना पंजीयन कराना होता है, तथा संबंधित ठेकेदार /सरदार/ एजेंट को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होती है।

इस अधिनियम के अंतर्गत भी राज्य शासन ने उन्हीं अधिकारियों को क्रमशः रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी और अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त किया है, जिन्हें ठेका श्रम अधिनियम के तहत ऊपर पद 10.4 में इस हैसियत से नियुक्त दर्शाया गया है।

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों में राज्य से बाहर जाने वाले एवं अन्य राज्यों से आने वाले, दोनों प्रकार के श्रमिक सम्मिलित होते हैं। राज्य के सीमावर्ती जिलों में प्रायः श्रमिकों का अंतर्राज्यीय प्रवास प्रचलित है। भारी इंजीनियरिंग, लोहा एवं इस्पात, तथा ईंट भट्टे आदि कार्यों में बिहार तथा उत्तरप्रदेश राज्यों के श्रमिक प्रायः कार्यरत पाये जाते हैं। अधिकांश श्रमिक स्वयं ही प्रवास करते हैं और किसी सरदार/ठेकेदार/एजेंट के माध्यम से प्रवास न करने के कारण ये अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम की परिधि में नहीं आते हैं।

किसी ग्राम से अन्य राज्य को जाने वाले श्रमिकों की पंजी संधारित करने का दायित्व गत जनवरी, 2001, से ग्राम सभाओं को सौंपा गया है।

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2002 द्वारा अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, की धारा 20 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य की नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को, एवं नगर पालिकाओ तथा नगर निगमों मे कार्यरत राजस्व निरीक्षकों को, संबंधित नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत "निरीक्षक" नियुक्त किया गया है। अधिनियम के प्रवर्तन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

तालिका 10.5

क.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19 (दिसंबर 2018 तक)
1.	निरीक्षण	32	72	01
2.	अभियोजन	16	00	00

***

अध्याय–11
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

11.1 प्रारंभिक

भारत सरकार द्वारा संगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रवर्तित की गई है । योजना अन्तर्गत देय विभिन्न हितलाभों में से एक हितलाभ योजना के हितग्राही सदस्यों व उनके परिजनों को संपूर्ण चिकित्सा सेवाऐं प्रदान करने का दायित्व राज्य शासन को सौंपा गया है, जिसके लिये म0प्र0 शासन, श्रम विभाग अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाऐं विभाग की स्थापना की गई है । शेष हितलाभ भारत शासन अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदान किये जाते है ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, के अंतर्गत संचालित कर्मचारी राज्य बीमा योजना, अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित ऐसे सभी कारखानों, व अन्य स्थापनाओं पर लागू होती है, जहां कार्यरत व्यक्तियों की संख्या ऊर्जा–चालित स्थापनाओं तथा गैर–ऊर्जा चालित स्थापनाओं में दस या दस से अधिक हों। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा दिनॉक 31.3.2018 की स्थिति में दी गई जानकारी अनुसार प्रदेश में 9,49,403 बीमित व्याप्ति में है । निगम द्वारा दिनॉक 1.10.2016 से रूपये 21,000/– तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले कर्मकारों को व्याप्ति में लेने का निर्णय लिया गया है । योजना में व्याप्त कर्मकारो व उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा एवं अन्य विभिन्न हितलाभ प्राप्त होते हैं जिनका विवरण आगे पद 11.2 में दिया गया है ।

कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) योजना के तहत नियोजक स्थापनाओं और उनमें कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन तथा उनसे अभिदाय की प्राप्ति/वसूली का कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम (जो एक केंद्रीय उपक्रम है) करता है। श्रमिक को उसकी कुल परिलब्धियों के 1.75% के बराबर अभिदाय देना होता है और नियोजक 4.75% अभिदाय देता है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर में है तथा उसके अंतर्गत 27 स्थानीय कार्यालय हैं।

11.2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले हितलाभ और योजना के कार्यान्वयन का पेटर्न

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित श्रमिक को निम्नलिखित हितलाभ प्राप्त होते हैं :–

1–चिकित्सा हितलाभ– श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्यों को पूर्ण चिकित्सा सुविधा।

2–बीमारी हितलाभ– दीर्धकालिक रोगों से ग्रस्त बीमाकृत व्यक्ति 91 दिन की बीमारी हितलाभ अवधि की समाप्ति पर बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहे थे । प्रायः कार्य के लिए स्वस्थ्य न होने पर भी वे अंतिम प्रमाण–पत्र के लिए जोर देते थे । अब 3 वर्ष की वि.बी.हित. अवधि में 2 वर्ष तक की

विस्तारित अवधि (विस्तारित बीमारी हितलाभ) हेतु बीमारी हितलाभ का भुगतान करने का प्रावधान कर दिया गया है ।

3–मातृत्व हितलाभ– महिला श्रमिकों को तीन माह के वेतन के बराबर राशि प्रसूति की दशा में देय है।

4–अपंगता हितलाभ– कार्य संबंधित दुर्घटना से उत्पन्न अपंगता की स्थिति में बीमित व्यक्तियों को मुआवजा देय है जिसकी दर श्रमिक की आयु व वेतन पर निर्भर है। स्थायी अपंगता के लिए मासिक पेंशन देय है।

5–पुनर्वास हितलाभ– अपंग हुए हितग्राहियों को कृत्रिम अंग लगवाने तथा दुरस्त कराने के लिए, एवं कृत्रिम अंग केंद्र तक आने–जाने के व्यय को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शारीरिक पुनर्वास भत्ते के रूप में वहन किया जाता है। इसके अलावा, शारीरिक अपंगता की स्थिति में व्यावसायिक पुनर्वास/पुर्नप्रशिक्षण हेतु सहायता, व्यावसायिक पुर्नवास भत्ते के रूप में दी जाती है।

6–आश्रित हितलाभ– कार्य संबधित दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को मासिक पेंशन की पात्रता होती है।

7–अंत्येष्टि हेतु सहायता– बीमित श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार को अधिकतम रुपये 10,000/– अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं।

उपर्युक्त में से प्रथम हितलाभ (अर्थात् चिकित्सा हितलाभ) का प्रशासन पूरी तरह राज्य शासन की जिम्मेदारी है। शेष हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नगद रूप में दिये जाते हैं, परंतु उनके लिए आवश्यकतानुसार प्रमाणीकरण क.रा.बी. सेवाओं में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है।

राज्य शासन के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं दिए जाने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनॉक 1.4.2016 से रूपये 3,000/– प्रति बीमित व्यक्ति प्रति वर्ष का मापदंड निर्धारित किया गया था। इस सीमा तक होने वाले व्यय को निगम एवं राज्य शासन 7:1 के अनुपात में वहन करते हैं। इससे अधिक होने वाला व्यय पूर्णतः राज्य शासन को वहन करना होता है। निगम ने रुपये 3,000/– प्रति बीमित व्यक्ति प्रति वर्ष की उक्त दर को निम्न मदों में विभक्त किया है :–

1. प्रशासनिक मद	रूपये 1,250/–
2. अन्य मद	रूपये 1,750/–
योग	रूपये 3,000/–

11.3. कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रदेश में विस्तार एवं बीमित व्यक्तियों की संख्या

प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रथमतः जनवरी, 1955, में मध्य भारत क्षेत्र के चार मुख्य औद्योगिक केन्द्रों– इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, तथा रतलाम–के लगभग 55,000 श्रमिकों के लिये प्रारंभ की गयी थी। शनैः–शनैः प्रदेश में औद्योगिक केन्द्रों के विस्तार के साथ–साथ

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का भी विस्तार होता गया। दिनॉक 31.3.2018 की स्थिति में प्रदेश के 20 जिलों में 20 केन्द्रों पर 9,49,403 बीमित व्यक्तियों व उनके
परिवार के सदस्यों को इस योजना के तहत चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तथा प्रत्येक केंद्र पर कार्यरत चिकित्सालयों और औषधालयों की सूची **परिशिष्ट–2.3** मे दी गयी है।

11.4. चिकित्सा हितलाभ

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत देय पूर्ण चिकित्सा सेवा (Full medical care) के अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों व उनके परिवार के सदस्यों को बाह्य रोगी चिकित्सा, अन्तः चिकित्सालयीन सुविधा व विशेष जांच व उपचार की सेवाऐं उपलब्ध करायी जाती है।

अन्तः चिकित्सालयीन सुविधा प्रदेश के मुख्य नगरों में 6 कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों एवं एक एनेक्सी वार्ड के माध्यम से दी जाती है । जिनमें कुल 456 शैयायें उपलब्ध है । इन्दौर क्षय चिकित्सालय में 75, उज्जैन चिकित्सालय में 50, ग्वालियर चिकित्सालय में 100, भोपाल चिकित्सालय में 100, देवास चिकित्सालय में 50, नागदा चिकित्सालय में 50 एवं ऐनेक्सी वार्ड मंदसौर में 25, मिल क्षेत्र औषधालय में पी0पी0युनिट में 6 शैयाओं की व्यवस्था है । अन्य स्थानों पर बीमित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के लिये 16 स्थानीय जिला/ सिविल चिकित्सालयों में 96 सामान्य व 46 क्षय शैयाओं का आरक्षण किया गया है तथा द्वितीयक उपचार एवं जॉच की केश रहित सुविधा हेतु प्रदेश के 69 निजी चिकित्सा संस्थानों को अनुबंधित किया गया है ।

वर्तमान में 3 रोगी वाहन विभिन्न चिकित्सालयों एवं औषधालयों में कार्यरत है ।

गंभीर बीमारियों व जटिल सर्जरी, विशेष जॉचें आदि के मामलों में, जो सुविधा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में उपलब्ध नही है उन्हें राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम म0प्र0 द्वारा विभिन्न अतिविशिष्ट चिकित्सालयों को अनुबन्धित कर, केशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । जरूरत पडने पर बीमित व्यक्तियों को ऐनक, कृत्रिम अंग, हियरिंग एड आदि भी निःशुल्क दिए जातें हैं।

बीमित व्यक्तियों को, उनके द्वारा चिकित्सा पर किए गए व्यय के शीघ्र पुर्नभुगतान के उद्देश्य से जुलाई 2001 से स्थापित रिवाल्विंग फंड दिनॉक 31.3.2015 से समाप्त करते हुये एसिक ऑपरेशन मेन्युअल 2015 के अनुसार हितग्राहियों को भुगतान रहित उपचार सुविधा दिनॉक 1.4.2015 से प्रारंभ की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में दिनॉक 31.12.2018 तक का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 11.4

क्र.	उपचार	प्रकरणों की संख्या (अप्रेल 2018 से दिसम्बर 2018 तक)	चिकित्सालयों को भुगतान करने हेतु स्वीकृत राशि
1	द्वितीयक उपचार एवं जॉच सुविधा	13,931	5,78,71,322/–

क.रा.बी. संस्थाओं में उपचारित मरीज़ों का विवरण **परिशिष्ट–11.1** में दिया गया है।

11.5. परिवार कल्याण एवं अन्य सेवाऐं

उपर्युक्त चिकित्सा सेवाओं के अलावा संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, कतिपय अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम और गतिविधियां भी संचालित करता है। श्रमिक एवं परिवार कल्याण शिक्षक द्वारा श्रमिक बस्तियों व औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक बैठकों का आयोजन किया जाता है जिनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। टेलिविजन, वीडियों, प्रोजेक्टर, बेनर, पोस्टर आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है।

श्रमिक बस्तियों में टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, क्षयरोग, नेत्र रोग एवं अस्थिरोग निदान शिविर, स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता एवं परिवार नियोजन आपरेशन शिविर आयोजित किए जाते हैं। इनमें बीमारियों के प्रतिरोधक टीके, हेल्थ स्केनिंग व स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है।

परिवार कल्याण आदि कार्यक्रमों के तहत विगत तीन वर्षो में किए गए कार्य का विवरण **परिशिष्ट–11.2** में दिया गया है। इसी प्रकार विगत तीन वर्षो में टीकाकरण संबंधी जानकारी **परिशिष्ट– 11.3** में दर्शाई गई है ।

चिकित्सालय द्वारा किये गये आपरेशन का विवरण **परिशिष्ट–11.4** में दिया गया है।

हेपेटाईटिस ''बी'' से बचाव के लिये बीमितों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिये हेपेटाईटिस–बी का विशेष सत्र औद्योगिक इकाईयों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 519 हितग्राहियों को टीकें लगाये गये है ।

प्रदेश के कर्मचारी राज्य बीमा सेवाऐं को परिवार कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता रहा है । दिनांक 31.10.06 को नई दिल्ली में चिकित्सा हितलाभ परिषद की आयोजित 76 वीं बैठक में वर्ष 2004–05 में प्रथम पुरस्कार के साथ रूपये 10,000/– नगद, टीकाकरण के क्षेत्र में प्रावीण्यता प्रमाण–पत्र तथा वर्ष 2005–06 में द्वितीय पुरूस्कार के साथ रूपये 5,000/– नगद प्रदान किये गये है।

वर्ष 2008–09 में परिवार कल्याण की उपलब्धियों के लिये महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार घोषित किया गया है, इसमें रूपये 3,000/– का नगद व प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया । वर्ष

2011–12 व 2012–13 तथा 2013–14 के पुरस्कारों के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में रूपये 10,000/– का नगद प्रथम पुरस्कार एवं प्राविण्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

11.6 श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार संबंधी कार्ययोजना

पूर्व में राज्य योजना मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय ''श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार'' में श्रम विभाग को संगठित / असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के 0 से 18 वर्ष आयु के 1,00,000 बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण करने का दायित्व सौंपा गया था ।

इस संबंध में कर्मचारी राज्य सेवायें म.प्र. द्वारा निर्धारत अधीनस्थ 10 केन्द्रों एवं चिकित्सालय के माध्यम से वर्ष 2004–2005 से सतत् शिविरों का आयोजन कर बच्चों
का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में (दिसम्बर 2018 तक) सभी केन्द्रों एवं चिकित्सालयों के माध्यम से 124 शिविर आयोजित कर 7,856 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है ।

11.7 एच. आय. वी./एड्स प्रकोष्ठ

एड्स के प्रसार को रोकने एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा नीति निर्देश तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क.रा.बी. सेवाओं के लिये कार्यक्रम निर्धारण व धनराशि आंवटन क.रा.बी.निगम के माध्यम से किया जाता है। संचालनालय में कार्यरत एड्स प्रकोष्ठ के अधीन ग्वालियर स्थित चिकित्सालयों में 31.3.2000 से आय. सी.टी. सी (समग्र परामर्श/ परीक्षण केन्द्र) प्रारंभ किये गये है एवं यौन जनित रोग निदान एवं उपचार क्लीनिक की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी है। यह कार्यक्रम क.रा.बी.निगम द्वारा वित्त पोषित है। लगातार प्रचार–प्रसार एवं जनजागृति के प्रयास हर स्तर पर किये जा रहे है जिसके कारण एड्स के नवीन प्रकरणों में कमी आयी है ।

एच0आई0वी0/एड्स के प्रसार के रोकथाम हेतु विभागीय चिकित्सकों एवं पैरामेडीकल स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । निदान केन्द्रों पर सम्पन्न परीक्षण में एच0आई0वी0 पॉजिटिव के कुछ प्रकरण पाये गये है, जिन्हें विशेष उपचार चिकित्सा महाविद्यालयों के ए0आर0 टी0 केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

11.8 विभागीय अमले की स्थिति

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें म. प्र. के अन्तर्गत वर्ष 2018–2019 में (दिसम्बर 2018 तक) स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त अमले की स्थिति निम्नवत् है :–

क.	श्रेणी	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्रथम श्रेणी	73	24	49
2	द्वितीय श्रेणी	290	205	85

क्र.	श्रेणी	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
3	तृतीय श्रेणी	891	612	279
4	चतुर्थ श्रेणी	785	520	265
5	**कुल योग**	**2039**	**1361**	**678**

11.9 विभागीय पदोन्नतियों की स्थिति

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें म. प्र. के अर्न्तगत वर्ष 2018–2019 में (दिसम्बर 2018 तक) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी में निरंक तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में निरंक एवं तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी में निरंक तथा चतुर्थ श्रेंणी से तृतीय श्रेणी में निरंक पदोन्नतियॉ की गई है।

11.10 विभागीय जॉच की स्थिति

वर्ष 2018–2019 में (दिसम्बर 2018 तक) विभागान्तर्गत प्रथम श्रेणी में 01, द्वितीय श्रेणी में 03 प्रकरणों में निर्णय शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है । तृतीय श्रेणी में 03 तथा चतुर्थ श्रेणी में 03 प्रकरण में जांच कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

11.11 नियुक्तियों की स्थिति

वर्ष 2018–2019 में (दिसम्बर 2018 तक) विभागार्न्तगत प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी पदों नियुक्ति कर्ता अधिकारी शासन, लोक सेवा आयोग के माध्यम से बीमा चिकित्सा पदाधिकारी एवं सहायक चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्रवाई के तहत लोक सेवा आयोग द्वारा 1.1.2016 द्वारा 70 उम्मीदवारों की सूचि जारी की गई है, इसमें से 32 चिकित्सकों ने कार्यभार ग्रहण किया है तथा तृतीय श्रेणी में निरंक पदों पर तथा चतुर्थ श्रेणी के 01 पदों पर नियुक्ति की गई ।

11.12 स्थानांतरण की स्थिति

वर्ष 2018–2019 में (दिसम्बर 2018 तक) प्रथम श्रेणी में निरंक, द्वितीय श्रेणी में निरंक, तृतीय श्रेणी में 02 तथा चतुर्थ श्रेणी में निरंक स्थानान्तरण किये गये है ।

11.13 न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :–

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें में वर्तमान में कुल 160 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। जिसमें से 117 न्यायालयीन प्रकरण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों से संबंधित है तथा शेष 43 प्रकरण हितग्राहियों से संबंधित है ।

****

अध्याय–12
श्रम न्यायपालिका

12.1.संवैधानिक व्यवस्था

संविधान के अनुच्छेद 323–ख (1) में व्यवस्था है कि समुचित विधान मंडल, कानून व्दारा, उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) में उल्लेखित प्रकार के विवादों के अधिकरणों व्दारा न्याय निर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा । उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में उल्लेखित विषयों में ''औद्योगिक और श्रम विवाद'' भी सम्मिलित है ।

म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदेश में औद्योगिक न्यायालय गठित है । साथ ही, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7–क के अंतर्गत मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायाधिकरण गठित है । धारा 7–क के अनुसार कोई भी औद्योगिक विवाद, चाहे वह अधिनियम की अनुसूची दो का विषय हो अथवा अनुसूची तीन का, राज्य शासन व्दारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सौंपा जा सकता है । औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष ही औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी नियुक्त है । मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8, सहपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अंतर्गत प्रदेश में श्रम न्यायालय कार्यरत हैं ।

औद्योगिक न्यायालय तथा श्रम न्यायालय, विभिन्न केन्द्रीय व राज्य विधानों के अंतर्गत औद्योगिक विवादों की सुनवाई करते हैं ।

12.2. औद्योगिक न्यायालयों की खंडपीठ व प्रशासन

मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय की मुख्य खंडपीठ इन्दौर में है, तथा 4 खंडपीठें क्रमश: जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल एवं रीवा में स्थापित है । औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य न्यायाधीशों के पद स्वीकृत है जिनमें से दो मुख्यालय इन्दौर में, एवं शेष चार खंडपीठों के लिए है । मुख्यालय पर प्रशासकीय व कार्यपालक कार्य के लिए एक पंजीयक है, जो न्यायिक कार्य के लिए कराधान अधिकारी भी है । खंडपीठों में संयुक्त पंजीयक, प्रशासकीय अधिकारी है । राज्य में कुल 25 श्रम न्यायालय गठित है जिनमें से 23 श्रम न्यायालय नियमित रूप से कार्यरत हैं । जिन श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त हैं, वहां का प्रभार अन्य निकटस्थ श्रम न्यायालय में कार्यरत पीठासीन अधिकारी को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है ।

औद्योगिक न्यायलय तथा विभिन्न श्रम न्यायालयों व्दारा वर्ष 2018 में प्रकरणों के निराकरण संबंधी जानकारी **परिशिष्ट 12.1** एंव **12.2** में दी गई है ।

पदोन्नति :– वर्ष 2018 में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी में किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति प्रदान नही की गई।

विभागीय जॉच :–वर्ष 2018 में दिनांक 31–12–2018 की स्थिति में विभागीय जॉच के 7 प्रकरण लंबित है ।

नियुक्तियाँ :— वर्ष 2018 में तृतीय श्रेणी में सहायक ग्रेड–3 के पद पर 16 एवं चतुर्थ श्रेणी में वाहन चालक के पद पर 2 एवं भृत्य के पद पर 9 कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की गई।

स्थानांतरण :—श्रम न्यायिक संस्थान में वर्ष 2018 में तृतीय श्रेणी में 15 एवं चतुर्थ श्रेणी में 7 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया ।

न्यायालीयन प्रकरणों की स्थिति :— शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासन के विरूद्ध दायर न्यायालयीन प्रकरणों के अंतर्गत जानकारी नीचे तालिका में दर्शाई जा रही है ।

श्रम न्यायालय तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले

क.	संभाग	श्रम न्यायालय	श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले
1.	इन्दौर	1. इन्दौर	इन्दौर
		2. धार	धार
		3. खंडवा	1. खंडवा, 2. खरगोन, 3. बड़वानी, 4. बुरहानपुर
2.	उज्जैन	1. उज्जैन	1. उज्जैन, 2. शाजापुर, 3 आगर
		2. देवास	देवास
		3. रतलाम	1. रतलाम, 2. झाबुआ 3. अलीराजपुर
		4. मन्दसौर	1. मन्दसौर, 2. नीमच
3.	भोपाल	1. क. 1, भोपाल	1. भोपाल, 2. रायसेन
		2. क. 2, भोपाल	1. सीहोर, 2. विदिशा, 3. राजगढ़,
4.	सागर	1. सागर	1. सागर, 2. पन्ना, 3. टीकमगढ़ 4. दमोह 5. छतरपुर
5.	जबलपुर	1. जबलपुर	1. जबलपुर, 2. मंडला, 3. सिवनी, 4. कटनी, 5. डिंडोरी
		2. नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
		3. छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
		4. बालाघाट	बालाघाट
6.	रीवा	1. रीवा	रीवा
		2. शहडोल	1. शहडोल, 2. उमरिया 3. अनुपपुर
		3. सीधी	1. सीधी 2. सिंगरौली
		4. सतना	सतना
7.	ग्वालियर	1. क. 1, ग्वालियर	1. ग्वालियर,
		2. क. 2, ग्वालियर	1. मुरैना, 2 भिण्ड 3. दतिया, 4 शिवपुरी, 5. श्योपुर
		3. क. 3, ग्वालियर	1. गुना 2. अशोक नगर
8.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	1. होशंगाबाद, 2. हरदा, 3. बैतुल
9.	चंबल	—	—

नोट — श्रम न्यायालय दमोह एवं छतरपुर अस्तित्व में नही है ।

***

अध्याय–13
राज्य–स्तरीय त्रिपक्षीय सलाहकार समितियां

13.1. प्रारंभिक

श्रम संबंधी मामलों में साधारणतः तीन हितधारी पक्ष– श्रमिक, नियोजक एवं शासन होते हैं जिन्हें सामाजिक भागीदार (social partners) भी कहा जाता है। श्रम के क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में इन तीन सामाजिक भागीदारों के बीच नियमित और सार्थक संवाद और विचार–विमर्श होते रहना आवश्यक है। त्रिपक्षीयता का यह सिद्धांत अनेक श्रम कानूनों एवं कार्यकारी आदेशों के तहत गठित समितियों में प्रतिबिंबित होता है। कुछ प्रमुख राज्य–स्तरीय त्रिपक्षीय समितियों का विवरण आगे दिया जा रहा है।

13.2. राज्य श्रम सलाहकार परिषद

मध्य प्रदेश श्रम सलाहकार परिषद, राज्य शासन के कार्यकारी आदेश के तहत गठित एक महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च त्रि–पक्षीय मंच है जो राज्य शासन को उद्योग संबंधी प्रक्रिया में सुधार, श्रम कल्याण प्रवृत्तियों को असरकारक बनाने, श्रम अधिनियमों के मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन, तथा उद्योग एवं श्रम संबंधी विषयों पर परामर्श देता है।

परिषद के अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री हैं तथा श्रमायुक्त इसके सचिव हैं। प्रमुख सचिव श्रम, तथा शासन के अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी, नियोक्ता एवं श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी भी इसके सदस्य हैं। परिषद में केद्रीय एवं राज्य शासन के उपक्रमों के दो–दो, निजी उद्योगो के 9, श्रमिक के 14 तथा 1 मा. सांसद एवं अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 4 सदस्य हैं। मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद का पुनर्गठन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

13.3. न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड

यह बोर्ड न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा–7 के अंतर्गत गठित होता है। बोर्ड का पुनर्गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2014 के द्वारा किया गया है। जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 11 जुलाई, 2014 को हुआ है। श्रमायुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष का होता है, ओर वह अधिसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में कार्रवाई करता है। बोर्ड की बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2016 को हुई है।

13.4 राज्य सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड

यह बोर्ड ठेका श्रम अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित होता है। इसका कार्य अधिनियम के प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर राज्य शासन को सलाह देना है। बोर्ड का गठन 7 जनवरी 2013 को हुआ था। बोर्ड के पुर्नगठन हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

13.5 समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार समिति

यह समिति उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत महिलाओं को नियोजन में अधिक अवसर प्रदान करने तथा समान कार्य हेतु समान वेतन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित की जाती है। इस समिति के पुनर्गठन की कार्यवाही प्रचलित है।

* * *

अध्याय–14
सांविधिक मंडल

14.1 म0प्र0 श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल

प्रदेश में श्रमिक कल्याण गतिविधियों की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 को म.प्र. विधानसभा में वर्ष 1982 में पारित किया गया। म.प्र.शासन श्रम विभाग की अधिसूचना अनुसार 14 नवम्बर, 1987 से मंडल ने विधिवत कार्य प्रारंभ किया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत परिभाषित कारखानों तथा दस या इससे अधिक कर्मचारी संख्या वाली वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु कल्याण योजनाऐं/गतिविधियों को संचालित करना है। वर्तमान में मंडल द्वारा नियमित रूप से विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी गतिविधियॉ संचालित की जा रही है, जो निम्नानुसार – है :–

01. श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केंद्रों का संचालन
02. श्रमिक कौशल उन्नयन योजना
03. संभागीय/राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताएं
04. मासिक श्रम कल्याण का प्रकाशन
05. निःशुल्क सिलाई–कढ़ाई प्रशिक्षण

मंडल की उपरोक्त नियमित गतिविधियों के अतिरिक्त मंडल निम्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करता है :–

01. शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
02. शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
03. कापियों का रियायती मूल्य पर वितरण
04. विवाह सहायता योजना
05. अंतिम संस्कार हेतु सहायता
06 कल्याणी सहायता योजना
07. अनुग्रह सहायता योजना
08 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना
09. उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना
10. श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना

1. श्रम कल्याण निधि एवं उसका उपयोग

म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के उपबंधों के अधीन अधिनियम के प्रयोजनों के लिये धारा–11 की उपधारा –1 के अनुसार ''निधि''मंडल में न्यासी के रूप में निहित होगी और मंडल द्वारा न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित की जाएगी। उसके धनों का उपयोग मंडल द्वारा ऐसे क्रियाकलापों को, जो श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएं, कार्यान्वित करने हेतू उपयोग किया जाएगा।

उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मंडल द्वारा निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों पर किये जाने वाले व्ययों को चुकाने में किया जा सकेगाः—

(क) सामुदायिक तथा सामाजिक शिक्षा केंद्र जिनके अंतर्गत वाचनालय और पुस्तकालय भी हैं,

(ख) सामुदायिक आवश्यकताएं,

(ग) बालकों, स्त्रियों तथा प्रौढ़ों के लिये शैक्षणिक सुविधाएं,

(घ) खेल तथा खेलकूद,

(ड.) भ्रमण, पर्यटन और अवकाश गृह (हालिडे होम्स),

(च) मनोरंजन और अन्य प्रकार के आमोद—प्रमोद,

(छ) स्त्रियों और बेरोजगार व्यक्तियों के लिये गृह उद्योग और सहायक उपजीविकाएं,

(ज) सामाजिक स्वरूप के सामुदायिक क्रियाकलाप,

(झ) अधिनियम के प्रशासन का खर्च, जिसके अंतर्गत मंडल के सदस्यों के भत्ते तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द के वेतन व भत्ते आते हैं,

(ञ) ऐसे अन्य उद्देश्य जो मंडल की राय में श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हों और उनकी सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हों।

2. <u>मंडल की आय के स्त्रोत</u>

1. अभिदाय— मंडल की आय का मुख्य स्त्रोत म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 9 (2) (3) के प्रावधानों के अंतर्गत श्रमिकों, नियोजकों से प्राप्त अभिदाय एवं शासन से प्राप्त अंशदान है। शासन द्वारा दिनांक 02 फरवरी 2013 के राजपत्र में आम सूचना प्रकाशित कर अभिदाय दरों में वृद्धि उपरांत श्रमिकों से रूपये 10/— प्रति श्रमिक प्रति छमाही तथा नियोजकों से रूपये 30/—प्रति श्रमिक/कर्मचारी प्रति छमाही निर्धारित किए गए हैं। धारा 9 (2)(ख) परन्तुक के अनुसार नियोजक का अंशदान न्यूनतम रूपये 1500/— निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा नियोजकों से प्राप्त अभिदाय के बराबर अंशदान मंडल को दिये जाने का प्रावधान है।

मण्डल को वित्तीय वर्ष 2018—19 **(दिसम्बर 2018 तक)** की स्थिति में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों तथा स्थापनाओं से अभिदाय स्वरूप राशि रू **3,83,24,051/—** (तीन करोड़ त्रिरासी लाख चौबीस हजार इक्यावन मात्र) प्राप्त हुई है। शासन से प्राप्त होने वाले अंशदान की अवशेष राशि में से रूपये—8.40 करोड़ का अंशदान प्राप्त हुआ है।

2. असंदत्त संचित राशि— मंडल को अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत असंदत्त संचित राशि प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2018—19 **(दिसम्बर 2018 तक)** विभिन्न औद्योगिक इकाईयों से अंसदत्त संचित राशि रू. रू **36,94,992.95** पैसे (छत्तीस लाख चौरानवें हजार नौ सौ बयानवें पिन्चानवे पैसे मात्र) प्राप्त हुई है। असंदत्त संचित राशि के संबंध में अधिनियम की धारा 8 प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही मंडल द्वारा की जाती है।

3. **सावधि जमा–** मंडल में वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू. **15.60 करोड़** की सावधि जमा थी। जो वित्तीय वर्ष 2018–19 **(दिसम्बर 2018 तक)** में रूपये–**28.59 करोड़** सावधि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा है।

मंडल द्वारा संचालित श्रमिक कल्याणकारी गतिविधियाँ

वर्तमान में मंडल द्वारा निम्नलिखित कल्याणकारी गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं :–

(01) शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना :–

म.प्र. श्रम कल्याण मंडल द्वारा वर्ष 1989 से प्रतिवर्ष प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों एवं स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृति का लाभ दिया जा रहा है । मंडल द्वारा वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति का उद्देश्य यह है कि आर्थिक अभाव के कारण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो सके ।

मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिनांक 05.10.2018 से कक्षा पांचवी से आठवीं तक रूपये 650 से बढ़ाकर 1000/–प्रतिवर्ष एवं कक्षा 9वीं से बारहवीं तक रू. 750 से बढ़ाकर 1200 प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया है। स्नातक, आई.टी.आई. एवं पोलिटेक्निक, पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए.(कम्प्यूटर पाठयक्रम) में रू. 900 से बढ़ाकर 1500 प्रतिवर्ष से तथा स्नातकोत्तर रू. 1650 से बढ़ाकर 3000 प्रतिवर्ष, बी.ई. में 1650 से बढ़ाकर 10,000 प्रतिवर्ष, एम.बी.बी.एस. में रू. 1650 से बढ़ाकर 20,000 प्रतिवर्ष छात्र/छात्राओं को लाभ देने का प्रावधान किया गया है।

(02) शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना :–

यह योजना वर्ष 2008 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षा 10वीं, 12वीं में स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.ई. तथा एम.बी.बी.एस. में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है।

मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिनांक 05.10.2018 से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण (एम.पी. बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक तथा सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. द्वारा आयोजित परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक) तक रूपये 1150 से बढ़ाकर 1500/–प्रतिवर्ष एवं कक्षा 12 वीं (एम.पी. बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक तथा सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. द्वारा आयोजित परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक) तक रू. 1250 से बढ़ाकर 1600 प्रतिवर्ष, स्नातक/स्नातकोत्तर (70 प्रतिशत से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य अन्तराल नहीं होना चाहिये) रूपये 1900 से बढ़ाकर 10,000/–प्रतिवर्ष, बी.ई. (70 प्रतिशत से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैक नहीं होना चाहिये) रूपये 1900 से बढ़ाकर 15,000/– प्रतिवर्ष तथा एम.बी.बी.एस. (60 प्रतिशत से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैक नहीं होना चाहिये) रूपये 1900 से बढ़ाकर 25,000/–प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त दोनों योंजना में वित्तीय वर्ष **2018–19 (दिसम्बर 2018 तक)** में **10388** छात्र/छात्राओं को राशि रूपये–**88,43,250/–** स्वीकृत कर वितरित की गई है।

(03) <u>सस्ती दरों पर कापियों का वितरण</u> :–

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र–पुत्रियों को सस्ती दरों पर कापियों का वितरण किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक) में कापियों के वितरण में **40000** छात्र/छात्राओं हितग्राहियों को राशि रूपये–**2,40,91,200/–** की कापियॉ वितरित की गई है।

(04) <u>विवाह सहायता योजना</u> :–

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की 18 वर्ष से अधिक आयु की पुत्री के विवाह हेतु राशि 6,250/– रूपये विवाह सहायता राशि प्रदाय की जाती थी, जो इस वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिनांक 05.10.2018 से रू. 6250 प्रति प्रकरण से बढ़ाकर रू. 15,000 प्रति प्रकरण देने की वृद्धि की गई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक) में 774 हितग्राहियों को राशि रूपये–53,88,750/– की विवाह सहायता राशि वितरित की गई।

(05) <u>अंतिम संस्कार हेतु सहायता योजना</u> :–

1 अप्रैल, 2003 से अंतिम संस्कार के लिये यह सहायता राशि श्रमिक (पुरूष/स्त्री) के मरणोपरांत श्रमिक की पत्नि अथवा उसके ज्येष्ठ पुत्र अथवा जो पुत्र अंतिम संस्कार करेंगे उसे दी जावेगी। पुत्र न होने की स्थिति में जो भी अंतिम संस्कार करेगा उसे यह राशि प्रदान की जा सकती है। आवेदक को नियोजक से यह सत्यापित कराना होगा कि मृत श्रमिक उनके संस्थान/स्थापना में कार्यरत था, इस प्रमाणीकरण के पश्चात् सहायता राशि जारी की जायेगी। आवेदन मृत्यु दिनांक से 1 वर्ष तक मान्य होता है। मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिनांक 05.10.2018 से रू. 3000 प्रति प्रकरण से बढ़ाकर रू. 5,000 प्रति प्रकरण देने की वृद्धि की गई।

वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक) में 32 हितग्राही को राशि रूपये 96,000/– अंतिम संस्कार हेतु सहायता राशि वितरित की गई।

(06) <u>कल्याणी सहायता योजना</u> :–

01 अप्रैल 2003 से श्रमिकों की विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा सहायता योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना उन श्रमिकों की विधवाओं को प्रदान की जा सकेगी जो मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत आने वाली किसी स्थापना/संस्थान में कम से कम एक वर्ष निरंतर कार्यरत रहे हों। पेशन हेतु आवेदिका को संस्थान के माध्यम से यह प्रमाणित करना होगा कि मृत श्रमिक विगत 1 वर्ष से निरंतर उनके संस्थान/स्थापना में कार्यरत रहा है।

आवेदिका मृत श्रमिक की पत्नी है तथा उसे अन्य किसी जगह से पेशन प्राप्त नहीं हो रही है अथवा प्राप्त करने की पात्रता नहीं है, तो उसे मण्डल द्वारा योजना का लाभ प्रदान किया जा सकेगा। आवेदिका का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है । आवेदन मृत्यु दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा।

मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिनांक 05.10.2018 से रू. 6000 वार्षिक (अर्थात् रू. 500 प्रतिमाह) प्रति प्रकरण से बढ़ाकर रू. 12,000 वार्षिक (छःमाही अर्थात् प्रत्येक जून एवं दिसम्बर में रू 6000–6000) प्रति प्रकरण देने की वृद्धि की गई।

वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक) में 06 हितग्राहियों को राशि रू. 36,000/– वितरित की गई ।

(07) अनुग्रह सहायता योजना :–

मण्डल द्वारा पूर्व में संचालित चिकित्सा क्षतिपूर्ति सहायता योजना, शारीरिक असमर्थता पर सहायता योजना, बिटिया शिक्षा योजना के स्थान पर दिनांक 05.10.2018 से अनुग्रह सहायता योजना का प्रारंभ किया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर श्रमिक के संस्थान से कार्यरत होने तथा पात्रता के सम्बन्ध में सत्यापन क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं प्रकरण में में अनुग्रह राशि क्यों दी जानी है इसके कारणों सहित अनुशंसा के साथ प्रस्ताव मुख्यालय में भेजा जायेगा, जिसमें (मान. अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन कोटे से) चिकित्सा क्षतिपूर्ति सहायता, शारीरिक असमर्थता पर सहायता, बिटिया शिक्षा सहायता एवं अन्य ऐसे प्रकरण जिनमें किसी श्रमिक को सहायता अत्यंत आवश्यक है, उनमें मान. अध्यक्ष महोदय कल्याण आयुक्त के प्रस्ताव पर अनुग्रह सहायता राशि रू. 5,000/– से रू. 25,000/– तक प्रदान की जा सकेगी।

वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक) की अवधि में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं।

(08) कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना :–

वर्तमान में मण्डल द्वारा एक नवीन कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना को वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिनांक 05.10.2018 के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों जिनमें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अथवा अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं, उन केन्द्रों में पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. पाठयक्रम में अध्ययन करने वाले श्रमिकों के बच्चों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र को भुगतान किये जाने वाले प्रशिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत या रू. 8,000/– जो भी कम हो चयनित अभ्यार्थी को भुगतान किया जावेगा।

(09) उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना :–

मंडल द्वारा प्रदेश के उत्कृष्ट श्रमिकों के सम्मान हेतु उत्तम श्रमिक योजना का प्रारंभ वर्ष 1994–95 में किया गया। यह पुरस्कार प्रदेश के उन श्रमिकों को दिया जाता है जिन्होंने संस्थान में उत्पादन वृद्धि, कार्यकुशलता, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इन्हें पुरस्कृत करने से जहां इनकी

पहचान स्थापित होती है, वहीं सहयोगी श्रमिकों को भी इस प्रकार के कार्य करने हेतु प्रेरणा मिलती है। इस योजना के अंतर्गत चयनित श्रमिक को मंडल द्वारा सम्मान पत्र, शील्ड एवं राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में 15 चयनित श्रमिकों को पुरस्कृत किया जाता है।

मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिनांक 05.10.2018 के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत चयनित श्रमिक को रू. 11,000/– से बढ़ाकर रू. 15,000/– नगद एवं सम्मान पत्र तथा शील्ड प्रदान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक) में 11 हितग्राहियों को राशि रू. 1,21,000/– वितरित की गई ।

(10) श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना :–

मंडल द्वारा श्रमिकों की साहित्यिक अभिरूचि एवं प्रतिभा को विकसित तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994–95 से यह योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत कविता, कहानी, निबंध तथा प्रेरक प्रसंग विधा के अंतर्गत कुल 12 श्रमिकों को पुरस्कृत किया जाता है। प्रत्येक विधा में तीन श्रमिकों को श्रमिक साहित्य रत्न, श्रमिक साहित्य विशारद तथा श्रमिक साहित्य प्रवीण से सम्मानित किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत चयनित श्रमिकों को मण्डल द्वारा रू. 5,000/– नगद एवं सम्मान पत्र तथा शील्ड प्रदान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक) में 10 हितग्राहियों को राशि रू. 50,000/– वितरित की गई ।

मंडल द्वारा उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं के अलावा संचालित कल्याणकारी गतिविधियां:–

(01) श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केंद्र

मंडल द्वारा प्रदेश में 40 श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं:– इंदौर, बुरहानपुर, खण्डवा, खरगौन, पीथमपुर (धार), मेघनगर, अलीराजपुर, सेंधवा, उज्जैन, नागदा, देवास रतलाम, मन्दसौर, गोले का मंदिर–ग्वालियर, हजीरा–ग्वालियर गुना, शिवपुरी, बानमौर (मुरैना), मालनपुर (भिण्ड) सागर, बीना, नरसिंहगढ़ (दमोह), खजुराहो, भोपाल, मण्डीदीप, सीहोर, विदिशा, पिपरिया (होशंगाबाद), जबलपुर, बालाघाट, बोरगॉव (छिन्दवाडा) कटनी, मनेरी (मण्डला), अमलाई, बिरसिंहपुर, चचाई, रीवा, सतना, सिंगरौली एवं सीधी।

इन कल्याण केंद्रों में वाचनालय, पुस्तकालय, इंडोर तथा आउटडोर गेम्स की व्यवस्था की गई है जिनका लाभ श्रमिक एवं उनके परिवारजन नियमित रूप से लेते है। उक्त केन्द्रों पर रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्वो पर विविध आयोजन किये जाते है। समय–समय पर वृक्षारोपण, श्रमिक परिवार की महिलाओं व बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण व सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण एवं पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। सीहोर, भोपाल, जबलपुर, बुरहानपुर तथा रीवा में मंडल की स्वतः की भूमि पर केंद्र स्थापित हैं, शेष स्थानों पर किराये के भवन में केंद्र संचालित हैं।

उपरोक्त 40 श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केन्द्रों में से 32 केन्द्रों में सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण संचालित किये जाते है, जिनमें श्रमिक परिवारों की महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए निःशुल्क सिलाई–कढ़ाई प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

इन सिलाई–कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्रों में प्रतिदिन 20 से 50 महिला हितग्राही प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

(02) मासिक "श्रम कल्याण" का प्रकाशन

मंडल द्वारा प्रदेश के श्रमिकों, नियोजकों एवं श्रमिक संगठनों को समय–समय पर मंडल की कल्याणकारी गतिविधियों/योजनाओं की जानकारी एवं अनपेड की सूची प्रकाशित करने के उद्देश्य से मासिक श्रम कल्याण का प्रकाशन वर्ष 1991 से निरंतर किया जा रहा है। श्रम कल्याण मासिक में श्रम कानूनों एवं इनके अंतर्गत मान. न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों को विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है इससे श्रमिकों में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजगता में वृद्धि होती है।

यहॉ उल्लेखनीय है कि मासिक श्रम कल्याण ने प्रदेश के औद्योगिक एवं श्रमिक जगत में विशिष्ट पहचान स्थापित की है । वर्तमान में मासिक "श्रम कल्याण" की 4000 प्रतियों का प्रकाशन किया जाता है। मासिक श्रम कल्याण का आजीवन सदस्यता रूपये 2000 है एवं वार्षिक शुल्क श्रमिक एवं श्रमिक संघों हेतु रूपये 100 एवं नियोजकों हेतु रूपये 200 निर्धारित है।

(03) श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता :–

मंडल द्वारा श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन संभाग स्तर पर किया जाकर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान तथा टीम खेलों के विजेता एवं उपविजेता को राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु अर्हता दी जाती है। मंडल द्वारा प्रथमतः संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, तत्पश्चात् राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रत्येक दो वर्ष में किया जाता है। प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर एवं 1500 मीटर दौड़, लम्बी कूद, ऊँची कूद, तवा फेंक, गोला फेंक एवं भाला फेंक प्रतियोगिताएं तथा टीम खेलों में कबड्डी एवं बालीवाल प्रतियोगितायें सम्मिलित की जाती हैं।

मंडल श्रमिक हित में निरंतर सक्रिय है तथा योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर रहा है। मंडल द्वारा संचालित योजनाओं की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु भी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल

कल्याणकारी योजनाओं में लाभांवित हितग्राहियों एवं वितरित राशि की जानकारी
वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक)

कं	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 (1 अप्रैल 18 से 31 दिसम्बर 2018 तक)	
		लाभांवित हितग्राही संख्या	प्रदत्त सहायता राशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना/ शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	10388	88,43,250/–
2	सस्ती दरों पर कापियों का वितरण	40000	2,40,91,200/–
3	विवाह सहायता योजना	774	53,88,750/–
4	चिकित्सा क्षतिपूर्ति योजना	निरंक	निरंक
5	अंतिम संस्कार सहायता योजना	32	96,000/–
6	कल्याणी सहायता योजना	06	36,000/–
7	उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना	11	1,21,000/–
8	उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना	10	50,000/–
	योग –	**51,221**	**3,86,26,200/–**

अभिदाय/असंदत्त संचित राशि प्राप्ति की जानकारी
वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक)

कं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19 (1 अप्रैल 18 से 31 दिसम्बर 2018 तक)
1	अभिदाय	रूपये–3,83,24,051.50 पैसे
2	असंदत्त संचित राशि	रूपये–36,94,992.95 पैसे

14.2 मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल

राज्य के मन्दसौर जिले में लगभग 124 स्लेट पेंसिल कारखाना पंजीकृत हैं , जिनमें सर्वेक्षण अनुसार लगभग 1100 श्रमिक कार्यरत हैं । मन्दसौर जिले में स्थापित स्लेट पेन उद्योग में कार्यरत एवं आश्रित कुटुम्ब के सदस्यों के लिये म. प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , 1982 की धारा 4 के तहत निधि के प्रशासन के लिये एक निगमित निकाय के रूप में राज्य शासन द्वारा मण्डल का गठन 3 वर्ष के लिये किया जाता है।

वर्ष 2013–14 से वर्ष 2018–19 माह दिसंबर तक कुल आय–व्यय की जानकारी–

क्रमांक	वर्ष	कुल आय	कुल व्यय
1	2013–14	1,64,04,744.00	1,42,47,311.00
2	2014–15	1,71,61,104.00	1,39,37,245.00
3	2015–16	1,95,77,390.00	1,45,13,676.00
4	2016–17	1,85,85,328.00	1,43,86,976.00
5	2017–18	1,91,29,185.00	1,45,86,399.00
6	2018–19 दिसंबर 2018 तक	1,58,37,820.00	1,18,24,981.00

वर्ष 2017–18 में मण्डल का प्रशासकीय व्यय लगभग 40 प्रतिशत रहा ।

कल्याणकारी योजनाएँ

मण्डल द्वारा संचालित गतिविधियें की जानकारी निम्नलिखित है :–

1. सिलिकोसिस उपचार सहायता

स्लेट पेन्सिल उद्योग में कार्य के दौरान जिन श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है , ऐसे श्रमिकों को उपचार हेतु 1450/– प्रतिमाह दी जाती है ।

2. मृत्यु सहायता

सिलिकोसिस बीमारी के पश्चात् तथा कार्यरत् श्रमिको की मृत्यु होने पर श्रमिकों के आश्रितों को दाह संस्कार हेतु 2000/– एवं मृत्यु अनुदान के रूप में 13000/– की सहायता प्रदान की जाती है ।

3. विधवा सहायता

सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों की मृत्यु पश्चात् उनकी विधवाओं की 1000/– प्रतिमाह एवं निराश्रित बच्चों के भरण – पोषण हेतु 700/– प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाती है ।

4. परिवार नियोजन

स्लेट पेन्सिल कारखानों में कार्यरत महिला एवं पुरूष श्रमिकों को परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने पर प्रथम संतान पर रूपये 7000/– एवं द्वितीय संतान पर रू. 5000/– परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है ।

5. विवाह अनुदान

दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रत्येक विवाह पर 7000/–का अनुदान भुगतान किया जाता है ।

6. छात्रवृत्ति

स्लेट पेन्सिल उद्योग में कार्यरत् सिलिकोसिस से पीड़ित/मृत श्रमिकों के बच्चों को अध्ययन हेतु पहली से आठवी तक रुपये 850/–, कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक रूपये 1450/–, स्नातक/स्नातकोत्तर/इंजीनियरिंग को रूपये 2050/– वार्षिक प्रदान किये जाते है ।

7. मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन योजना

स्लेट पेन्सिल श्रमिकों के मेधावी छात्र–छात्राओं को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है :–

(अ) कक्षा 10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण पर रूपये 1000/–
(ब) कक्षा 12वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण पर रूपये 1250/–
(स) कक्षा स्नातक को 1500/–

8. खेलकुद हेतु सामग्री

स्लेट पेन्सिल उद्योग में कार्यरत् एवं उनके आश्रित बच्चों को उनकी रूचि अनुसार खेल सामग्री की मांग करने पर निःशुल्क प्रदाय की जाती है।

9. निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

प्रत्येक तीन माह में उद्योग में कार्यरत श्रमिकों का कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के चिकित्सक दल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा उनको लगने वाली दवाईयाँ निःशुल्क वितरित की जाती है ।

10. निःशक्त भरण पोषण योजना–

स्लेट पेंसिल उद्योग में लगे श्रमिक–श्रमिकाओं एवं उनकी विकलांग संतान को भरण पोषण हेतु 40 से 70 प्रतिशत विकलांग होने पर रू. 750/– प्रतिमाह एवं 71 से 100 प्रतिशत विकलांग होने पर रू. 1500/– प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है।

मण्डल की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1. वित्तीय वर्ष 2017–18 में मण्डल की आय का कुल बजट रू. 1,88,50,000/– रखा गया था, जिसके विरूद्ध रू. 1,91,29,185/– प्राप्त हुई, इसी प्रकार व्यय का बजट रू. 1,70,20,000/– रखा गया था जिसके विरूद्ध रू. 1,45,86,399/– व्यय किया गया।
2. वर्ष 2017–18 में मण्डल का प्रशासकीय व्यय लगभग 40 प्रतिशत रहा है।
3. स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं बेहतर रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं ऋण स्वयं सहायता समूह बनाकर दिए जाने संबंधी 3 वर्षीय परियोजना 08/12/2015 से प्रारंभ की गई। जिसमें अभी तक 50 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाकर 500 महिलाओं को वित्तीय स्थिरता की ओर उन्मुख किया गया तथा भारत सरकार की बीमा योजनाओं से सम्बद्ध किया गया। दस स्वयं सहायता समूहों को रू. 1–1 लाख का ऋण वितरण बैंक के माध्यम से किया जा चुका है। स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत समूह की महिलाओं के द्वारा मजदूरी के साथ–साथ पशुपालन भी इस ऋण की राशि से किया जा रहा है एवं छः माह तक सफलतापूर्वक स्वयं सहायता समूह संचालन करने वाली महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं ऋण की उपलब्धता करायी जावेगी।

14.3 मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 18 सहपठित मध्यप्रदेश नियमन 2002 के नियम 251 के अनुसार म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल 2003 द्वारा किया गया। मण्डल का कार्यकाल तीन वर्ष होता है तथा कार्यकाल पूर्ण होने पर मण्डल का पुनर्गठन आगामी तीन वर्ष हेतु अधिसूचना दिनांक 03 जुलाई 2013 द्वारा किया गया है। मण्डल के अध्यक्ष पद हेतु मध्यप्रदेश शासन के माननीय श्रम मंत्री जी के स्थान पर अधिसूचना दिनांक 04.01.2008 द्वारा मण्डल के अध्यक्ष हेतु ''राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति'' संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव, श्रमायुक्त, कल्याण आयुक्त, जबलपुर, राज्य शासन के विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्य, भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य तथा भवन कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। वर्तमान में मण्डल के अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया हैं।

प्रारंभ से दिसम्बर 2018 तक कुल 26.44 लाख तथा वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक) में कुल 65961 पंजीयन जारी किए गए है, अब तक कुल 11.88 लाख ऑनलाईन पंजीयन जारी किए गए है। वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक) में विभिन्न योजनांतर्गत कुल 1.45 लाख हितग्राहियों को कुल राशि रूपये 141.12 करोड़ तथा राज्य में अब तक कुल 40.76 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं रूपये 1043.01 करोड़ के हितलाभ वितरण किए गए तथा शेड निर्माण (128), रैन बसेरा (45) एंव श्रमोदय विद्यालय (04), आईटीआई भवन निर्माण एंव आरपीएल योजनांतर्गत राशि रूपये 238.09 करोड़ सम्मिलित करते हुए सभी योजनाओं में कुल राशि रूपये 1281.10 करोड़ व्यय की गई है। वर्ष 2018–19 दिसम्बर 2018 तक कुल राशि रूपये 223.46 करोड़ तथा प्रारंभ से अब तक कुल राशि रूपये 2577.90 करोड़ उपकर संग्रहीत किया गया है।

निर्माण कर्मकारों का पंजीयन

मण्डल की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम मण्डल द्वारा नियुक्त पदाभिहित अधिकारी को निर्माण श्रमिक आवेदन प्रस्तुत कर स्वयं को हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत कराये। इस रूप में पंजीयन की पात्रता उन्हीं कर्मकारों को होगी जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो तथा जिन्होंने पिछले 12 महीनों में न्यूनतम 90 दिन निर्माण कर्मकार के रूप में कार्य किया हो। पंजीयन कराने हेतु निर्माण कर्मकारों को रूपये 10(पांच वर्ष हेतु) आवेदन शुल्क तथा पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ सहित निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पदाभिहित अधिकारी को आवेदन करना होता है। इस आधार पर पंजीयन अधिकारी आवेदन की जांच कर श्रमिक का पंजीयन करेगा और उसे फोटोयुक्त ऑनलाईन परिचय–पत्र जारी करेगा। पंजीयन के निरंतरीकरण के लिये प्रति 05 वर्ष हेतु रूपये 10 अभिदाय के रूप में देय हैं।

प्रदेश में दिसम्बर 2018 तक की स्थिति में 26.44 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को पंजीयन कराया जाकर परिचय–पत्र जारी किये गये हैं तथा दिसम्बर 2018

तक कुल 4 लाख 33 हजार 627 पंजीयन निरस्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में निर्माण श्रमिक पंजीयन का कार्य मंडल के विभागीय श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है। कुल पंजीयन संख्या में ऑनलाईन एवं पूर्व से जारी ऑफलाईन पंजीयन की संख्या सम्मिलित हैं। वर्ष 2013 से दिम्बर 2018 तक कुल– 11,88,352 ऑनलाईन पंजीयन जारी किये गए हैं।

मण्डल द्वारा हिताधिकारियों को देय प्रसुविधायें

मण्डल द्वारा शासन के अनुमोदन से निम्न कल्याणकारी योजनायें निर्माण श्रमिकों को प्रसुविधायें प्रदान करने के लिये म.प्र. राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर प्रभावशील कर दी गई है :–

क्र.	अधिसूचना का नाम	दिनांक
1	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना	03.12.2004
2	प्रसूति सहायता योजना	13.12.2004
3	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	13.12.2004
4	मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार योजना	13.12.2004
5	चिकित्सा सहायता/दुर्घटना की स्थिति में चिकत्सा सहायता योजना	30.09.2005/03.12.2004/01.08.2014
6	हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता	30.09.2005
7	निर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना	12.10.2012/18.01.2013
8	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना	27.09.2013
9	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना	27.09.2013/13.07.2018
10	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना	27.09.2013
11	सुपर 5000 (कक्षा–10) योजना	16.08.2013
12	सुपर 5000 (कक्षा–12) योजना	16.08.2013
13	व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजना	16.08.2013
14	राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना	16.08.2013
15	निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	05.12.2014
16	खिलाडी प्रोत्साहन योजना	05.12.2014
17	व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना	05.12.2014
18	औजार/उपकर खरीदी हेतु अनुदान योजना	05.12.2014
19	पं. दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजना	07.08.2013
20	निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना	11.08.2014
21	सायकल अनुदान योजना	13.03.2015

नोट :– दो पहिया वाहन क्रय अनुदान योजना दिनांक 01.05.2016 से एवं स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना दिनांक 01.12.2017 से समाप्त की गई है।

इन योजनाओं में समय–समय पर मण्डल द्वारा शासन के अनुमोदन से संशोधन किये गये हैं तथा उक्त योजनाओं में से चार योजनायें **(मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना, प्रसूति सहायता योजना, हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता एवं निर्माण श्रमिक पंजीयन)** लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित की गई है।उक्त योजनाओं के अतिरिक्त दिनांक 12 जुलाई 2017 से 08 योजनाओं **(व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजन, राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना, निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना, खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना, औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना, सायकल अनुदान योजना, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना)** को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। जिससे निर्माण श्रमिकों को निर्धारित समय–सीमा में योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

ऊपर उल्लेखित हितग्राहीमूलक प्रसुविधायें देने के अतिरिक्त , कल्याण मण्डल निर्माण कर्मकारों के संपूर्ण वर्ग के हित में निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियां भी संचालित कर सकेगा।

सर्वेक्षण और अध्ययन, जागरूकता/प्रचार–प्रसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से जुड़े कार्यकलाप तथा खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अध्ययन दौरे आदि।

दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदाय किये गये हितलाभ

क्र.	योजना का नाम	हितग्राही संख्या	हितलाभ की राशि (करोड में)
1	प्रसूति सहायता योजना	3,08,420	192.42
2	विवाह सहायता योजना	1,41,116	261.28
3	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	30,86,462	291.84
4	मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार योजना	4,36,629	76.58
5	चिकित्सा सहायता योजना/दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना	9,676	30.21
6	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना	37,075	155.28
7	सुपर 5000 (कक्षा–10) योजना	176	0.43
8	सुपर 5000 (कक्षा–12) योजना	319	0.88
9	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना	95	0.06
10	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण	164	0.01

	कर्मकार आवास (नगरीय) योजना		
11	राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरूस्कार योजना	47	0.03
12	सायकल अनुदान योजना 2014	12,638	4.56
13	दो पहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना	175	0.16
14	व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजना	162	0.16
15	औजार उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना	2117	0.95
16	निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	79	1.19
17	स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना	6,957	7.60
18	खिलाडी प्रोत्साहन योजना 2014	53	0.11
19	व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना	1,958	2.23
20	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना	—	—
21	कौशल प्रशिक्षण योजना	32,583	16.94

इसके अतिरिक्त निर्माण श्रमिकों हेतु शेड निर्माण, रैन बसेरा एवं श्रमोदय विद्यालयों का निर्माण भी किया जा रहा है।

क्र.	योजना का नाम	संख्या	व्यय राशि (करोड़ में)
22	पं.दीनदयाल उपाध्याय निर्माण श्रमिक शेड योजना	128	1.77
23	निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना	45	3.02
24	श्रमोदय विद्यालय	4	190.55
25	आई.टी.आई., भवन निर्माण, भोपाल	1	13.00

दिनांक 01.04.2018 से समस्त हितग्राही मूलक योजनांतर्गत श्रम सेवा पोर्टल के द्वारा **ePO** पद्धति से ऑनलाईन भुगतान की प्रकिया निरंतरित है।

उपकर

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं उपकर नियम 1998 के अंतर्गत मण्डल को दिसम्बर 2018 तक रूपये 2577.90 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

14.4 म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों (शहरी/ग्रामीण) के कल्याण हेतु मण्डल का गठन म.प्र. राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2008 द्वारा किया गया। राज्य शासन द्वारा दिनांक 25.01.2016 को अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। दिनांक 20 जनवरी 2018 को पुनः कार्यकाल 2 वर्षो के लिये बढाया गया।

असंगठित श्रमिको के लिए बजटीय प्रावधान मंडल को न किया जाकर श्रम विभाग को किया गया है। मंडल द्वारा विभिन्न विभागों, जिनके द्वारा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है से समन्वय स्थापित कर तथा डाटा कलेक्ट कर श्रमायुक्त म.प्र. शासन को उपलब्ध कराया जाता है। मंडल के सचिव उप श्रमायुक्त है।

***

अध्याय–15
महिला श्रमिक

15.1. महिलाओं की संख्या और कार्यशील महिलाएं

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 48.21 प्रतिशत था। महिला श्रमिक मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त महिला श्रमिक, बीडी व अगरबत्ती निर्माण एवं भवन संनिर्माण में अधिकतम रूप से कार्यरत है। निम्न तालिकाओं द्वारा प्रदेश में महिलाओं की संख्या उनमें शिक्षित, ग्रामीण, नगरीय एवं कार्यशील महिलाओं की जानकारी में दर्शाई गई है ।

तालिका 15.1
जनगणना 2011

	पुरूष	महिला	कुल
जनसंख्या	3,76,12,306	3,50,14,503	7,26,26,809
ग्रामीण	2,71,49,388	2,54,08,016	5,25,57,404
नगरीय	1,04,62,918	96,06,487	2,00,69,405

शिक्षित जनसंख्या

	पुरूष	महिला	कुल
शिक्षित	2,51,74,328	1,76,76,841	4,28,51,169
ग्रामीण	1,70,54,982	1,12,27,004	2,82,81,986
नगरीय	81,19,346	64,49,837	1,45,69,183

वृद्धि दर तथा लिंग अनुपात

	ग्रामीण	नगरीय	कुल
दस वर्षीय जनसंख्या (2001–11) वृद्धि दर	-15.25	119.29	20.25
लिंग अनुपात (प्रति, 1000 पुरूषों पर **महिलाएं**)	936	918	931

मुख्य कार्यशील जनसंख्या –2011

कुल ग्रामीण एवं शहरी	व्यक्ति महिला पुरूष	कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या	कृषक	कृषि श्रमिक	पारिवारिक उद्योगो में कार्यरत	अन्य कार्यशील जनसंख्या
कुल	व्यक्ति	3,15,74,133	82,14,993	66,30,821	6,47,565	72,08,740
	पुरूष	2,01,46,970	60,38,749	40,27,711	3,96,320	58,99,285
	महिला	1,14,27,163	21,76,244	26,03,110	2,51,245	13,09,455
ग्रामीण	व्यक्ति	2,47,15,198	78,85,302	63,03,841	3,48,081	21,92,334
	पुरूष	1,47,41,977	57,65,124	38,07,102	1,98,997	17,16,960
	महिला	99,73,221	21,20,178	24,96,739	1,49,084	4,75,374
शहरी	व्यक्ति	68,58,935	3,29,691	3,26,980	2,99,484	50,16,406
	पुरूष	54,04,993	2,73,625	2,20,609	1,97,323	41,82,325
	महिला	14,53,942	56,066	1,06,371	1,02,161	8,34,081

15.2. महिलाओं के लिये विशेष अधिनियम :–

महिला श्रमिकों को सभी श्रम कानूनों में पुरुष श्रमिकों की भांति ही संरक्षण दिया गया है, किंतु उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुये समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, तथा मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961, विशेष रूप से प्रभावशील किये गये हैं।

समान पारिश्रमिक अधिनियम और मातृत्व हितलाभ अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है :–

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 :–

1. समान कार्य के लिये लिंग भेद के आधार पर महिला कर्मियों को पुरूषों से कम मजदूरी का भुगतान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात महिलाओं को भी पुरूष श्रमिकों के समान ही समान प्रकृति के कार्य के लिये समान मजदूरी का भुगतान का प्रावधान उक्त अधिनियम के अंतर्गत किया गया है।

2. रोजगार में भर्ती करने के लिये लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नही किया जा सकता। भर्ती में नियोजकों को पुरूषों के बराबर ही महिलाओं को भी अवसर देना आवश्यक है।

3. महिलाओं को नियोजन में बराबरी के अवसर दिये जाने के साथ ही उनके लिये प्रशिक्षण एवं स्थानांतर के संबंध में भी लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नही किया जा सकता ।

4. महिलाओं के लिये रोजगार में वृद्धि करने के उपाय खोजने हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन प्रदेश शासन द्वारा किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में जांच कर शासन को यह परामर्श दे सकती है, कि किन–किन क्षेत्रों में महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढाये जा सकते है ।

मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, एवं संशोधन अधिनयम, 2017 :–

अधिनियम सभी ऐसे संस्थानों में प्रभावशील है जहां दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है। वर्ष में 80 दिवस कार्य करने वाली महिला कर्मचारी को मातृत्ब हितलाभ की पात्रता आती है।

मातृत्व हितलाभ अधिनियम में हाल ही मे निम्नानुसार संशोधन किये जाकर सुविधाओ में वृद्वि की गई है।

1. प्रसूति अवकाश की सीमा 12 सप्ताह से बढाकर 26 सप्ताह किया गया है।
2. 50 से अधिक कर्मचारी नियोजन करने वाले संस्थानों में झूलाघर की सुविधा।
3. दत्तक पुत्र/पुत्री को ग्रहण करने संबंधी सरोगेसी मदर्स को 12 सप्ताह के अवकाश की सुविधा।
4. नियोक्ता की सहमति से घर से कार्य करने की सुविधा।

अन्य प्रावधान

1. किसी महिला श्रमिक को उसे नियोजन में रहते हुये उसके प्रसूतिकाल में उसकी अनुपस्थिति के कारण उसे सेवा से पृथक नही किया जा सकता।

2. किसी भी महिलाकर्मी को जो गर्भवती है। नियोजक कठिन कार्य जैसे लम्बी अवधि तक खडे रहना, जिससे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हो,नही करवाया जा सकता है।

3. नियोजक द्वारा महिलाकर्मी को प्रसवपूर्व या पश्चात देखरेख का कोई उपबंध निशुल्क न किया गया हो तो, चिकित्सा बोनस दिया जावेगा।

महिला कर्मी को मातृत्व लाभ देने का दायित्व नियोजक का होता है। यदि वह उक्त हितलाभ नहीं देता है तो नियोजक को दडित किये जाने के प्रावधान है। इसके परिपालन हेतु श्रम विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई हैं।

तालिका 15.2
अधिनियमों के प्रर्वतन की स्थिति

अधिनियम	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19 (दिस. 2018 तक)
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	निरीक्षण	47	316	371
	अभियोजन	0	29	33
मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961	निरीक्षण	07	112	68
	अभियोजन	0	06	18

श्रम विभाग द्वारा उद्योगों में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों के हित में निम्नानुसार विशेष प्रावधान किये गये है:–

1. राज्य में म.प्र.दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी स्थापनाओं में (अधिसूचना दि. 20 मई 2013) तथा कारखाना अधिनियम 1948 में

(अधिसूचना दि. 24 जून 2016) द्वारा नियमों के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा संबंधी समुचित शर्ते व प्रावधान सुनिश्चित करने पर महिलाओं को जिनसे रात 8 बजे से प्राप्त 6 बजे के बीच कार्य करने की अनुमति दी गई है।

2. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 54 के अनुसार किसी व्यस्क कर्मकार को किसी कारखाने में किसी दिन 9 घण्टे से अधिक काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त धारा 66 (1) (क) के अनुसार किसी स्त्री के बारे मे धारा 54 के उपबंधों से कोई छूट नहीं दी जाएगी

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाऒं के यौन उत्पीडन की शिकायतो का निराकरण करने हेतु समिति का गठन श्रमायुक्त कार्यालय मे दिनांक 2.1.2001 को किया गया है। जिसमे अध्यक्ष, सचिव, तथा एक सदस्य को मनोनीत किया गया है। अभी तक इस समिति के समक्ष कोई भी शिकायत प्राप्त नही हुई है।

15.3. <u>यौन उत्पीडन के लिये विशेष सुरक्षा :–</u>

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा निर्णय के अनुपालन में मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञायें) अधिनियम, 1961, के अंतर्गत 'कदाचरण' को परिभाषित करते हुए कदाचरण करने वाले श्रमिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को विनियमित करने संबंधी प्रावधान भी हैं। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोक–थाम संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रकाश में राज्य शासन ने अधिसूचना दिनांक 19.12.02 द्वारा, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963, में संशोधन कर ''यौन उत्पीड़न ''को भी ''गंभीर कदाचरण'' की श्रेणी में शामिल किया है। ''यौन उत्पीड़न'' को 'अवांछनीय यौन संबंधी व्यवहार' (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के रूप में परिभाषित किया गया है, यथा :–

(क) शारीरिक संपर्क तथा निकटता,
(ख) यौन स्वीकृति के लिए मांग अथवा अनुरोध
(ग) कामासक्त फब्तियॉं,
(घ) अश्लील साहित्य दिखाना, तथा
(ङ.) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण।

इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण के अधिकार सहायक श्रम पदाधिकारी तथा उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को ही दिये गये हैं, निरीक्षकों को नहीं। इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष में संपादित निरीक्षण/अभियोजन की जानकारी **<u>परिशिष्ट–3.7</u>** में दर्शाई गई है।

* * *

परिशिष्ट–1.1
(देखें पद 1.2)

भारत के संविधान के भाग 3 ("मूल अधिकार") और भाग 4 ("राज्य की नीति के निदेशक तत्व") के "श्रम" संबंधी प्रावधान

मूल अधिकार

स्वातंत्र्य–अधिकार

अनुच्छेद 19: वाक्–स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण:

(1) सभी नागरिकों को

(ग) संगम या संघ बनाने का,

अधिकार होगा।

शोषण के विरूद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध :

(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध :

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व :

राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से :

(क) पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो,

(घ) पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो,

(ङ) पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों,

(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार:

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध :

राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 43: कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि :

राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योगों के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन–स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 43–क: उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना :

राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

***

परिशिष्ट–1.2
(देखें पद 1.3)

महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व

क.	श्रम कानून का नाम	कार्यान्वयन का दायित्व		
		पूर्णतः केंद्र सरकार	पूर्णतः राज्य सरकार	दोनों सरकारों का आंशिक
1	2	3	4	5
1.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	.	.	√
2.	मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960	.	√	.
3.	व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926	.	√	.
4.	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946	√	.	.
5.	मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961	.	√	.
6.	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	.	.	√
7.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	.	.	√
8.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	.	.	√
9.	कारखाना अधिनियम, 1948	.	√	.
10.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	.	.	√
11.	खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983	.	√	.
12.	मध्यप्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	.	√	.
13.	बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966	.	√	.
14.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970	.	.	√
15.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	.	√	.
16.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवाशर्तें) अधिनियम, 1996	.	.	√
17.	भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	.	√	—
18.	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979	.	.	√
19.	विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976	.	.	√
20.	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955	.	.	√
21.	सिने कर्मकार तथा सिनेमागृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981	√	.	.
22.	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961	.	.	√
23.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	.	.	√
24.	बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976	.	√	.
25.	बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986	.	.	√
26.	बाल (श्रम–गिरवीकरण) अधिनियम, 1933	.	√	.
27.	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923	.	.	√
28.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	.	.	√
29.	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952	√	.	.
30.	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	.	.	√
31.	बीड़ी कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1976	√	.	
32.	लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976	√	.	.
33.	चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1972	√	.	.
34.	मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982	.	√	.
35.	मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982	.	√	.
36.	श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988	.	.	√
37.	मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003	.	√	—

***

परिशिष्ट–2.1
(देखें पद 2.1)

प्रदेश में कार्यरत श्रम कार्यालय

संभाग	जिला	जिले में स्थित श्रम कार्यालय का नाम
1–इंदौर संभाग	**1 इन्दौर**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर संभाग**
	2 धार	1–श्रम पदाधिकारी, धार
		2–श्रम पदाधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर
	3 झाबुआ	श्रम पदाधिकारी, झाबुआ
	4 अलीराजपुर	श्रम पदाधिकारी, अलीराजपुर
	5 बुरहानपुर	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर
	6 खण्डवा	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा
	7 खरगोन	श्रम पदाधिकारी, खरगोन
	8 बड़वानी	श्रम पदाधिकारी, बड़वानी
2–उज्जैन संभाग	**9 उज्जैन**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, उज्जैन संभाग**
	10 देवास	श्रम पदाधिकारी, देवास
	11 शाजापुर	श्रम पदाधिकारी, शाजापुर
	12 आगर–मालवा	श्रम पदाधिकारी, आगर–मालवा
	13 मन्दसौर	श्रम पदाधिकारी, मन्दसौर
	14 नीमच	श्रम पदाधिकारी, नीमच
	15 रतलाम	श्रम पदाधिकारी, रतलाम
3–ग्वालियर संभाग	**16 ग्वालियर**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, ग्वालियर संभाग**
	17 शिवपुरी	श्रम पदाधिकारी, शिवपुरी
	18 गुना	श्रम पदाधिकारी, गुना
	19 अशोकनगर	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर
	20 दतिया	श्रम पदाधिकारी, दतिया
4–चंबल संभाग	**21 मुरैना**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय,चंबल संभाग, मुरैना**
	22 श्योपुरकला	श्रम पदाधिकारी, श्योपुरकला
	23 भिण्ड	1– श्रम पदाधिकारी, भिण्ड
		2– श्रम पदाधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर
5–भोपाल संभाग	**24 भोपाल**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, भोपाल संभाग**
	25 सीहोर	श्रम पदाधिकारी, सीहोर
	26 रायसेन	श्रम पदाधिकारी, मंडीदीप जिला रायसेन
	27 राजगढ़	श्रम पदाधिकारी, राजगढ़
	28 विदिशा	श्रम पदाधिकारी, विदिशा
6–नर्मदापुरम संभाग	**29 होशंगाबाद**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय,नर्मदापुरम संभाग** होशंगाबाद
	30 बैतुल	श्रम पदाधिकारी, बैतुल
	31 हरदा	श्रम पदाधिकारी, हरदा
7–सागर संभाग	**32 सागर**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, सागर संभाग**
	33 टीकमगढ	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़
	34 निवाडी	**नवगठित जिले का प्रभार श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ को।**
	35 दमोह	श्रम पदाधिकारी, दमोह
	36 छतरपुर	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर
	37 पन्ना	श्रम पदाधिकारी, पन्ना

संभाग	जिला		जिले में स्थित श्रम कार्यालय का नाम
8–जबलपुर संभाग	**38**	**जबलपुर**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, जबलपुर संभाग**
	39	नरसिंहपुर	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर
	40	कटनी	श्रम पदाधिकारी, कटनी
	41	बालाघाट	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट
	42	मंडला	श्रम पदाधिकारी, मंडला
	43	डिंडोरी	श्रम पदाधिकारी, डिण्डोरी
	44	छिंदवाडा	श्रम पदाधिकारी, छिंदवाड़ा
	45	सिवनी	श्रम पदाधिकारी, सिवनी
9–रीवा संभाग	**46**	**सतना**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय,रीवा संभाग, सतना**
	47	रीवा	श्रम पदाधिकारी, रीवा
	48	सीधी	श्रम पदाधिकारी, सीधी
	49	**सिंगरोली**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, सिंगरोली**
10–शहडोल संभाग	**50**	**शहडोल**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, शहडोल संभाग**
	51	अनूपपुर	श्रम पदाधिकारी, अनूपपुर
	52	उमरिया	श्रम पदाधिकारी, उमरिया

***

परिशिष्ठ–2.2
(देंखे पद 2.2)

संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधीन स्थापित कार्यालय एवं उनके कार्यक्षेत्र

क्र.	आंचलिक (जोनल) कार्यालय		क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय		कार्यक्षेत्र में आने वाले जिले/क्षेत्र
1	संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर	1	उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर	1	इंदौर
		2	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उज्जैन	1 2 3 4 5 6	उज्जैन रतलाम झाबुआ नीमच मन्दसोर अलिराजपुर
		3	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, देवास	1 2 3 4 5	देवास सीहोर राजगढ शाजापुर आगर मालवा
		4	सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मन्दसौर	1 2	मन्दसौर नीमच
2	संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल	5	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल	1 2 3 4 5 6	भोपाल बैतूल रायसेन विदिशा होशंगाबाद हरदा
		6	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जबलपुर	1 2 3 4 5 6 7	जबलपुर मण्डला डिंडोरी बालाघाट छिन्दवाडा सिवनी नरसिंहपुर
		7	उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बीना (जिला सागर)	1 2 3 4 5	छत्तरपुर टीकमगढ़ सागर दमोह दतिया
		8	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सतना	1 2 3 4 5 6	सतना कटनी उमरिया पन्ना शहडोल अनुपपूर

	9	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सिंगरौली	1 2 3	रीवा सीधी सिंगरौली
3 संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मुख्यालय, इंदौर	10	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मुख्यालय, इंदौर	1	धार
	11	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, खण्डवा	1 2 3 4	खण्डवा खरगोन बडवानी बुरहानपुर
	12	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ग्वालियर	1 2 3 4 5 6 7	ग्वालियर गुना शिवपुरी मुरैना श्योपुर भिण्ड अशोकनगर
4 उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, (हायजिन लेब) इंदौर				संपूर्ण मध्यप्रदेश

* * *

परिशिष्ट–2.3

(देखें पद 2.3 एवं 11.3)

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सम्भाग एवं जिले–वार कार्यरत केन्द्र, उनसे संबद्ध बीमित व्यक्ति, और कार्यरत संस्थाएं

क	संभाग	जिला	केंद्र	कार्यरत संस्थाएं			बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (दि. 31.3.18 की स्थिति में)
				चिकित्सालय	औषधालय	पेनल क्लिनिक	
1.	इन्दौर	1. इन्दौर	इंदौर	इन्दौर में क.रा.बी. निगम, नई दिल्ली, द्वारा एक आदर्श हास्पिटल एवं व्यवसाय–जन्य रोग केंद्र–संचालित है, (200 शैया) । क्षय चिकित्सालय (75 शैया) मिल क्षेत्र औषधालय (06 शैया पी0पी0युनिट)	1. नेहरूनगर 2. परदेशीपुरा (कम्यूनिटी हॉल) 3. मिल एरिया 4. औद्योगिक संस्थान 5. आनंद नगर. (चितावद रोड) 6. राजमोहल्ला 7. मांगलिया	1.गोकुल गंज, महूँ	2,68,751
		2. बुरहानपुर	बुरहानपुर	–	1. लाल बाग		9,663
		3. धार	पीथमपुर (सेक्टर 1, 2)		1. पीथमपुर (सेक्टर 1,2)		91,918
			पीथमपुर (सेक्टर 3, 4)		1. पीथमपुर (सेक्टर 3,4)		48,699

2.	उज्जैन	4. उज्जैन	उज्जैन	सामान्य चिकित्सालय (50 शैया)	1. देसाई नगर 2. फव्वारा चौक – (चिकित्सालय परिसर)		23,372
			नागदा	सामान्य चिकित्सालय (50 शैया)	1. बिड़लाग्राम 2. मंडी		17,489
		5. देवास	देवास	सामान्य चिकित्सालय (50 शैया)	1. कालानी बाग 2. प्राधिकरण भवन 3. बालगढ		22,306
		6 मंदसौर	मंदसौर	एनेक्सी वार्ड (25 शैया)	1. नई आबादी		12,221
		7. रतलाम	रतलाम	–	1. पोलोग्राउंड 2. जवाहर नगर		20,027
		8. नीमच		–	–	11, डॉ. भाभा मार्ग, फव्हारा चौक, नीमच	–
3.	ग्वालियर	9.ग्वालियर	ग्वालियर	सामान्य चिकित्सालय (100 शैया)	1. बिड़ला नगर नं.1 2. बिड़ला नगर नं.2 3. फाल के बाजार 4 जवाहर कॉलोनी 5. मुरार 6. गोला का मंदिर		62,091
4	चम्बल	10. मुरैना	बामोर	–	1. गायत्री नगर,		8,660
		11. भिंड	मालनपुर	–	1. मालनपुर		–––
5	भोपाल	12. भोपाल	भोपाल	सामान्य चिकित्सालय (100 शैया)	1. न्यू सुभाष नगर 2. इतवारा 3. बी.एच.ई.एल.		1,65,500

		13. रायसेन	मंडीदीप	—	1. इंदिरा नगर 2. सतलापुर		46,665
6.	होशंगाबाद	14.होशंगाबाद		—	—	आशा निकेतन क्लिनिक,सराफा बाजार, इटारसी	—
7.	जबलपुर	15. जबलपुर	जबलपुर	—	1. घमापुर 2. राइट टाउन 3. हाथीताल 4. अधारताल		67,927
		16. कटनी	कटनी		1. गायत्री नगर,		—
			निवार	—	1. निवार		—
8	रीवा	17. अनुपपुर	अमलाई	—	1. अमलाई		4,708
		18. सतना 19. रीवा	सतना —	— —	1. सतना सिमेंट वर्क्स के पास —	 —	26,433 —
9	सागर	20. सागर	सागर	—	1. सागर		—
योग	9	20	20	7 (456 शैया) (5 सामान्य चिकित्सालय 1 क्षय चिकित्सालय 1 एनेक्सी वार्ड)	42 औषधालय,	3 पेनल क्लिनिक	9,49,403

नोटः— कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा दिनॉक 31.3.2018 की स्थिति में दी गई जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश में कुल बीमित व्यक्तियों की संख्या 9,49,403 दी गई है। (इसमें खण्डवा केन्द्र के बीमितों की संख्या 2,905 एवं सनावद केन्द्र के बीमितों की संख्या 35,548 सम्मिलित है)

परिशिष्ट–2.4
(देखे पद 2.4)

श्रम न्यायालय तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले

क्र.	संभाग	श्रम न्यायालय	श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले
1.	इन्दौर	1. इन्दौर	इन्दौर
		2. धार	धार
		3. खंडवा	1. खंडवा, 2. खरगोन, 3. बड़वानी, 4. बुरहानपुर
2.	उज्जैन	1. उज्जैन	1. उज्जैन, 2. शाजापुर, 3 आगर
		2. देवास	देवास
		3. रतलाम	1. रतलाम, 2. झाबुआ 3. अलीराजपुर
		4. मन्दसौर	1. मन्दसौर, 2. नीमच
3.	भोपाल	1. क्र. 1, भोपाल	1. भोपाल, 2. रायसेन
		2. क्र. 2, भोपाल	1. सीहोर, 2. विदिशा, 3. राजगढ़,
		3. बैतुल	बैतूल
4.	सागर	1. सागर	1. सागर, 2. पन्ना, 3. टीकमगढ़ 4. दमोह 5. छतरपुर
5.	जबलपुर	1. जबलपुर	1. जबलपुर, 2. मंडला, 3. सिवनी, 4. कटनी, 5. डिंडोरी
		2. नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
		3. छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
		4. बालाघाट	बालाघाट
6.	रीवा	1. रीवा	रीवा
		2. शहडोल	1. शहडोल, 2. उमरिया 3. अनुपपुर
		3. सीधी	1. सीधी 2. सिंगरौली
		4. सतना	सतना
7.	ग्वालियर	1. क्र. 1, ग्वालियर	1. ग्वालियर,
		2. क्र. 2, ग्वालियर	1. मुरैना, 2 भिण्ड 3. दतिया, 4 शिवपुरी, 5. श्योपुर
		3. क्र. 3, ग्वालियर	1. गुना 2. अशोक नगर
8.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	1. होशंगाबाद, 2. हरदा
9.	चंबल	—	—

नोट — श्रम न्यायालय दमोह एवं छतरपुर अस्तित्व में नही है ।

* * *

परिशिष्ट–2.5
(देखे पद 2.8)

गत तीन वर्षो के बजट प्रावधान एवं व्यय
श्रमायुक्त संगठन

(राशि लाख रूपय में)

क्र.	वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजना	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	2015–16	3621.71	2848.38	30.25	23.57
2	2016–17	3606.73	2460.38	21.24	3.57
3	2017–18	3740.33	3362.31	336.12	27.61
4	2018–19 दिनांक 31/12/2018 तक वास्तविक व्यय	4959.71	3704.155	90623.51	23902.09

गत तीन वर्षो के बजट प्रावधान एवं व्यय
श्रम न्यायपालिका

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजना	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	2016–2017	1391	1067	–	–
2	2017–2018	1678	1177	–	–
3	2018–2019 (दिसम्बर)	1575	1056	–	–

गत तीन वर्षो के बजट प्रावधान एवं व्यय
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	वर्ष	आयोजनेत्तर	
		बजट प्रावधान	व्यय
1	2016—2017	11979.98	10498.70
2	2017—2018	124,81,62	117,06,78
3	2018—2019 (31 दिसम्बर 2018 तक)	149,55,10	107,54,97

* * *

परिशिष्ट–3.1
(देखें पद 3.1)

म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योग

1.	वस्त्र उद्योग जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, की प्रथम अनुसूची की कंडिका 23 में विनिर्दिष्ट है **–विलोपित–**
2.	लौह एवं इस्पात **–विलोपित–**
3.	विद्युत वस्तुएं **–विलोपित–**
4.	शक्कर एवं उसके उप–उत्पादन, जिनके अंतर्गत (एक) उन प्रक्षेत्रों (फार्मो) जहां पर गन्ना उगाया जाता है, जो शक्कर बनाने में लगे हुए समुत्थान के स्वामित्व के हों या उससे संलग्न हों, और (दो) गन्ना उगाने या उक्त विनिर्माण से संसक्त समस्त कृषिक एवं औद्योगिक संक्रियाएं आती हैं **–विलोपित–**
5.	चावल मिल
6.	तेल मिल
7.	सीमेन्ट **–विलोपित–**
8.	पाटरीज **–विलोपित–**
9.	चूना उद्योग
10.	विद्युत उत्पादन, सम्प्रेषण एवं वितरण **–विलोपित–**
11.	मुद्रणालय
12.	कागज तथा पुट्ठा
13.	एसबेस्टास सीमेंट
14.	चपड़ा (शेलेक)
15.	लोक मोटर परिवहन **–विलोपित–**
16.	राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा चलाये जा रहे इंजीनियरिंग उद्योग को अपवर्जित करते हुए इंजीनियरिंग, जिसमें मोटर यान सम्मिलित है **–विलोपित–**
17.	आटा मिल
18.	बिस्किट तथा कन्फेक्शनरी
19.	कांच
20.	स्टार्च
21.	वनस्पति घी
22.	श्रबर
23.	कत्था उद्योग
24.	रसायन एवं रसायन उत्पाद उद्योग **–विलोपित–**
25.	अधातु खनिज उत्पाद उद्योग
26.	एल्युमिनियम उद्योग
27.	जिलेटिन उद्योग (सरेस)
28.	चमड़ा व चर्म शोधन, जिसमें चमड़े से बनी वस्तुएं सम्मिलित हैं **–विलोपित–**
29.	उर्वरक, जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, की प्रथम अनुसूची के कंडिका 18 में विनिर्दिष्ट है
30.	औषधि तथा भेषज, जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, की प्रथम अनुसूची की कंडिका 22 में विनिर्दिष्ट है
31.	किण्वन उद्योग, जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, की प्रथम अनुसूची की कंडिका 26 में विनिर्दिष्ट है
32.	डेयरी उत्पादों का निर्माण एवं उनका वितरण

परिशिष्ट–3.2
(देखें पद 3.2)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, के अंतर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई

क्र.	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष विवादों की संख्या	विवाद जो समझौते के लिये पेश हुए	विवाद जिनमें समझौता हो गया या अन्य तरीके से निपटाये गये	पंच निर्णय हेतु प्राप्त	विवाद जो पंच फैसले/न्याय निर्णय के लिये भेजे गये	पंच निर्णय दिया गया	वर्ष के अंत में शेष विवादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल 14 से मार्च 15	103	828	38	–	687–09 धारा 12 (5)	–	197
2	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	163	892	39	–	860–07 –धारा 12 (5)	–	183
3	अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	183	993	99	–	973–25–धारा 12 (5)	–	79
4	अप्रैल 17 से मार्च 18 तक	79	988	13	–	927 –24–धारा 12 (5)	–	103
5	अप्रैल 18 से दिसंबर 18 तक	103	786	15	–	786–07–धारा 12 (5)	–	81

परिशिष्ट–3.3
(देखें पद 3.2)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 34 के अन्तर्गत स्वीकृत अभियोजन

क्र.	अवधि	अभि.स्वी. हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	दी गई अभियोजन स्वीकृति की संख्या	प्रकरण जिनमें अवार्ड का परिपालन कराया गया
1	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	258	105	62
2.	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	175	114	64
3	अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	153	45	47
4	अप्रैल 17 से मार्च 18 तक	186	40	144
5.	अप्रैल 18 से दिसंबर 18 तक	177	64	70

परिशिष्ट–3.4
(देखें पद 3.2)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 33–सी (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर जारी किये वसूली प्रमाण पत्र एवं उनमें निहित वसूली योग्य राशि

क्र.	अवधि	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्रों की संख्या	वसूली योग्य रकम(रूपये में)	लाभांवित श्रमिक संख्या
1	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	45	59	8,71,03,887.00	381
2	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	53	20	4,03,23,902.00	19
3	अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	46	41	1,65,45042.62	43
4.	अप्रैल 17 से मार्च 18 तक	41	21	40,85,558.00	28
5.	अप्रैल 18 से दिसंबर 18 तक	39	35	7,77,91,700.72	3147

परिशिष्ट–3.5
(देखें पद 3.2)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 25–एम, 25–एन तथा 25–ओ के अंतर्गत क्रमशः ले–ऑफ, छंटनी एवं बंदीकरण की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही

आवेदन का प्रकार	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष आवेदन पत्रों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अनुमति प्रदान की गई	प्रकरणों की संख्या जिन्हें निरस्त किया गया	वर्ष के अंत में शेष आवेदन पत्रों की संख्या
1. ले–ऑफ हेतु (धारा–25–एम)						
	2014–2015	1	1	1	1 संदर्भ किया गया	–
	2015–2016	–	1	1	–	–
	2016–2017	–	4	1 अभियोजन अनुमति	–	–
	2017–2018	2	3 अमान्य	3 अमान्य	–	–
	2018–2019	–	–	1	1 (वापस) किया गया	–
2. छंटनी हेतु (धारा–25–एन)	अप्रैल 14 से मार्च 15	–	1	–	1	–
	अप्रैल 15 से मार्च 16	–	–	–	–	–
	अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	–	–	–	–	–
	अप्रैल 17 से दिसंबर 17 तक	–	–	–	–	–
	अप्रैल 17 से मार्च 18 तक	–	–	–	–	–
	अप्रैल 18 से दिसंबर 18 तक	–	–	–	–	–
3. बंदीकरण हेतु (धारा–25–ओ)	अप्रैल 14 से मार्च 15तक	–	–	–	–	–
	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	–	4	1	1 सहमति 1 निरस्त	1
	अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	–	–	–	–	–
	अप्रैल 17 से दिसंबर 17 तक	–	–	–	–	–
	अप्रैल 17 से मार्च 18 तक	–	–	–	–	–
	अप्रैल 18 से दिसंबर 18 तक	–	–	–	–	–

परिशिष्ट–3.6
(देखें पद 3.2)

म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, के अंतर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई

क्र.	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष विवादों की संख्या	विवाद जो समझौते के लिये पेश हुए	विवाद जिनमें समझौता हो गया या अन्य तरीके से निपटाये गये	पंच निर्णय हेतु प्राप्त	विवाद जो पंच फैसले/ न्याय नि.िय के लिये भेजे गये	पंच निर्णय दिया गया	वर्ष के अंत में शेष विवादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	02	05	—	—	01	—	06
2.	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	06	04	06	—	03	—	01
3.	अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	01	01	01	—	—	—	—
4.	अप्रैल 17 से मार्च 18 तक	—	07	01	—	06	—	—
5.	अप्रैल 18 से दिसंबर 18 तक	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट–3.7
(देखें पद 3.3)

म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आज्ञाएं) अधिनियम, 1961, के अंतर्गत संपादित निरीक्षण/ अभियोजन

क्र.	अवधि	वर्ष में संपादित निरीक्षणों की संख्या	वर्ष में दायर किये गये अभियोजन की संख्या
1	2006 –2007	310	54
2.	2007 –08	318	71
3	2008 –2009	298	66
4.	2009–10	215	45
5.	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	40	10
6.	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	69	18
7.	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	55	—
8.	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	36	—
9.	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	02	—
10	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	—	—
11	अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	—	—
12	अप्रैल 17 से मार्च 18 तक	01	—
13	अप्रैल 18 से दिसंबर 18 तक	04	—

परिशिष्ट–3.8
(देखें पद 3.3)

औद्योगिक स्थापनाओं से स्थाई आदेशों और उनमें संशोधनों के प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष आवेदन पत्रों की संख्या	वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	वर्ष में निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष आवेदन पत्रों की संख्या
2006 –07	04	01	04	01
2007 – 08	01	12	10	03
2008 –09	03	01	01	03
2009–10	03	07	03	07
अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	07	06	12	01
अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	01	05	04	02
अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	02	05	04	03
अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	03	23	15	11
अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	02	20	12	08
अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	08	06	13	01
अप्रैल 17 से दिसंबर 17 तक	01	08	05	04
अप्रैल 17 से मार्च 18 तक	04	09	07	06

परिशिष्ट–3.9

व्यावसायिक संघ अधिनियम,1926 के अन्तर्गत श्रम संगठनों के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन,उनका निराकरण तथा पंजीयन निरस्ती हेतु की गई कार्रवाई:–

वर्ष	पूर्व के लम्बित	पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र	पंजीकृत श्रम संगठन	अमान्य किये गये आवेदन पत्र	शेष	त्रुटिकर्ता श्रम संगठन जिनका पंजीयन निरस्त किया गया
2017–2018	45	39	38	21	25	05
2018–2019 (31 दिसम्बर,2018 तक)	27	36	20	10	33	01

टीप:– शेष आवेदन पत्र सत्यापन हेतु विभिन्न जिला श्रम कार्यालय को भेजे गये है।

मान्य किए गए वार्षिक विवरण/निर्वाचन/विधान संशोधन की स्थिति

2017–2018					2018–2019 (31 दिसम्बर,20178 तक)				
श्रम संघो की संख्या	वार्षिक विवरण	श्रम संघो की संख्या	निर्वाचन	विधान संशोधन	श्रम संघो की संख्या	वार्षिक विवरण	श्रम संघो की संख्या	निर्वाचन	विधान संशोधन
149	447	89	139	25	139	338	108	102	20

परिशिष्ट–3.10

मध्यप्रदेश औद्यागिक संबंध अधिनियम,1960 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु प्राप्त ठहराव/समझौते

वर्ष	पंजीयन हेतु प्राप्त ठहराव	पंजीकृत ठहराव	पंजीयन हेतु प्राप्त समझौते	पंजीकृत समझौते
2017–2018	01	01	01	01
2018–2019 (31दिसम्बर,2018तक)	–	–	04	04

***

परिशिष्ट–4.1
(देखें पद 4.2.6)

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कार्यरत कारखानों की संभाग एवं जिले–वार जानकारी (01.01. 2019 तक)

संभाग	जिला	पंजीकृत कारखानों की संख्या	नियोजन क्षमता
1. इन्दौर	01. इन्दौर	1265	63782
	02. धार	739	106396
	03. झाबुआ	42	1768
	04. खंडवा	82	6729
	05. बुरहानपुर	62	7315
	06. खरगोन	128	17840
	07. बडवानी	39	2256
	08 अलीराजपुर	33	927
2. उज्जैन	09. उज्जैन	340	14453
	10. देवास	228	30464
	11. आगर	10	579
	12. शाजापुर	28	1946
	13. रतलाम	154	9018
	14. मन्दसौर,	254	7191
	15. नीमच	121	4943
3. ग्वालियर	16. ग्वालियर	288	15335
	17. दतिया	7	187
	18. गुना	27	7054
	19. अशोकनगर	5	408
	20. शिवपुरी,	13	420
4. चम्बल	21 श्योपुर	02	60
	22. मुरैना	120	7551
	23. भिंड	111	20551
5. भोपाल	24. भोपाल	426	34421
	25. सीहोर	34	9094
	26. रायसेन	298	69405
	27. राजगढ़	35	11408
	28. विदिशा	69	3948
	29. बैतूल	52	7939
6. होशंगाबाद	30. होशंगाबाद	130	14338
	31. हरदा	79	773
7. सागर	32. सागर	75	6056
	33. टीकमगढ़	14	825
	34. दमोह	06	4828
	35. छत्तरपुर	19	306
	36. पन्ना	04	88
8. जबलपुर	37. जबलपुर,	302	31222
	38. नरसिहपुर	38	3114
	39. कटनी	175	13567
	40. बालाघाट	63	2247
	41. सिवनी	09	2238
	42. मंडला.	42	2094
	43. डिंडोरीं	02	18

	44. छिन्दवाड़ा	108	13716
9. रीवा	45. सतना	191	31678
	46. रीवा	67	6096
	47. सीधी	09	4072
	48. शहडोल,	29	4686
	49. अनुपपुर	13	4754
	50. उमरिया	07	907
	51. सिंगरोली	65	10275
	योग –	6459	621286

परिशिष्ट–4.2
(देखें पद 4.2.6)

कारखाना अधिनियम, 1948, की धारा 88 के अंतर्गत आने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी

वर्ष	दुर्घटनाओं से प्रभावित कर्मियों की संख्या			
	मृत कर्मी	गंभीर रूप से प्रभावित कर्मी (पूर्ण/आंशिक स्थायी विकलांगता)	साधारण रूप से प्रभावित कर्मी (48 घंटे से अधिक की परंतु अस्थायी अक्षमता)	अग्नि दुर्घटनाएं
1	2	3	4	5
2011–12	59	31	1392	11
2012–13	49	26	648	11
2013–14	43	18	405	09
2014–15	56	17	233	13
2015–16	38	20	360	09
2016–17	37	15	503	12
2017–18	36	08	349	14
2018–19 (31 दिसंबर 17 तक)	28	15	209	04

परिशिष्ट–4.3
(देखें पद 4.4.3)

मध्यप्रदेश में स्थित अति खतरनाक स्थापनाओं की संभाग एवं जिलेवार सूची

संभाग	जिला	स्थान	स्थापना का नाम	उपयोग में लाये जाने वाले खतरनाक रसायन	खतरनाक रसायन की मात्रा (मे.टन में)		आर्न साइट आपात योजना को अंतिम रूप दिये जाने की तिथि	रिमार्क
					निर्धारित सीमान्त मात्रा	स्थापना में भंडारण की क्षमता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
इंदौर	इंदौर	मांगलिया	1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो.लि. एल.पी.जी. बाटलिंग पलांट	एल.पी.जी.	15.000	1200.000	07/08/97	
			2. भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. पोल डिपो,	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	1400.000	15/12/97	
			3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. पोल डिपों,	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	2220.000	25/07/98	
			4. इंडियन आईल कार्पो. लि. पोल डिपो,	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	3051.000	23/02/98	
			5. भारत पेट्रोलियम कार्पो.. लि. मांगलिया, इंस्टालेशन	पेट्रोल (गैसोलीन) एच.एस.डी. एस.के.ओ.	1000.000	26880.000 54560.000 12900.000	27/05/03	
		महू	6. बालाजी वेफर्स	प्रोपेन	15.000	60.000	_	नवीन पहचान किया गया कारखाना
		असरावद	7. डायमण्ड क्रिस्टल (प्रा.) लि.	एल.पी.जी.	15.000	20.000	22/01/14	
		कबीट खेडी	8. 245, एम.एल.डी. सिवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (आय.एम.सी)	क्लोरीन	10.000	21.600	30/03/17	
	झाबुआ	मेघ नगर	9. काम्फीडेन्ट पेट्रोकेम इ. लि.	एल.पी.जी.	15.000	60.000	-	नवीन पहचान किया गया कारखाना
	खण्डवा	डोंगलिया	10. श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन	क्लोरिन	10-000	79.000	14/09/13	
	धार	पीथमपुर औद्यो.क्षेत्र	11. स्वस्तिक प्लास्टि सायजर्स एण्ड पी.व्ही.सी. पाईप्स प्रा. लि.	क्लोरीन	10.000	25.000	26/09/96	
			12. आर्या फिलामेन्टस्	एल.पी.जी.	15.000	40.000	19/07/12	
			13. एवटेक लि.	एल.पी.जी.	15.000	40.000	05/01/98	
			14. भारत पेट्रोलियम कार्पो. बाटलिंग प्लांट	एल.पी.जी.	15.000	450.000	08/10/99	
			15 गगन गेसेस लि. यूनिट नं.2	एल.पी.जी.	15.000	90.000	03/09/97	
			16 ग्रीन कास एग्रो केमिकल प्रा. लि.	मिथाईल पैराथिन	00.100	00.250	31/03/99	
			17. देव एग्रो (इण्डिया) केमिकल फर्टिलाईजर्स लि.	फोरेट	00.100	00.800	05/05/16	
			18. हिंदुस्तान मोटर्स लि. (पी.टी.पी. प्लांट)	प्रोपेन	15.000	57.900	08/02/99	वर्तमान में बन्द है।
			19. केमफ्युजन केमिकल्स प्रा.लि.	क्लोरीन	10.000	17.000	-	नवीन पहचान किया गया कारखाना
			20. टाटा स्टील लि.	एल.पी. जी.	15.000	16.459	14/01/16	
		तिरला	21. इंदौर गैसेस	एल.पी.जी.	15.000	50.000	16/07/12	
		खुरेल	22. श्री क्लोरेटस यूनिट ऑफ झेनिथ इलेक्ट्रोकेम प्रा.लि.	सोडियम क्लोरेट	25.000	100.000	03/09/96	

उज्जैन	उज्जैन	नागदा	23. आरसिल केटेलिस्ट प्रा.लि.,	क्लोरीन	10.000	21.000	08/02/96	
			24. ग्रेसिम इंड. लि.(केमीकल डिवी)यूनिट नंबर 1	क्लोरीन	10.000	440.000	23/01/98	
			25. ग्रेसिम इंड. लि.(केमिकल डिवी) यूनिट नं. 2	क्लोरीन	10.000	380.000	19/01/98	
			26, ग्रेसिम इंड. लि.(स्टेपल फाईबर)	कार्बन–डाईसल्फाईड	20.000	1057.000	14/05/98	
			27. लानसेस इंडिया इण्ड. प्रा. लि.	क्लोरीन, सल्फर ट्राय आक्साईड	10.000 25.000	39.600 30.000	02/03/96	
		ज्लालखेडी	28. कान्फीडेन्स सिलेण्डर एण्ड प्रेट्रोकेम प्रा.लि.	एल.पी.जी.	15.000	40.000	08/05/12	वर्तमान में बन्द है।
		घटिया	29. इंडियन ऑयल कार्पो लि. बाटलिंग प्लांट,	एल.पी.जी.	15.000	1850.000	28/07/00	
	देवास	इंड. एरिया	30. गजरा डिफरेन्शियल गियर्स प्रा.लि.	एल.पी.जी. / प्रोपेन	15.000/ 15.000	20.000 20.000	27/04/06	
	रतलाम	बांगरोड	31, इण्डियन आइल कार्पो.. लि., रतलाम टर्मिनल	पेट्रोल, एसकेओ, एचएसडी तथा अन्य	1000.000	22443, 34965, 15540	04/02/10	
	शाजापुर	लोढिया	32. सिद्वार्थ ट्यूब लि. (सी.आर. एम.डिवी)	प्रोपेन	15.000	120.000	24/07/00	
भोपाल	भोपाल	पिपलानी	33. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि.	एल.पी.जी.	15.000	168.000	18/09/97	
		बैरागढ	34. इंडियन ऑयल कार्पो. लि. एल.पी.जी बाटलिंग प्लांट,	एल.पी.जी.	15.000	8200.000	24/03/98	
		हुजुर	35. रिलायन्स इण्ड. लि., भोपाल टर्मिनल	पेट्रोल एच.एस.डी.	1000.000	4150.000 5410.000	11/10/04	
		निशातपुरा	36. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	1736.000	26/09/01	
		बकानिया	37. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो	पेट्रोल	1000.000	1230.000	09/11/10	
			38. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., बाटलिंग प्लांट	एल.पी.जी.	15.000	200.000	25/03/13	
	सीहोर	बुधनी	39. वर्द्धमान फेबरिक्स	प्रोपेन	15.000	100.000	06/11/07	
			40. ट्रायडेन्ट लि.	एल.पी.जी.	15.000	25.000	30/05/16	
		डोडी	41. हेमकुन्ट पेट्रोलियम लि.	एल.पी.जी.	15-000	50.000	27/10/99	
	रायसेन	दिवानगंज	42. जी.के.केमिकल एण्ड फर्टीलायजर्स लि.	फोरेट / कार्बोफोरेन	00.100 00.100	27.600 30.000	02/05/95	
		मण्डीदीप	43. एच.ई.जी. लि. (ग्रेफाईट डिवी)	एल.एन.जी.	15.000	40.000	06/03/13	
			44. इन्स्यूलेटर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी यूनिट नं. 2 .	प्रोपेन	15.000	60.000	05/04/08	
	राजगढ़	पैलूखेडी	45, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग पलांट	एल.पी.जी.	15.000		22/11/13	
	विदिशा	इंड.इस्टेट	46, सोरभ एग्रो इण्ड. लि.	फोरेट	00.100	00.250	30/03/98	
			47. मेड केमिकल्स	मिथाईल पेराथियान / फोरेट	00.100 00.100	00.450 00.960	17/05/05	
			48. एग्रो एडस पेस्टीसाईडस,	मिथाईल पेराथियान / फोरेट	00.100 00.100	00.200 00.200	23/02/98	
			49. पेस्ट केम एंड अलाईड इण्ड.	मिथाईल पेराथियान	00.100	00.200	30/03/98	
			50. शाईन मेटल इंड.	मिथाईल पेराथियान / फोरेट	00.100 00.100	00.200 00.200	30/03/98	
			51. यूनिकल पेस्टीसाईडस प्रा.लि.	मिथाईल पेराथियान / फोरेट	00.100 00.100	00.950 00.950	11/10/01	
			52. हाईटेक पेस्टीसाईड्स	फोरेट	00-100	00-200	16/06/14	
नर्मदापूरम	होशंगाबाद	इटारसीं	53. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	1947.000	14/09/98	
जबलपुर	जबलपुर	भिटौनी	54. भारत पैट्रोलियम कार्पो.लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	एल.पी.जी.	15.000	2900.000	09/10/97	
			55. इंडियन आईल कार्पो. लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	1177.000	24/03/98	
			56. भारत पेट्रोलियम कार्पो.लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	1872.000	03/09/07	
			57. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	2220.000	10/03/98	

			58. कान्फीडेन्स सिलेन्डर एण्ड पेट्रोकेम प्रा.लि.	एल.पी.जी.	15.000	100.000	03/03/07	
		रिचाई	59. बालाजी एडीबल आईल प्रा. लि.	एल.पी.जी.	15.000	40.000	03/05/08	
		खमरिया	60. आर्डिनन्स फेक्टी,	ट्राईनाईट्रो टालविन	50.000	50.000	30/03/98	
	नरसिंहपुर	गाडरवारा	61. एन.टी.पी.सी. लि0	क्लोरीन	10.000	52.000	-	नवीन पहचान किया गया कारखाना
	छिंदवाडा	सौसर	62. भंसाली इंजिनियरिंग पॉलिमर्स लि.	एक्री–लोनाईट्राईल	20.000	125.000	28/10/92	
		खुनागर	63. कान्फीडेन्स सिलेन्डर एण्ड पेट्रोकेम प्रा.लि.	एल.पी.जी.	15.000	60.000	.	वर्तमान में बन्द है।
		मेाहखेड	64. जुगनु फुडस प्रा. लि. बदावेह	प्रोपेन	15.000	40.220	24/03/17	
		पांढुरना	65, ड्रायटेक प्रोसेसर (इ) प्रा.लि.	प्रोपेन	15.000	40.000	26/12/11	
	मंडला	मनेरी	66. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. बाटलिंग प्लांट,	एल.पी.जी.	15.000	450.000	30/10/00	
ग्वालियर	ग्वालियर	सिथौली	67. रेल स्प्रींग कारखाना, सेंट्रल रेल्वे,	एल.पी.जी.	15.000	140.000	31/05/99	
		रायरू	68. इंडियन आईल कार्पो. लि. डिपो	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	1058.000	24/03/98	
	शिवपूरी	आमखेडा	69. गैस पाईन्ट पेट्रोलियम इंडिया लि.	एल.पी.जी.	15.000	50.000	07/08/12	वर्तमान में बन्द है।
	गुना	विजयपुर	70. गेल(इंडिया) लि. एल.पी.जी. रिकवरी प्लांट	एल.पी.जी. / प्रोपेन	15.000	8000.000 2700.000	08/09/97	
			71. नेशनल फर्टिलाईजर्स लि.	अमोनिया / क्लोरीन	60.000 10.000	15000.000 20.000	27/01/98	
		डोंगर	72. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. बाटलिंग प्लांट,	एल.पी.जी.	15.000	900.000	13/03/02	
चंबल	भिंड	मालनपुर औद्यो. क्षेत्र	73. सुर्या रोशनी लि.	प्रोपेन / एल.पी.जी.	15.000	194.000	19/03/97	
			74. आर. एस. सिलिकेट एण्ड केमिकल	क्लोरीन	10.000	20.000	_	नवीन पहचान किया गया कारखाना
	मुरैना	बामौर	75. प्राची गैस बाटलिंग प्लाट	एल.पी.जी.	15.000	50.000	-	वर्तमान में बन्द है।
रीवा	शहडोल	अमलाई	76. ओरियेंट पेपर मिल,	क्लोरीन	10.000	169.00	13/08/96	
	सिंगरौली	विन्ध्यनगर	77. विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन	क्लोरीन	10.000	25.000	21/10/97	
		जयन्त	78. इंडियन आईल कार्पो. लि. डिपो	एच.एस.डी.	5000.000	11000.000	23/02/98	
		जयन्त	79. इंडियन आईल कार्पो.लि. (आईबीपी डिवी)	अमोनियम नाईट्रेट	350.000	955.000	12/03/14	
		वैधान	80. सासन पावर लि.	क्लोरिन	10.000	49,500.000	18/03/13	
		वरगवान	81. हिण्डाल्को इण्ड. लि.	प्रेपेन क्लोरीन	15.000 10.000	22.000 72.000	28/01/13	
		वैधान	82. साईट मिक्ड इमरशन एक्सप्लोशिव प्लांट	टमोनियम नाईटेट	350.000	925.000	12/12/18	
		निगरी	83. जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	क्लोरिन	10.000	80.000	01/10/14	
सागर	पन्ना	पुरैना	84. शिवा एक्सीम इन्टर प्राईजेस	क्लोरीन	10.000	32.000	03/11/07	वर्तमान में बन्द है।
	सागर	बीना	85. भारत ओमान रिफायनरी लि.	एल.पी.जी, पेट्रोल, एसकेओ, एचएसडी तथा अन्य	15.000 1000.000	8400, 28334, 9540, 35805	05/40/10	

परिशिष्ट–4.4
(देखें पद 4.4.4)

ऑफ साइट आपात योजना की तैयारी एवं पूर्वाभ्यास की जानकारी

क.	जिला	पूर्वाभ्यास का दिनांक
1	भोपाल	17/12/07, 25/11/08, 16/04/09, 22/10/09, 10/12/14, 20/12/17, 21/03/18, 28/09/18
2	रायसेन	24/05/07, 23/12/08, 21/12/09, 03/12/11, 29/01/14, 21/07/17
3	विदिशा	02/01/08, 03/12/11, 12/02/14
4	ग्वालियर	08/02/07, 25/03/08, 21/07/08, 28/01/09, 06/07/09, 19/02/10, 02/02/11, 03/12/11, 16/08/12, 24/09/14, 04/09/15, 24/07/17, 26/07/18
5	भिण्ड	20/04/07, 31/01/08, 28/06/08, 31/01/09, 07/04/10, 04/03/11, 03/12/11, 19/10/12, 12/09/14, 05/12/15, 04/12/17, 03/10/18
6	गुना	30/06/07, 15/02/08, 28/08/08, 26/02/09, 28/07/09, 11/03/10, 05/03/11, 03/12/11, 08/08/12, 07/08/14, 03/10/15, 05/10/16, 17/08/17, 02/08/18
7	जबलपुर	24/12/07, 17/07/08, 22/08/09, 03/12/11, 12/10/12, 17/11/14, 26/12/14, 14/03/16, 01/10/18
8	मण्डला	24/05/07, 15/12/07 26/11/08, 03/12/11, 19/09/14
9	छिन्दवाडा	26/12/07, 23/12/08, 03/12/11, 17/12/14
10	इंदौर	17/08/08, 22/03/11, 03/12/11, 11/02/15, 28/03/18
11	धार	12/03/07, 08/07/07 17/03/08, 28/08/09, 27/09/10, 27/03/11, 03/12/11, 27/02/14, 16/03/18, 22/09/18
12	उज्जैन	24/03/07, 20/09/08, 22/09/09, 28/12/10, 07/07/11, 03/12/11, 03/12/12, 03/12/14, 18/06/15, 03/12/15, 26/12/16, 31/07/17, 26/06/18, 28/12/18
13	शाजापुर	19/12/07, 31/12/08, 05/11/11, 03/12/11, 03/12/12, 07/03/14
14	देवास	20/12/07, 31/12/08, 03/12/11, 07/12/12, 07/11/14, 04/03/15, 03/12/16, 05/03/18, 03/12/18
15	सीहोर	22/12/07, 26/12/08, 03/12/11, 07/12/12, 23/03/14, 03/03/15, 04/03/16, 16/01/18
16	शहडोल	07/03/07, 24/09/08 02/12/09, 07/02/11, 03/12/11, 22/05/15, 18/09/17, 11/08/18
17	पन्ना	06/02/08, 11/01/11, 03/12/11, 04/03/12, 30/04/14, 23/05/15, 20/02/17 (वर्तमान में एक मात्र एम.ए.एच. कारखाना बन्द है।)
18	सिंगरोली	27/09/08, 03/12/11, 28/09/17, 24/10/18
19	रतलाम	08/12/10, 10/06/11, 03/12/11, 03/12/12, 11/07/14, 14/01/6, 19/07/16, 27/07/17, 18/01/18, 27/07/18
20	सागर	03/12/11, 08/06/12, 13/09/13, 30/10/14, 30/07/15, 21/03/16, 19/12/17, 28/12/18
21	खण्डवा	30/07/15, 21/03/16, 29/8/18
22	शिवपुरी	वर्तमान में एक मात्र एम.ए.एच. कारखाना बन्द है।
23	मोरेना	वर्तमान में एक मात्र एम.ए.एच. कारखाना बन्द है।
24	राजगढ	नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान की कार्रवाई जारी है ।
25	झाबुआ	नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान की कार्रवाई जारी है ।
26	नरसिंगपुर	नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान की कार्रवाई जारी है ।
27	होशंगाबाद	नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान की कार्रवाई जारी है ।

परिशिष्ट–4.5
(देखें पद 4.4.5)

एम.एस.आई.एच.सी. नियम, 1989 के तहत कारखानों से प्राप्त सुरक्षा आडिट रिपोर्ट की जानकारी

जिला	स्थान		कारखाने का नाम	सुरक्षा आडिट की स्थिति	पिछला सुरक्षा आडिट कराने का वर्ष
1	2		3	4	5
भोपाल	बैरागढ	1	इंडियन आईल कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018
	बकानिया	2	भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2013, 2014, 2015, 2018
धार	पीथमपुर	3	भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
गुना	विजयपुर	4	गैल (इंडिया) लि.	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
		5	नेशनल फर्टीलाईजर्स लि.,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
	डोंगर	6	इंडियन आईल कार्पो. लि. बाटलिंग प्लांट	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
इन्दौर	राऊखेडी	7	हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पो. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018
	मांगलिया	8	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. मांगलिया इस्टालेशन	सम्पन्न	2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
जबलपुर	भिटौनी	9	भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2015, 2016, 2018
	खमरिया	10	आर्डिनेन्स फैक्ट्री,	सम्पन्न	–
उज्जैन	घातिया	11	इंडियन आईल कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
	नागदा	12	ग्रेसिम इण्ड. लि.(केमिकल डिवीजन) युनिट–1	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
		13	ग्रेसिम इण्ड. लि.(केमिकल डिवीजन) युनिट–2	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
		14	ग्रेसिम इण्ड.लि. (स्टेपल फायबर डिवीजन)	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016(2),2018
		15	लानंसेस इंडिया इं.प्रा. लि.	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
मण्डला	मनेरी	16	हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पो. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013(आंतरिक),2014, 2015(आंतरिक), 2016, 2017, 2018
शहडोल	अमलाई	17	ओरियेंट पेपर मिल,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
सिंगरोली	विन्ध्यनगर	18	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन	सम्पन्न	2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017
	वैधान	19	सासन पावर लि.	सम्पन्न	2013, 2014 (आंतरिक), 2015, 2016
	निग्री	20	ज़े.पी. निग्री सुपर थरमल पावर प्रोजेक्ट	सम्पन्न	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018(आंतरिक)
रतलाम	बांगरोड	21	इण्डियन आईल कार्पो. लि., रतलाम टर्मिनल	सम्पन्न	2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
सागर	बीना	22	भारत ओमान रिफायनरी लि.	सम्पन्न	2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018
पन्ना	पुरैना	23	शिवा एक्सीम इन्टरप्राईजेस	सम्पन्न	2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 (वर्तमान में बन्द है।)
खण्डवा	डोंगलिया	24	श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन	सम्पन्न	2014, 2015, 2016, 2017(आंतरिक),
राजगढ	पीलुखेडी	25	हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पो. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2016, 2017
नरसिंगपुर	गाडरवाडा	26	एन.टी. पी.सी. लि.		नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना

परिशिष्ट–4.6
(देखें पद 4.5.3)

औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण

भाग एक : हानिकारक पदार्थो की जांच

कारखानों से लिये गये हानिकारक पदार्थों के नमूने तथा उनके प्रयोगशाला विश्लेषण का परिणाम

		अमोनिया			एच.सी.एल			धूलिकण /रेसपीरेबल						एस्बेस्टास फायबर		
क्र.	वर्ष	लिए गए नमूनों की संख्या	जांच का परिणाम		लिए गये नमूनों की संख्या	जांच का परिणाम		लिए गए नमूनों की संख्या	जांच का परिणाम		लिए गए नमूनों की संख्या	जांच का परिणाम		लिए गए नमूनों की संख्या	जांच का परिणाम	
			निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	11–12	17	17	—	09	09	—	117	75	42	04	04	—	—	—	—
2	12–13	17	09	08	—	—	—	62	24	38	02	02	—	—	—	—
3	13–14	30	15	15	02	01	01	35	04	31	—	—	—	—	—	—
4	14–15	16	09	07	—	—	—	03	03	—	—	—	—	—	—	—
5	15–16	नोट–वर्तमान में कारखानों से अमोनिया एवं एच.सी.एल. के नमूने एकत्रित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है के स्थान पर प्रयोगशाला में उपलब्ध डिजीटल डॉटा लॉगिग सुविधायुक्त उपकरणों की सहायता से मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है।						63	30	33	—	—	—	—	—	—
6	16– 17	नोट–वर्तमान में कारखानों से अमोनिया एवं एच.सी.एल. के नमूने एकत्रित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है के स्थान पर प्रयोगशाला में उपलब्ध डिजीटल डॉटा लॉगिग सुविधायुक्त उपकरणों की सहायता से मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है।						58	51	07	—	—	—	—	—	—
7	1.4.17 से 31.12.17 तक	नोट–वर्तमान में कारखानों से अमोनिया एवं एच.सी.एल. के नमूने एकत्रित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है के स्थान पर प्रयोगशाला में उपलब्ध डिजीटल डॉटा लॉगिग सुविधायुक्त उपकरणों की सहायता से मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है।						40	29	11	—	—	—	—	—	—
8	1.1.18 से 31.3.18	नोट–वर्तमान में कारखानों से अमोनिया एवं एच.सी.एल. के नमूने एकत्रित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है के स्थान पर प्रयोगशाला में उपलब्ध डिजीटल डॉटा लॉगिग सुविधायुक्त उपकरणों की सहायता से मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है।						03	03	—	—	—	—	—	—	—
9	1.4.18 से 31.1218							06	06	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट–4.7
(देखें पद 4.5.3)

स्थल पर उपकरणों की सहायता से की गई जांच एव उनका परिणाम

क	वर्ष	क्लोरीन			कार्बन मोनो आक्साइड			अन्य ज्वलनशील गैस तथा वाष्प			अमोनिया			एच.सी.एल.			कुल		
		जॉच का परिणाम			जॉच का परिणाम			जॉच का परिणाम			जॉच का परिणाम			जॉच का परिणाम			जॉच का परिणाम		
		लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक	लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक	लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक	लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक	लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक	लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	11–12	–	–	–	–	–	–	120	98	22	255	199	56	–	–	–	–	–	–
2	12–13	01	01	–	–	–	–	28	25	03	109	60	49	–	–	–	–	–	–
3	13–14	02	02	–	–	–	–	43	33	10	111	54	57	–	–	–	–	–	–
4	14–15	04	04	–	05	–	05	42	41	01	24	17	07	14	14	–	115	84	31
5	15–16	01	01	–	10	08	02	17	16	01	29	27	02	24	23	01	118	97	21
6	16– 17	10	10	–	17	09	08	66	44	22	49	27	22	22	22	–	202	146	56
7	1.4.17 से 31.12.17 तक	04	04	–	22	17	05	34	18	16	28	17	11	20	20	–	108	76	32
8	1.1.18 से 31.3.18	–	–	–	–	–	–	1	1	–	7	5	2	1	1	–	9	7	2
9	1.4.18 से 31.12.18	–	–	–	–	–	–	17	13	4	24	22	2	5	5	–	46	40	6

परिशिष्ट– 4.8

(देखें पद 4.5.3)

औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण

भाग दो : स्थल पर उपकरणों की सहायता से प्रकाश व ध्वनि संबंधी जांच

वर्ष	प्रकाश			ध्वनि			कुल योग		
	जांच की कुल संख्या	जांच का परिणाम		जांच की कुल संख्या	जांच का परिणाम		जांच की कुल संख्या	जांच का परिणाम	
		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08–09	123	123	–	117	86	31	240	209	31
09–10	48	48	–	48	33	15	96	81	15
10–11	20	18	02	12	07	05	32	25	07
11–12	216	164	52	214	158	56	430	322	108
12–13	119	77	42	119	48	71	238	125	113
13–14	187	58	129	127	28	99	314	86	228
15–16	204	100	104	193	49	144	397	149	248
16–17	212	76	136	227	81	146	439	157	282
01.04.17 से 31.12.17 तक	141	48	93	151	97	54	292	145	147
1.1.18 से 31.3.18 तक	17	4	13	16	5	11	33	9	24
1.4.18 से 31.1218 तक	71	21	50	70	26	24	141	47	94

भाग–तीन :– दृष्टि दोष संबंधी की गई जॉच का परिणाम

क0	वर्ष	श्रमिकों की संख्या जिनकी दृष्टि की जॉच की गई	दृष्टि दोष पाये गए श्रमिकों की संख्या	दृष्टि दोष नहीं पाये गए श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5
1	15–16	–	–	–
2	16–17	–	–	–
3	01.04.17 से 31.12..17 तक	–	–	–
4	1.1.18 से 31.3.18	–	–	–
5	1.4.18 से 31. 1218	–	–	–

***

परिशिष्ट– 5.1
(देखें पद 5.1)

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित है

भाग–एक

क्र.	अनुसूचित नियोजन
1.	किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2.	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3.	किसी मार्गो के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4.	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5.	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6.	किसी सिंचाई कार्यो के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7.	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8.	किसी आरा मिल में नियोजन
9.	किसी तेल मिल में नियोजन
10.	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11.	किसी मुर्रा पोहा निर्माणी में नियोजन
12.	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकेंडी सम्मिलित है, के निर्माणा में नियोजन
13.	किसी पत्थर तोडने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14.	किसी दूकान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15.	किसी मुद्राणालय में नियोजन
16.	किसी सीमेंन्ट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17.	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18.	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19.	किसी चूना भट्टे में नियोजन
20.	किसी ईट भट्टे में नियोजन
21.	किसी पावर लूम /जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है/ में नियोजन
22.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23.	किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24.	किसी खांडसारी उत्पादन में नियोजन
25.	किसी पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्ट्री सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26.	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27.	किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28.	किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29.	किसी रामरज गेरू के निर्माण में नियोजन
30.	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31.	किसी बोनमिल में नियोजन
32.	किसी टाइल्स, जिसमें मेंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
33.	किसी विनिर्माण प्रकिया जिसमें विनिर्माण प्रकिया जो कि कारखाना अधि.,1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्ठि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन
34.	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केंद्र तथा विकृति विज्ञान(पेथालोजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है में नियोजन
35.	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था , जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित हैं, में नियोजन
36.	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन

39.	किसी खदान जैसे कंकड,मुर्रम,लेट्राईट,बोल्डर,ग्रावेल शिंगड़ा, साधारण रेती,बिल्डिंग स्टोन,रोड मेटल,अर्थ फुलर्स अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है,मे नियोजन
40.	किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजस में नियोजन
41.	किसी बेकरी में नियोजन
42	किसी कोल्ड स्टोरेज(शीतागार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्टोरेन्ट तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमागृहो या थियेटरों में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त
48	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49	किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन
50	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड(कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52	किसी इलेक्ट्रिानिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
53	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
54	मिट्‌टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57	किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता कोआपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक(को–आपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजयरी में नियोजन
60	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेन्ट भी शामिल है) में नियोजन
61	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी खिलौना निर्माण,जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित है,में नियोजन
63	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66	किसी अचार,बड़ी,पापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
68	दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यो में नियोजन
70	किसी सफाई कार्य में नियोजन
71	किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन
72	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन

भाग–दो

1.	कृषि में नियोजन

13.3. न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड

यह बोर्ड न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा–7 के अंतर्गत गठित होता है। बोर्ड का पुनर्गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2014 के द्वारा किया गया है। जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 11 जुलाई, 2014 को हुआ है। श्रमायुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष का होता है, ओर वह अधिसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में कार्रवाई करता है। बोर्ड की अंतिम बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2016 को हुई है।

बोर्ड की अवधि दिनांक 01 जुलाई, 2016 को पूर्ण होने से बोर्ड के पुनर्गठन हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

परिशिष्ट–5.2
(देखें पद 5.1)

न्यूनतम मजदूरी की दरें
परिशिष्ट– 5.1 में क्र. 1 से 69 तक उल्लेखित नियोजन
(1.10.2018 से 31.3.2019 तक के लिए)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल न्यूनतम मजदूरी	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल (1 जून, 2015 से प्रभावशील)	6500	250.00	875.00	33.65	7375.00	284.00
अर्धकुशल	7057.00	271.00	1175.00	45.19	8232.00	317.00
कुशल	8435.00	324.00	1175.00	45.19	9610.00	370.00
उच्च कुशल	9735.00	374.00	1175.00	45.19	10910.00	420.00

नोटः–मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 मई, 2015 में प्रकाशित अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की पुनरीक्षित न्यूनतम दरें, उपर्युक्तानुसार 1 जून, 2015 से प्रभावशील की गई है।

कृषि में नियोजन
(1.10.2018 से 31.3.2019 तक के लिए)

अकुशल कृषि श्रमिक	5350.00	178.33	768.00	25.60	6118.00	204.00

बीडी निर्माण में नियोजन
(1.04.2018 से 31.03.2019 तक के लिए)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल मजदूरी	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल न्यूनतम मजदूरी
बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	रूपये 74.00	11.19	85.19

नोट– एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील महंगाई भत्ता रूपये 85.19 के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 8.33 प्रतिशत (7.45) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 प्रतिशत (4.26) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 प्रतिशत (8.99) इस प्रकार कुल रूपये 105.89 देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 17.98 की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 1/4/2018 से 31/3/2019 की अवधि में श्रमिकों को कुल रूपये 8.99 एवं भविष्य निधि कटौती उपरांत शुद्ध राशि 87.91 प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती निर्माण में नियोजन
(1.10.2018 से 31.3.2019 तक के लिए)

कर्मचारी का वर्ग	न्यूनतम मूल मजदूरी	पुनरीक्षित महंगाई भत्ता	कुल वेतन
अगरबत्ती रोलर (1000 अगरबत्ती के लिए)			
क. साधारण अगरबत्ती	रू. 21.40	11.75	33.15
ख. सुगंधित अगरबत्ती	रू. 22.00	11.75	33.75

***

परिशिष्ट– 7.1

बीड़ी एवं सिगार अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों तथा श्रमिकों की संभाग एवं जिलेवार संख्या

क.	संभाग		जिले का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	बीड़ी सिगार कर्मकार अधिनियम के तहत संधारित स्थापना पंजी के अनुसार कार्यरत श्रमिक		
					परिसर	घरखाता	योग
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1–	इन्दौर संभाग	1	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर	2	15	1500	1515
		2	सहायक श्रमायुक्त, इंदौर	1	130	831	961
		3	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा	4	8	43	51
		4	श्रम पदाधिकारी, खरगोन	1	0	16	16
2–	उज्जैन सम्भाग	5	श्रम पदाधिकारी, देवास	6	6	346	352
		6	श्रम पदाधिकारी, रतलाम	1	2	–	2
		7	सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन	1	3	19	22
3–	ग्वालियर संभाग	8	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर	6	68	105	173
		9	श्रम पदाधिकारी, दतिया	9	28	241	269
		10	श्रम पदाधिकारी, गुना	4	91	1820	1911
		11	सहायक श्रमायुक्त, ग्वालियर	9	122	1150	1272
4–	चम्बल संभाग,	12	श्रम पदाधिकारी, श्योपुर	4	20	60	80
5–	भोपाल संभाग	13	सहायक श्रमायुक्त, भोपाल	8	41	1032	1073
		14	श्रम पदाधिकारी, मंडीदीप (रायसेन)	15	205	224	429
		15	श्रम पदाधिकारी, विदिशा	5	22	58	80
6–	सागर संभाग	16	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर	3 (2 बंद)	7	140	147
		17	श्रम पदाधिकारी, दमोह	40	663	15311	15974
		18	सहायक श्रमायुक्त, सागर	75	1700	17200	18900
		19	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़	1	5	–	5
7–	जबलपुर संभाग	20	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट	6	101	1299	1400
		21	सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर	15	454	3321	3775
		22	श्रम पदाधिकारी, कटनी	5	153	1265	1418
		23	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर	11	130	360	501
8–	रीवा संभाग	24	श्रम पदाधिकारी, रीवा	2	17	68	85
		25	सहायक श्रमायुक्त, सतना	20	922	3342	4264

परिशिष्ठ– 7.2

बीड़ी श्रमिकों हेतु वर्ष 2006–07 से स्वीकृत/कियान्वित आवास योजना

क्र.	संभाग		जिला	आवास निर्माण की स्वीकृति का वर्ष	आवास संख्या				केन्द्रांश (लाख रूपये में)		स्वीकृत एवं विमुक्त राज्यांश (लाख रूपये में)
					कुल स्वीकृत	निर्मित	निर्माणाधीन	निर्माण आरंभ होना शेष	स्वीकृत	विमुक्त	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1–	ग्वालियर संभाग	1	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर	2007	225	105	–	120	78.00	33.00	33.75 लाख
		2	श्रम पदाधिकारी, दतिया	2007	255	80	20	155	102 लाख	51 लाख	–
2–	सागर संभाग	3	श्रम पदाधिकारी, दमोह	2008	25	–	–	–	5 लाख	–	5 लाख
		4	सहायक श्रमायुक्त, सागर	2007	500	180	144	176	1 करोड़	1 करोड़	–
3–	जबलपुर संभाग	5	सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर	2007	1000	–	–	–	2 करोड़	–	–
		6	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर	2007	375	–	–	375	75 लाख	–	–
4–	रीवा संभाग	7	श्रम पदाधिकारी, रीवा	2012–2013	961	–	–	961	38440000	–	38440000
		8	सहायक श्रमायुक्त, सतना	2007–2008	500	153	347	–	1 करोड़	–	–

***

परिशिष्ठ– 7.3

परिपत्र दिनांक 5–10–2002 के अनुसरण में घरखाता बीड़ी श्रमिकों के लिये कच्चे माल की जिलेवार निर्धारित वाजिब मात्रा

क	संभाग	जिले का नाम		निर्धारित मात्रा 1000 बीड़ी निर्माण हेतु		
				तेंदूपत्ता (ग्राम) प्रति हजार	तम्बाकू (जर्दा) (ग्राम) प्रति हजार	धागा प्रति हजार लच्छी
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1–	इन्दौर	1	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर	900 700	280 220	1 1
		2	सहायक श्रमायुक्त, इंदौर	850	260	7000 प्रति हजार लढी
		3	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा	650	200	10,000 बीड़ी पर 20 ग्राम 60 काउट वाला
		4	श्रम पदाधिकारी, खरगोन	1000	280	6000 बीड़ी पर एक लटी धागा
2–	उज्जैन	5	श्रम पदाधिकारी, देवास	800	250	पर्याप्त
		6	श्रम पदाधिकारी, रतलाम	–	–	–
		7	सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन	2768 किलो 395 ग्राम	815 किलो 948 ग्राम	36 फालके 4 लट्टी
3–	ग्वालियर	8	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर	850	250	1 रील (लच्छी)
		9	श्रम पदाधिकारी, दतिया	750	250	एक लच्छी फ्री
		10	श्रम पदाधिकारी, गुना	800	230	20 ग्राम
		11	सहायक श्रमायुक्त, ग्वालियर	800	250	एक लच्छी
4–	चम्बल	12	श्रम पदाधिकारी, श्योपुर	700	200	1 लच्छी
5–	भोपाल	13	सहायक श्रमायुक्त, भोपाल	800–900	280–300	एक गिट्टी
		14	श्रम पदाधिकारी, मंडीदीप (रायसेन)	750	240	जरूरत अनुसार
		15	श्रम पदाधिकारी, विदिशा	800 700	2. 80 2. 20	5000 बीड़ी पर एक लत्ती 5000 बीड़ी पर एक लत्ती
6–	सागर	16	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर	600	250	1 लट्टी
		17	श्रम पदाधिकारी, दमोह	750	270	1 पुंजा
		18	सहायक श्रमायुक्त, सागर	750 650	270 250	4 लतिया 4 लतिया
		19	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़	889	269	6 ग्राम
7–	जबलपुर	20	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट	700	270	250
		21	सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर	600	270	एक ग्राम
		22	श्रम पदाधिकारी, कटनी	0.700	0.260	0.01
		23	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर	900	300	फ्री
8–	रीवा	24	श्रम पदाधिकारी, रीवा	650	230	1
		25	सहायक श्रमायुक्त, सतना	700	270	100

***

परिशिष्ट–8.1
(देखें पद 8.1)

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 पंजीकृत स्थापनाओं बाबद श्रम कार्यालय–वार जानकारी

(विभागीय पोर्टल पर दर्शित)
(दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में)

संभाग/जिले का नाम	पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या
1	2
आगर–मालवा	9
अलीराजपुर	5
अनुपपुर	63
अशोकनगर	5
बालाघाट	237
बडवानी	7
बैतुल	94
भिण्ड	14
भोपाल	59
बुरहानपुर	42
छतरपुर	51
छिंदवाडा	23
दमोह	9
दतिया	4
देवास	32
धार	82
डिंडोरी	23
गुना	19
ग्वालियर	9
हरदा	7
होशंगाबाद	18
इंदौर	130
जबलपुर	21
झाबुआ	2
कटनी	24
खंडवा	22
खरगोन	38
मंडला	21
मंदसौर	86
मालनपुर	0

मुरैना	7
मंडीदीप	0
नरसिंहपुर	9
नीमच	15
पन्ना	2
पीथमपुर	0
रायसेन	21
राजगढ	16
रतलाम	9
रीवा	70
सागर	27
सतना	89
सीहोर	11
श्योनी	8
शहडोल	69
शाजापुर	1
श्योपुर	1
शिवपुरी	7
सीधी	21
सिंगरौली	14
टीकमगढ	8
उज्जैन	24
उमरिया	27
विदिशा	14
Total	**1626**

***

परिशिष्ट– 9.1

वर्ष 2016 (जनवरी से दिसंबर 2016 तक) में चिन्हित, पुनर्वासित एवं विमुक्त बंधक श्रमिकों की जानकारी निम्नवत् है:–

क्रमांक	विमुक्त माह / दिनांक	राज्य जहां से विमुक्त किये गए	पुनर्वासित श्रमिकों को आबंटित राशि	राशि आबंटन दिनांक	विमुक्त श्रमिक संख्या	जिला जहां पुनर्वासित किया गया।
01	**02**	**03**	**04**		**05**	**06**
01	18.01.16	बगलकोट (कर्नाटक)	1,71,000 / –	26.02.16 07.04.16	09	जिला खरगोन (म.प्र.)
02	01.08.16	नौयडा, गौतमबुध्द नगर (उ.प्र.)	1,08,000 / –	23.08.16	06	जिला छतरपुर (म.प्र.)
03	15.07.16	तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)	–––––	–––––	40 •	ग्राम गादला, थाना भोपा, • मुजपफरनगर (उ.प्र.)
04	12.08.16	छबडा जिला बारां (राजस्थान)	40,000 / –	07.03.17	02	विलेरा तहसील, जिला गुना (म.प्र)
05	02.08.16	नौयडा, गौतमबुध्द नगर (उ.प्र.)	1,40,000 / –	23.08.17	07	ग्राम खैरी हरिकिशन, पो.लुहारी, तहसील पटेरा, जिला दमोह (म.प्र.)
06	26.09.16	गुना (म.प्र.)	20,000 / –	07.03.17	01	अशोक नगर, (म.प्र.)
	कुल योग		**4,79,000 / –**		**65**	

वर्ष 2017 (जनवरी से दिसंबर 17 तक) में चिन्हित, पुनर्वासित एवं विमुक्त बंधक श्रमिकों की जानकारी निम्नवत् है:–

क्रमांक	विमुक्त माह / दिनांक	राज्य जहां से विमुक्त किये गए	पुनर्वासित श्रमिकों को आबंटित राशि	राशि आबंटन दिनांक	विमुक्त श्रमिक संख्या	जिला जहां पुनर्वासित किया गया।
01	**02**	**03**	**04**		**05**	**06**
01	22.02.17	जीरापुर, जिला राजगढ (म.प्र.)	20,000 / –	23.03.17	01	त्हसील जीरापुर, जिला राजगढ (म.प्र.)
02	29.10.17	किशनगढ जिला बारां (राजस्थान)	3,60,000 / –	11.01.18	18	तहसील बमौरी, जिला गुना (म.प्र)
	कुल योग		**3,80,000 / –**	–	**19**	

वर्ष 2018 (जनवरी से दिसंबर तक 18 तक) में चिन्हित, पुनर्वासित एवं विमुक्त बंधक श्रमिकों की जानकारी निम्नवत् है:—

क्रमांक	विमुक्त माह एवं दिनांक	राज्य जहां से विमुक्त किये गए।	पुनर्वासित श्रमिकों को प्रदत्त राशि	राशि आबंटन दिनांक	विमुक्त श्रमिक संख्या	जिला जहां पुनर्वासित किया गया।
01	02	03	04	05	06	07
01	06.11.17	जिला रोहतक, (हरियाणा)	4,00,000/—	12.04.18	20	गांव धरमपुरा, बकसोहा, बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
02	24.01.18	तरकरी (कर्नाटक)	40,000/—	17.04.18	02	चूनालोमा भरूढाना तहसील भैसदेही जिला बैतुल (म.प्र.)
03	15.02.18	जिला सोलापुर (महाराष्ट्र)	3,40,000/—	23.04.18	17	ग्राम बाकडी, तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर (म.प्र)
04	25.02.18	कलाम,जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)	3.40,000/—	17.04.18	17	ग्रम किन्द्री, जिला मंडला (म.प्र.)
05	03.01.18	कपशेरा, साउथ—वेस्ट, न्यू दिल्ली	40,000/—	— •	02	भायपुरा, टिगरा रोड,मोतीझील, जिला ग्वालियर (म.प्र.) • दिल्ली राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को तत्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई।
06	22.03.18	मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.)	4.20,000/—	06.07.18	21	ग्रम धर्मपुरा, तहसील खनियादाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
07	27.06.18	पोस्ट रूचिमकोड जिला नामक्कल (तमिलनाडू)	1,80,000/—	04.10.18	09	औवरिया, जिला बैतुल (म.प्र.)
08	06.11.17	जिला रोहतक (हरियाणा)	80,000/—	06.10.18	04	तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.)
	कुल योग		**18,40,000/—**		**92**	

***

परिशिष्ट–10.1
(देखें पद 10.1)

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के पंजीकृत उपक्रमों की श्रम कार्यालय–वार जानकारी (दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में)

जिले का नाम	पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
आगर–मालवा	3	10
अलीराजपुर	34	81
अनुपपुर	17	0
अशोकनगर	10	25
बालाघाट	99	338
बडवानी	75	440
बैतुल	63	419
भिण्ड	0	19
भोपाल	73	2541
बुरहानपुर	139	872
छतरपुर	25	127
छिंदवाडा	117	574
दमोह	42	405
दतिया	0	0
देवास	63	444
धार	296	1960
डिंडोरी	28	124
गुना	74	800
ग्वालियर	115	1471
हरदा	134	920
होशंगाबाद	97	651
इंदौर	442	890
जबलपुर	371	4558
झाबुआ	117	2584
कटनी	2179	509
खंडवा	130	273
खरगोन	156	2055
मंडला	161	715
मंदसौर	183	978
मालनपुर	20	80
मुरैना	0	0
मंडीदीप	37	81

नरसिंहपुर	46	153
नीमच	70	329
पन्ना	7	53
पीथमपुर	1	2
रायसेन	0	0
राजगढ	21	295
रतलाम	106	776
रीवा	294	1226
सागर	228	1643
सतना	39	139
सीहोर	0	0
श्योनी	140	193
शहडोल	51	240
शाजापुर	27	492
श्योपुर	0	0
शिवपुरी	0	0
सीधी	69	447
सिंगरौली	77	284
टीकमगढ	90	392
उज्जैन	77	930
उमरिया	0	0
विदिशा	13	401
Total	**6643**	**32538**

* * *

परिशिष्ट–10.2
(देखें पद 10.3)

नगर/कस्बे जहां म.प्र दूकान एवं स्थापना अधिनियम प्रभावशील है

क.	संभाग		जिला		नगर / कस्बा
1.	इन्दौर	1.	इन्दौर	1.	इन्दौर
				2.	महू
				3.	देपालपुर
				4.	सांवेर
				5.	गौतमपुरा
				6.	बेटमा
				7.	राऊ
				8.	हातौद
				9.	मानपुर
				10.	महूँगांव
		2.	खंडवा	11.	खंडवा
				12.	मूँदी
				13.	पंधाना
				14.	ओंकारेश्वर
				15.	छनैरा
		3.	बुरहानपुर	16.	बुरहानपुर
				17.	नेपा नगर
				18.	शाहपुर
		4.	धार	19.	धार
				20.	पीथमपुर
				21.	कुक्षी
				22.	मनावर
				23.	राजगढ़
				24.	बदनावर
				25.	धामनोद
				26.	धरमपुरी
				27.	सरदारपुर
				28.	माण्डव
				29.	डही
		5	झाबुआ	30.	झाबुआ
				31.	थांदला
				32.	पेटलावद
				33.	राणापुर

		6.	अलीराजपुर	34.	अलीराजपुर
				35.	जोबट
				36.	भाबरा
		7.	खरगोन	37.	खरगोन
				38.	बड़वाह
				39.	मंडलेश्वर
				40.	सनावद
				41.	भीकनगांव
				42.	कसरावद
				43.	महेश्वर
		8.	बड़वानी	44.	बड़वानी
				45.	अंजड़
				46.	सेंधवा
				47.	राजपुर
				48.	खेतिया
				49.	पानसेमल
				50.	पलसूद
2.	भोपाल	9.	भोपाल	51.	भोपाल
				52.	बेरसिया
				53.	बैरागढ़
		10.	रायसेन	54.	रायसेन
				55.	मण्डीदीप
				56.	बरेली
				57.	बेगमगंज
				58.	ओबेदुल्लागंज
				59.	सुल्तानपुर
				60.	बाडी
				61.	सांची
				62.	उदयपुरा
				63.	सिलवानी
				64.	गैरतगंज
		11.	सीहोर	65.	सीहोर
				66.	आष्टा
				67.	इच्छावर
				68.	बुधनी
				69.	जावर
				70.	नसरूल्लागंज
				71.	रहेटी
				72.	कोठरी
				73.	शाहगंज
		12.	विदिशा	74.	विदिशा

				75.	गंजबासौदा
				76.	सिरोंज
				77.	कुरवाई
				78.	लटेरी
				79.	शमशाबाद
		13.	राजगढ़	80.	राजगढ़
				81.	ब्यावरा
				82.	सारंगपुर
				83.	नरसिंहगढ़
				84.	जीरापुर
				85.	खिलचीपुर
				86.	तलैन
				87.	बौडा
				88.	खुजनेर
				89.	पचौर
				90.	सुठालिया
				91.	माचलपुर
				92.	छापीहेडा
3.	होशंगाबाद	14.	होशंगाबाद	93.	होशंगाबाद
				94.	पिपरिया
				95.	इटारसी
				96.	सिवनी बनापुरा
				97.	बाबई
				98.	सोहागपुर
		15.	हरदा	99.	हरदा
				100.	खिरकिया
				101.	टिमरनी
		16.	बैतूल	102.	बैतूल
				103.	आमला
				104.	मुलताई
				105.	सारणी
				106.	भैंसदेही
				107.	बैतूल बाजार
				108.	आठनेर
				109.	चिचौली
4.	ग्वालियर	17.	ग्वालियर	110.	ग्वालियर
				111.	डबरा
				112.	पिछोर
				113.	बिलौआ
				114.	आंतरी
				115.	भितरवार

		18.	शिवपुरी	116.	शिवपुरी
				117.	केलारस
				118.	करेरा
				119.	खनियाधाना
				120.	पिछोर
				121.	बदरवास
				122.	नरवर
		19.	गुना	123.	गुना
				124.	राघौगढ़
				125.	चाचौडाबीनागंज
				126.	आरोन
				127.	कुंभराज
		20.	अशोकनगर	128.	अशोकनगर
				129.	चंदेरी
				130.	मुगावली
				131.	ईसागढ
		21.	दतिया	132.	दतिया
				133.	भाण्डेर
				134.	इंदरगढ़
				135.	सेवडा
				136.	बडोनी
5.	चंबल	22.	श्योपुर	137.	श्योपुर कलां
				138.	विजयपुर
				139.	बडोदा
		23.	मुरैना	140.	मुरैना
				141.	अम्बाह
				142.	जौरा
				143.	सबलगढ़
				144.	पोरसा
				145.	कैलारस
				146.	झुण्डपुरा
				147.	बामौर
		24.	भिंड	148.	भिण्ड
				149.	मालनपुर
				150.	गोहद
				151.	मेंहगांव
				152.	लहार
				153.	गोरमी
				154.	अकोडा
				155.	मिहोना
				156.	आलमपुर

				157.	दबोह
				158.	मौ
				159.	फूफकलां
6.	उज्जैन	25.	उज्जैन	160.	उज्जैन
				161.	बड़नगर
				162.	खाचरोद
				163.	महिंदपुर
				164.	नागदा
				165.	तराना
				166.	उन्हेल
				167.	माकडोन
		26.	रतलाम	168.	रतलाम
				169.	आलोट
				170.	जावरा
				171.	ताल
				172.	सैलाना
				173.	नामली
				174.	बडावदा
				175.	पिपलौदा
				176.	धामनोद
		27.	देवास	177.	देवास
				178.	सोनकच्छ
				179.	कन्नोद
				180.	खातेगांव
				181.	हाटपिपल्या
				182.	बागली
				183.	भौरांसा
				184.	करनावद
				185.	काटाफोड
				186.	लोहारदा
				187.	सतवास
				188.	टोंकखुर्द
				189.	पिपलरंवा
		28.	शाजापुर	190.	शाजापुर
				191.	शुजालपुर
				192.	आगर
				193.	नलखेडा
				194.	मक्सी
				195.	बडौद
				196.	कानड़
				197.	अकोदिया

				198.	सुसनेर
				199.	सोयतकलां
				200.	बडागांव
				201.	पोलायकला
		29.	मन्दसौर	202.	मन्दसौर
				203.	श्यामगढ़
				204.	सीतामऊ
				205.	पिपल्यामंडी
				206.	नारायणगढ़
				207.	मल्हारगढ़
				208.	भानपुर
				209.	नगरी
				210.	गरोठ
				211.	सुवासरा
		30.	नीमच	212.	नीमच
				213.	मनासा
				214.	रामपुरा
				215.	जावद
				216.	जीरन
				217.	रतनगढ़
				218.	सिंगोली
				219.	डिकेन
				220.	कुकडेश्वर
7.	सागर	31	सागर	221.	सागर
				222.	बीना
				223.	गढ़ाकोटा
				224.	खुरई
				225.	देवरी
				226.	रेहली
				227.	राहतगढ़
				228.	बंडा
				229.	शाहपुर
				230.	शाहगढ़
		32.	दमोह	231.	दमोह
				232.	हटा
				233.	तेंदुखेडा
				234.	पथरिया
				235.	हिन्डोरिया
		33.	पन्ना	236.	पन्ना
				237.	अमानगंज
				238.	देवेन्द्र नगर

				239.	अजयगढ़
				240.	ककरहटी
				241.	पवई
		34.	छतरपुर	242.	छतरपुर
				243.	नौगांव
				244.	खजुराहों
				245.	लौडी
				246.	हरपालपुर
				247.	महाराजपुर
				248.	बिजावर
				249.	बड़ामल्हरा
				250.	धुवारा
				251.	सटई
				252.	बारीगढ़
				253.	गढ़ीमल्हरा
				254.	बक्सवाहा
				255.	चन्दला
				256.	राजनगर
		35.	टीकमगढ़	257.	टीकमगढ
				258.	निवाडी
				259.	पृथ्वीपुर
				260.	देवगढ़
				261.	खरगापुर
				262.	पलेरा
				263.	जैरोनखालसा
				264.	तरीचरकलां
				265.	जतारा
				266.	लिधोराखास
				267.	बडागांव
				268.	कारी
				269.	ओरछा
8.	जबलपुर	36.	जबलपुर	270.	जबलपुर
				271.	सिहोरा
				272.	पनागर
				273.	बरेला
				274.	भेडाघाट
				275.	शाहपुरा
				276.	पाटन
				277.	मझौली
				278.	कटंगी
		37.	कटनी	279.	कटनी

				280.	कैमोर
				281.	बरही
				282.	विजयराघवगढ़
		38.	नरसिंहपुर	283.	नरसिंहपुर
				284.	गोटेगांव
				285.	करेली
				286.	गाडरवाड़ा
				287.	तेंदुखेडा
		39.	छिन्दवाड़ा	288.	छिन्दवाड़ा
				289.	परासिया
				290.	सौंसर
				291.	पांढुर्ना
				292.	जुन्नारदेव
				293.	दमुआ
				294.	चौरई
				295.	अमरवाडा
				296.	हर्रई
				297.	लोधीखेडा
				298.	न्यूटन चिखली
				299.	चांदामेटा बुटारिया
				300.	मोहगांव
				301.	बडकुही
				302.	पपलानारायणवार
		40.	सिवनी	303.	सिवनी
				304.	लखनादौन
				305.	बरघाट
		41	मण्डला	306.	मण्डला
				307.	नैनपुर
				308.	बम्हनीबंजर
				309.	निवास
				310.	बिछिया
		42.	डिण्डोरी	311.	डिण्डोरी
				312.	शाहपुरा
		43.	बालाघाट	313.	बालाघाट
				314.	वारासिवनी
				315.	मलाजखंड
				316.	कटंगी
				317.	बैहर
				318.	लांजी
9.	रीवा	44.	रीवा	319.	रीवा
				320.	मउगंज

				321.	त्योथर
				322.	बैकुंठपुर
				323.	हनुमना
				324.	चाकघाट
				325.	गोविन्दगढ़
				326.	नईगढ़ी
				327.	सिरमौर
				328.	मनगवां
				329.	सेमरिया
				330.	गुढ़
		45.	सीधी	331.	सीधी
				332.	चुरहट
				333.	रामपुरनेकिन
				334.	मझौली
		46.	सिंगरौली	335.	सिंगरौली
		47.	सतना	336.	सतना
				337.	नागोद
				338.	मैहर
				339.	जैतवारा
				340.	उचेहरा
				341.	अमरपाटन
				342.	नागौद
				343.	चित्रकूट
				344.	बिरसिंहपुर
				345.	कोटर
				346.	कोठी
				347.	रामपुर–बघेलान
10	शहडोल	48.	शहडोल	348.	शहडोल
				349.	बुढ़ार
				350.	धनपुरी
				351.	कोतमा
				352.	ब्यौहारी
				353.	जयसिंहनगर
				354.	खाण्ड
		49.	अनूपपुर	355.	अनूपपुर
				356.	पसान
				357.	बिजूरी
				358.	जैतहरी
				359.	अमरकंटक
		50.	उमरिया	360.	उमरिया
				361.	चंदिया

				362.	नौरोजाबाद
				363.	पाली

***

परिशिष्ट–10.3

म.प्र.दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के पंजीकृत स्थापनाओं/श्रमिकों की संख्या एवं श्रमिकों की संख्या बाबद श्रम कार्यालय–वार जानकारी

(विभागीय पोर्टल पर दर्शित)

(दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में)

रसिंहपुर	4930	8275

संभाग/जिले का नाम	पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या	पंजीकृत स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों की संख्या
1	2	3
आगर–मालवा	971	1432
अलीराजपुर	1249	1545
अनुपपुर	869	2199
अशोकनगर	3477	5256
बालाघाट	4096	7605
बडवानी	5132	7315
बैतुल	3227	5415
भिण्ड	5047	6548
भोपाल	135909	300487
बुरहानपुर	6481	7918
छतरपुर	5395	12665
छिंदवाडा	7478	17820
दमोह	2855	4129
दतिया	1426	3012
देवास	12319	21766
धार	12857	28669
डिडोरी	678	2241
गुना	7077	10917
ग्वालियर	74298	140594
हरदा	2205	3500
होशंगाबाद	13323	19832
इंदौर	231549	721615
जबलपुर	34445	68045
झाबुआ	2048	2690
कटनी	11234	12739
खंडवा	5841	10128
खरगोन	8159	12479
मंडला	2145	2845
मंदसौर	12391	10123
मुरैना	7443	11433

नीमच	11447	10238
पन्ना	2971	3294
रायसेन	14132	33678
राजगढ	1970	4577
रतलाम	9885	14270
रीवा	9823	19369
सागर	17571	51020
सतना	16108	25179
सीहोर	10933	19531
श्योनी	4248	4920
शहडोल	3558	5061
शाजापुर	4555	4267
श्योपुर	2194	3364
शिवपुरी	7757	9605
सीधी	1859	3822
सिंगरौली	2812	6201
टीकमगढ	1673	3881
उज्जैन	34589	42583
उमरिया	997	1615
विदिशा	15143	12272
Total	**800779**	**1749984**

***

परिशिष्ट–10.4
(देखें पद 10.4)

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय–वार जानकारी

(विभागीय पोर्टल पर दर्शित)

(दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में)

जिले का नाम	पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या	अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
आगर–मालवा	12	29	1835
अलीराजपुर	01	40	1132
अनुपपुर	04	92	12428
अशोकनगर	02	25	1027
बालाघाट	0	47	1439
बडवानी	0	19	678
बैतुल	10	130	4318
भिण्ड	21	306	26237
भोपाल	61	489	23292
बुरहानपुर	6	38	1827
छतरपुर	3	53	1242
छिंदवाडा	23	261	7973
दमोह	3	26	810
दतिया	1	23	991
देवास	40	368	20562
धार	156	921	73363
डिंडोरी	0	16	649
गुना	1	19	657
ग्वालियर	22	263	29161
हरदा	0	6	150
होशंगाबाद	2	55	2185
इंदौर	215	722	37430
जबलपुर	35	219	7664
झाबुआ	18	29	907
कटनी	7	95	4905
खंडवा	7	70	3470
खरगोन	16	125	7530
मंडला	2	109	3547
मंदसौर	11	46	1532
मुरैना	17	156	8934

नरसिंहपुर	8	63	2271
नीमच	1	43	2025
पन्ना	0	20	570
रायसेन	42	693	48032
राजगढ	4	56	3231
रतलाम	10	127	10754
रीवा	17	145	4892
सागर	5	101	4208
सतना	15	147	6075
सीहोर	11	179	14227
श्योनी	0	36	2137
शहडोल	0	60	3359
शाजापुर	4	52	3227
श्योपुर	0	20	425
शिवपुरी	1	14	345
सीधी	2	44	1196
सिंगरौली	9	295	31428
टीकमगढ	2	20	622
उज्जैन	27	353	20278
उमरिया	1	107	4343
विदिशा	2	46	2130
Total	**857**	**7418**	**453680**

***

परिशिष्ट–10.5
(देखें पद 10.5)

अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तो) अधिनियम, 1979 के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय–वार जानकारी

(विभागीय पोर्टल पर दर्शित)

(दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में)

जिले का नाम	पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या	अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
आगर–मालवा	0	0	0
अलीराजपुर	1	0	0
अनुपपुर	9	10	675
अशोकनगर	0	0	0
बालाघाट	3	3	187
बडवानी	3	5	125
बैतुल	6	8	591
भिण्ड	3	4	70
भोपाल	2	2	409
बुरहानपुर	1	0	0
छतरपुर	1	0	0
छिंदवाडा	1	1	20
दमोह	0	0	0
दतिया	1	0	0
देवास	2	3	90
धार	0	0	0
डिंडोरी	0	0	0
गुना	0	0	0
ग्वालियर	1	2	58
हरदा	0	0	0
होशंगाबाद	6	8	300
इंदौर	4	1	100
जबलपुर	1	4	42
झाबुआ	2	4	180
कटनी	1	0	0
खंडवा	3	1	150
खरगोन	0	3	250
मंडला	0	0	0
मंदसौर	0	0	0
मुरैना	1	2	100

नरसिंहपुर	0	0	0
नीमच	0	0	0
पन्ना	0	0	0
रायसेन	18	14	620
राजगढ	2	0	0
रतलाम	0	0	0
रीवा	1	2	80
सागर	0	1	36
सतना	8	8	300
सीहोर	0	0	0
श्योनी	0	0	0
शहडोल	0	0	0
शाजापुर	0	0	0
श्योपुर	0	0	0
शिवपुरी	0	0	0
सीधी	0	0	0
सिंगरौली	7	3	70
टीकमगढ	4	0	0
उज्जैन	11	13	425
उमरिया	0	0	0
विदिशा	0	0	0
कुल	**103**	**102**	**4878**

***

परिशिष्ट–11.1
(देखें पद 11.4)

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों/औषधालयों में उपचारित मरीज

क्र.	वर्ष	चिकित्सालय						औषधालय	
		भर्ती मरीजों की संख्या		कुल भर्ती दिवस		भरे हुए पलंगों का प्रतिशत		उपचारित मरीजों की संख्या	
		सामान्य	क्षय	सामान्य	क्षय	सामान्य	क्षय	बीमित व्यक्ति	परिवार के सदस्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2016–2017	12497	415	44605	11291	33	41	849526	968870
2.	2017–2018	11056	440	43760	11469	32	42	856162	986570
3.	2018–2019 (31 दिसम्बर 2018 तक)	8436	314	30270	7474	34	41	653692	726301

परिशिष्ट 11.2
(देखें पद 11.5)

परिवार कल्याण कार्यक्रम

क्र.	विवरण	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक)
1	कुल नसबन्दी	750	683	398
	(क) पुरूष नसबन्दी	21	4	3
	(ख) महिला नसबन्दी	729	679	395
2	कॉपर टी	277	251	160
3	निरोध वितरण	42556	56911	43650
4	गर्भ निरोधक गोलियॉ (वितरण स्ट्रिप)	6428	4298	3035

परिशिष्ट 11.3
(देखें पद 11.5)

टीकाकरण

क.	विवरण	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक)
1	बी0सी0जी0	573	466	267
2	पोलियों	880	574	1047
3	डी0पी0टी0	6813	1255	860
4	खसरा	377	180	350
5	डी0टी0	3125	2037	165
6	टिटनेस टाक्साईड			
	1. एन्टीनेटल कैसेस	2568	1810	730
	2. बीमित व्यक्ति एवं उनके परिवार सदस्य	5512	4701	2950
	3. अन्य	1859	1227	780
7	हेपेटाईटिस–बी	1027	519	151
8	एम एम आर	357	–––––	––––

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें मध्य प्रदेश के विभिन्न केन्द्र/चिकित्सालयों में शैक्षणिक गतिविधियों तथा शिविरों का विवरण

क.	विवरण	वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक)	
		शिविरों की संख्या	लाभांवित व्यक्तियों की संख्या	शिविरों की संख्या	लाभांवित व्यक्तियों की संख्या	शिविरों की संख्या	लाभांवित व्यक्तियों की संख्या
1	शैक्षणिक गतिविधियॉ	1240	46514	1396	45892	757	32160
2	स्वास्थ्य संबंधी शिविर	232	44524	230	15517	124	7856

परिशिष्ट–11.4
(देखें पद 11.5)

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में किये गये ऑपरेशनों का विवरण
(दिनांक 1.4.2018 से 31.12.2018 तक)

क्र.	चिकि0 का नाम	स्त्री रोग		अस्थि रोग		नेत्र रोग		सर्जरी		कान,नाक,गला रोग		डेंटल सर्जरी	
		मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	ऐक्स ट्रेक्शन ऑफ टुथ	फिलिंग एण्ड अदर सर्जरी
1	भोपाल	02	18	—	78	02	19	15	165	—	—	—	—
2	ग्वालियर	04	22	06	166	—	16	32	198	20	58	—	—
3	देवास	—	03	40	—	—	05	27	85	—	16	—	—
4	उज्जैन	—	—	—	—	—	—	—	13	—	03	—	—
5	नागदा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

टीप

मेजर ऑपरेशन से तात्पर्य ऐसी शल्य क्रिया जो प्रमुख रूप से ऑपरेशन थियेटर्स में जनरल/स्पाईनल एनेस्थेसिया दे कर शरीर के प्रमुख एवं संवेदनशील भागों पर सम्पन्न की जाती हो एवं जिनमें अधिक समय व जोखिम निहित हो यथा– हार्नियां, ऐपेन्डिक्स निष्कासन, उदरीय शल्य कियांए, तंत्रिक तंत्र (न्यूरों सर्जरी) की शल्य किया, थायराईड शल्य किया गर्भाशय विच्छेदन,नेलिगं–प्लेटिंग अस्थि शल्य किया आदि ।

मायनर ऑपरेशन कम जोखिम पूर्ण, कम समयावधि एवं स्थानिक/अल्पकालिक एनेस्थेसिया में सम्पन्न होने वाले ऑपरेशन है यथा – एम.टी.पी./एब्सेस,इनसिजन व ड्रेनेज/फ्रेक्चर रिडक्शन एवं प्लास्टर लगाना आदि।

***

परिशिष्ट 12.1
(देखें पद 12.2)

वर्ष 2018 में औद्योगिक न्यायालय द्वारा प्रकरणों का निराकरण

अ.क.	कार्यालय का नाम	वर्ष 2018 के प्रारंभ में लंबित प्रकरण	वर्ष में दायर प्रकरण	योग	वर्ष के दौरान निर्णित प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष रहे प्रकरण
01.	अध्यक्ष, औ.न्यायालय,म.प्र.इन्दौर	289	182	471	161	310
02.	सदस्य न्यायाधीश औ.न्यायालय,म.प्र.इन्दौर	79	57	136	64	72
03.	सदस्य न्यायाधीश खण्डपीठ जबलपुर	37	7	44	12	32
04.	सदस्य न्यायाधीश खण्डपीठ ग्वालियर	108	69	177	157	20
05.	सदस्य न्यायाधीश खण्डपीठ भोपाल	64	42	106	69	37
06.	सदस्य न्यायाधीश खण्डपीठ रीवा	92	101	193	112	81
योग:—		**669**	**458**	**1127**	**575**	**552**

***

परिशिष्ट 12.2

विभिन्न श्रम न्यायालयों में वर्ष 2018 के आरंभ में लंबित, वर्ष में दायर तथा वर्ष में निराकृत सिविल तथा फौजदारी प्रकरण											
क्रमांक / संभाग	श्रम न्यायालय	वर्ष 2018 के प्रारंभ में लंबित प्रकरण		वर्ष में दायर प्रकरण		योग		वर्ष में निराकृत प्रकरणों की संख्या		वर्ष 2018 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या	
		सिविल	फौजदारी	सिविल	फौजदारी	सिविल	फौजदारी	सिविल	फौजदारी	सिविल	फौजदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 इन्दौर	1 इन्दौर	2979	719	603	1	3582	720	439	0	3143	720
	2 धार	1002	103	418	4	1420	107	323	4	1097	103
	3 खंडवा	625	0	318	0	943	0	338	0	605	0
2 उज्जैन	1 उज्जैन	1440	32	546	1	1986	33	458	0	1528	33
	2 देवास	530	85	462	9	992	94	392	8	600	86
	3 रतलाम	172	28	71	0	243	28	46	0	197	28
	4 मन्दसौर	128	38	111	1	239	39	104	0	135	39
3 भोपाल	1 भोपाल क्र1	1918	222	553	0	2471	222	623	141	1848	81
	2 भोपाल क्र2	612	260	316	0	928	260	366	34	562	226
	3 बैतुल	159	7	96	0	255	7	95	0	160	7
4 सागर	1 सागर	669	5	405	0	1074	5	300	0	774	5
5 जबलपुर	1 जबलपुर	1285	590	329	0	1614	590	340	278	1274	312
	2 छिन्दवाड़ा	163	11	107	0	270	11	67	0	203	11
	3 बालाघाट	86	0	73	0	159	0	48	0	111	0
	4 नरसिंहपुर	300	16	108	0	408	16	235	14	173	2
6 रीवा	1 रीवा	735	66	543	0	1278	66	310	15	968	51
	2 सतना	596	1	294	0	890	1	217	0	673	1
	3 शहडोल	205	2	105	0	310	2	113	1	197	1
	4 सीधी	262	148	229	0	491	148	325	120	166	28
7 ग्वालियर	1 क्र.1 ग्वा	348	10	394	3	742	13	380	7	362	6
	2 क्र. 2 ग्वा	355	2	266	0	621	2	212	1	409	1
	3 क्र 3 ग्वा	115	4	36	0	151	4	48	0	103	4
8 होशंगाबाद	1 होशंगाबाद	446	0	241	0	687	0	412	0	275	0
	योग	15130	2349	6624	19	21754	2368	6191	623	15563	1745

***